PERFECT 7

साप्ताहिक

समसामयिकी

मई-2019 | अंक-1

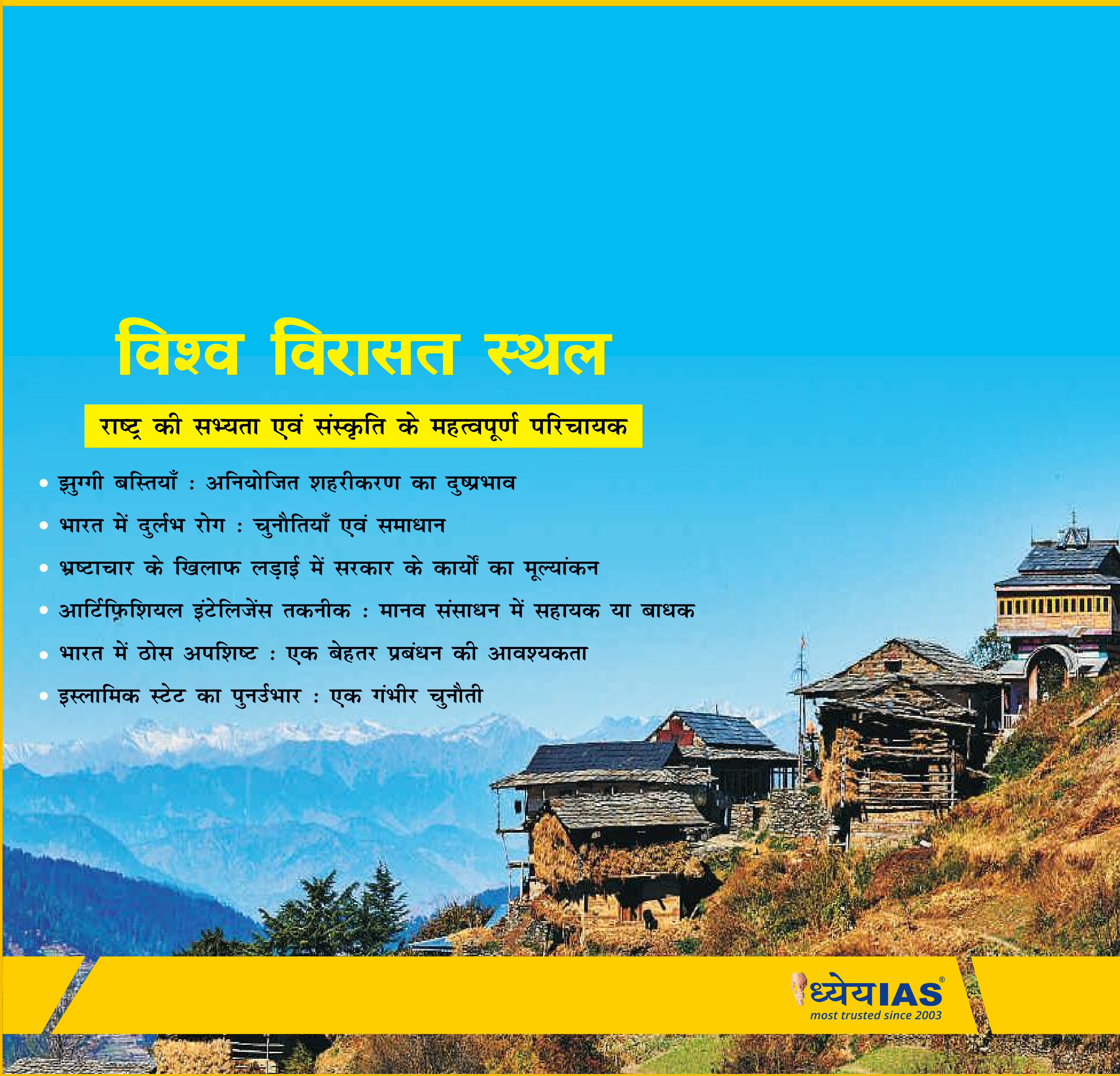

विश्व विरासत स्थल

राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण परिचायक

- झुग्गी बस्तियाँ : अनियोजित शहरीकरण का दुष्प्रभाव
- भारत में दुर्लभ रोग : चुनौतियाँ एवं समाधान
- भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सरकार के कार्यों का मूल्यांकन
- आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस तकनीक : मानव संसाधन में सहायक या बाधक
- भारत में ठोस अपशिष्ट : एक बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता
- इस्लामिक स्टेट का पुनर्उभार : एक गंभीर चुनौती

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

FELICITATION PROGRAMME FOR UPSC TOPPERS 2018

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

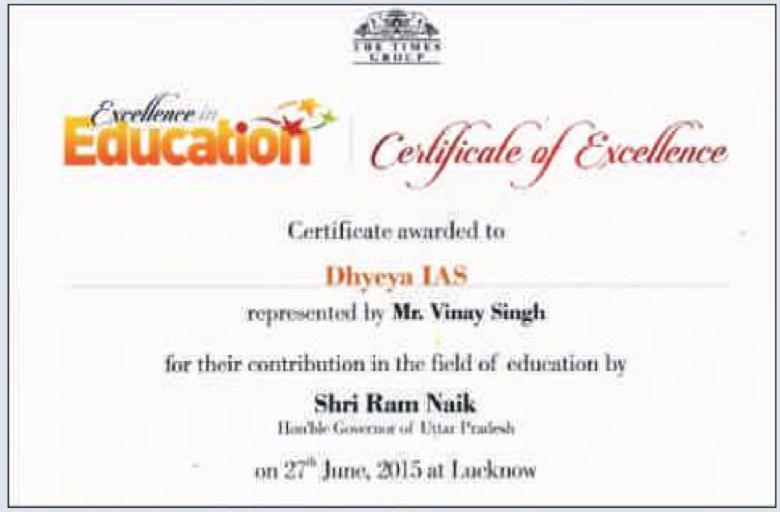

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण

Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

मई-2019 | अंक-1

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी, रजत झिंगन, शशिधर मिश्रा

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली, अवनीश पाण्डेय, धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह, रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव, नितेश श्रीवास्तव

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम, जीवन ज्योति

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
जीवन ज्योति, शिवम सिंह

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार, कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

लेख सहयोग
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह, लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन, प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

संवाददाता
मानषी द्विवेदी, राधिका अग्रवाल, सत्यम, सौम्या त्रिपाठी, अनुराग सिंह, राशि श्रीवास्तव

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजू यादव, शुभम, अरूण त्रिपाठी, चंदन

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-18

- विश्व विरासत स्थल : राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण परिचायक
- झुग्गी बस्तियाँ : अनियोजित शहरीकरण का दुष्प्रभाव
- भारत में दुर्लभ रोग : चुनौतियाँ एवं समाधान
- भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सरकार के कार्यों का मूल्यांकन
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक : मानव संसाधन में सहायक या बाधक
- भारत में ठोस अपशिष्ट : एक बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता
- इस्लामिक स्टेट का पुनर्उभार : एक गंभीर चुनौती

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 19-23

सात महत्वपूर्ण खबरें 24-26

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 27-35

सात महत्वपूर्ण तथ्य 36

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 37-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. विश्व विरासत स्थल : राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण परिचायक

चर्चा का कारण

हाल ही में पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है। विश्व धरोहर दिवस 2019 की थीम ग्रामीण परिदृश्य (Rural Landscapes) है। यह थीम ग्रामीण विरासत पर ICOMOS वैज्ञानिक संगोष्ठी के विषय से जुड़ी है, जो इस साल अक्टूबर में मराकेश (मोरक्को) में होने वाली है।

पृष्ठभूमि

संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को ने हमारे पूर्वजों की दी हुई विरासत को अनमोल मानते हुए और लोगों में इन्हें सुरक्षित और सम्भाल कर रखने के उद्देश्य से ही इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया था। किसी भी राष्ट्र का इतिहास, उसके वर्तमान और भविष्य की नींव होता है। जिस देश का इतिहास जितना गौरवमयी होगा, वैश्विक स्तर पर उसका स्थान उतना ही ऊँचा माना जाएगा। वैसे तो बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन उस काल में बनी इमारतें और लिखे गए साहित्य उन्हें हमेशा सजीव बनाए रखते हैं। विश्व विरासत के स्थल किसी भी राष्ट्र की सभ्यता और उसकी प्राचीन संस्कृति के महत्त्वपूर्ण परिचायक माने जाते हैं।

पहला 'विश्व विरासत दिवस' 18 अप्रैल, 1982 को ट्यूनीशिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोनुमेंट्स एंड साइट्स (ICOMOS) द्वारा मनाया गया था। इसे सांस्कृतिक विरासत, स्मारकों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 1983 में यूनेस्को की आम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस तरह विश्व के लगभग सभी देशों ने मिलकर ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहरों को बचाने की शपथ ली। इस तरह 'यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर' अस्तित्व में आया।

गौरतलब है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण जमीन की भी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए इन पुरातात्विक खजानों को बचाने के उद्देश्य से इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTAAC) ने मार्च 2011 में सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन के साथ एक योजना बनायी थी। इस योजना के अंतर्गत स्कूलों द्वारा कोई एक पुरातत्व स्थल अपनाया जाएगा तथा स्कूली बच्चों में विरासत स्थलों के प्रति जागरूकता लाई जाएगी।

विश्व धरोहर क्या होते हैं?

- यूनेस्को के अनुसार विश्व विरासत स्थल ऐसे खास स्थानों (जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर इत्यादि) को कहा जाता है, जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं।
- यह समिति इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के तत्वावधान में करती है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करना होता है, जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है।
- कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे स्थलों को स्थल समिति द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है।
- प्रत्येक विरासत स्थल उस देश विशेष की संपत्ति होती है, जिस देश में वह स्थल स्थित हो, परंतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हित भी इसी में होता है कि वे आने वाली पीढियों के लिए और मानवता के हित के लिए इनका संरक्षण करें।

विश्व धरोहरों को यूनेस्को की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया

- किसी भी देश को पहले चरण में किसी स्थल की अस्थाई सूची तैयार करना होता है।
- कोई भी देश ऐसे किसी संपदा को नामांकित नहीं कर सकता है जिसका नाम उस सूची में पहले ही सम्मिलित नहीं हुआ हो।
- दूसरे चरण में विश्व धरोहर केन्द्र द्वारा धरोहर सूची बनाने में सलाह देता है और सहायता प्रदान करता है।
- तीसरे चरण में नोमिनेशन फाइल को दो स्वतंत्र संगठनों द्वारा आकलित किया जाता है, ये हैं- अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद और विश्व संरक्षण संघ। यह संस्थाएँ फिर विश्व धरोहर समिति से सिफारिश करती हैं।
- चौथे चरण में विश्व धरोहर समिति के निर्णय की बारी आती है।
- विश्व धरोहर समिति साल में एक बार बैठक करती है और उसी बैठक में तय होता है कि नामांकित सम्पदा को विश्व धरोहर सूची में शामिल करना है या नहीं।
- पाँचवे चरण में यूनेस्को के दस मानदंडों की कसौटी पर स्थलों की जाँच की जाती है।
- 2004 से पहले 6 सांस्कृतिक और चार प्राकृतिक मानदंडों को पूरा करना जरूरी था लेकिन अब 10 मानदंडों का एक ही सेट तय किया गया है।

वैश्विक धरोहरों की तीन श्रेणियाँ बांटी गई हैं-

- प्राकृतिक धरोहर स्थल
- सांस्कृतिक धरोहर स्थल
- मिश्रित धरोहर स्थल

प्राकृतिक धरोहर स्थल: ऐसे धरोहर स्थल जो भौतिक या प्राकृतिक रूप से बने हुए हों। ये

भौगोलिक दृष्टि से बहुत सुंदर या वैज्ञानिक महत्त्व भी होना चाहिए। इसके साथ ही यह धरोहर किसी विलुप्त जीव या वनस्पति का प्राकृतिक आवास भी हो सकती है।

सांस्कृतिक धरोहर स्थलः इसमें कोई स्मारक, स्थापत्य की इमारतें, मूर्तिकारी, चित्रकारी की गुफा तथा शिलालेख आदि शामिल हैं जो ऐतिहासिक सौंदर्य, जातीय, मानवविज्ञान या वैश्विक दृष्टि से महत्त्व की हों।

मिश्रित धरोहर स्थलः वह धरोहर स्थल जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही तौर पर अहम स्थल हों।

वैश्विक परिदृश्य

वर्तमान में दुनियाभर में कुल 1 हजार 92 विश्व धरोहर स्थल हैं जिनमें 845 सांस्कृतिक, 209 प्राकृतिक और 38 मिश्रित धरोहर हैं। इनमें से 54 की स्थिति ठीक नहीं है और वो खतरे वाली सूची में हैं जिसमें इशा मसीह का जन्म स्थान, चर्च ऑफ द नेटिविटी (Church of the nativity) और वेथलेहम का तीर्थ स्थान शामिल है। गौरतलब है कि विश्व में सबसे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल इटली में हैं जहाँ 54 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद चीन में 53, स्पेन में 47, जर्मनी में 44 और फ्रांस में भी 44 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है।

ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत में कानून

यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 37 स्थल शामिल हैं, जिनमें 29 सांस्कृतिक स्थल तथा 7 प्राकृतिक स्थल और एक मिश्रित सथल शामिल हैं। भारत में ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए पहला कानून 1810 में बंगाल रेगुलेशन-19 पारित हुआ। इसके बाद 1817 में मद्रास रेगुलेशन-8 पारित हुआ। इन दोनों कानूनों के जरिए ऐतिहासिक महत्त्व की सरकारी इमारतों के संरक्षण के लिए सरकार को शक्ति दी गई। हालाँकि इन कानूनों में निजी स्वामित्व वाली इमारतों का वर्णन नहीं किया गया था। 1878 में भारतीय खजाना निधि कानून पारित हुआ, जिसमें खुदाई से मिलने वाले ऐतिहासिक महत्त्व की चीजों के संरक्षण की बात कही गई। इसके बाद कई छोटे-मोटे कानून बने, लेकिन 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम परित हुआ जो बेहद अहम है। इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि निजी स्वामित्व में रखे गये ऐतिहासिक धरोहरों को सरकार अपने कब्जे में रखेगी और उसका संरक्षण करेगी। 1947 में एक और अहम कानून बना पुरावशेष निर्यात नियंत्रण अधिनियम, इस कानून के तहत प्राचीन अवशेषों के निर्यात के लिए लाइसेंसों को अनिवार्य कर दिया गया। 1951 में प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल से जुड़ा कानून पास हुआ। 1904 के कानून के तहत घोषित ऐतिहासिक धरोहरों पर इस कानून ने मुहर लगायी। साथ ही सूची में कुछ और नए नाम जोड़े गये।

1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के भाग 126 के तहत भी कई स्मारकों को राष्ट्रीय महत्त्व घोषित किया गया। इन तमाम कानूनों के पारित होने के बाद ऐतिहासिक धरोहरों की देख-रेख की पहल पहले से तेज हो गई।

देश की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखने के लिए 1958 में प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम पास किया गया। अगले वर्ष इससे जुड़ा एक और कानून आया, जो 1972 में पुरातत्व और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम के नाम से जाना गया। इसमें स्मगलिंग से लेकर निजी स्वामित्व जैसे कई मुद्दे शामिल थे, 1973 में इसमें मामूली संशोधन किया गया। इन कानूनों के अलावा सरकार की तरफ से ऐसी इमारतों और धरोहर को संरक्षण करने एवं सजाने की कोशिश अभी भी जारी है।

सरकारी प्रयास

वर्ष 2018-19 के बजट में 3,650 प्राचीन स्थलों एवं स्मारकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने 975 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए रखने में लगातार कोशिशें करता आ रहा है। इसके अलावा वर्ष 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक धरोहरों के 100-200 मीटर की परिधि तक किसी भी निर्माण पर रोक लगायी हुई है, देश की सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखने के लिए मंत्रालय ने 'नेशनल कल्चरल फंड' की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत औद्योगिक घरानों से यह कहा गया है कि वे उन ऐतिहासिक इमारतों को अपना सकते हैं जो भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण के अंतर्गत नहीं आती हैं। सरकार ने औद्योगिक घरानों द्वारा ऐतिहासिक इमारतों को गोद लिए जाने की प्रक्रिया को न केवल सरल बनाया है, बल्कि औद्योगिक घरानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्हें यह छूट दी गई है कि वे ऐतिहासिक इमारतों के इर्द-गिर्द संभाव्य व्यापारिक गतिविधियाँ भी चला सकते हैं। निश्चित रूप से यह प्रावधान औद्योगिक घरानों को प्रेरित करेगा।

विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के फायदे

विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के बाद अकसर ये सवाल उठते हैं कि आखिर इससे फायदा क्या होता है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि विश्व धरोहर स्थल घोषित होने के बाद न केवल कई स्थलों का संरक्षण हुआ, बल्कि उन्हें कई संभावित खतरों व नुकसानों से तुरंत बचाया भी गया।

मिस्त्र की गीजा पिरामिड के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा था। 1995 में इस पिरामिड के पास राजमार्ग के गुजरने के कारण इन पिरामिडों को काफी नुकसान पहुँचने की आशंका थी, लेकिन यूनेस्को और मिस्र सरकार के संवाद के बाद प्रोजेक्ट में परिवर्तन कर पिरामिडों का संरक्षण करने में कामयाबी मिली। इसी प्रकार 1990 में नेपाल के रॉयल चितवन राष्ट्रीय पार्क में राफ्ती नदी डायवर्जन परियोजना की वजह से यहाँ रह रहे विलुप्ति के कगार पर एक सींग वाले गैंडे के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। हालांकि विश्व धरोहर संघ की पहल पर नेपाल सरकार से संवाद स्थापित कर परियोजना को स्थगित कर दिया गया और इन गैंडों के साथ ही उनके प्राकृतिक निवास को बचाने में अहम कामयाबी मिली। यही नहीं कई विश्व धरोहरों को गंभीर खतरों की पहचान करके उन्हें संरक्षित करने के ऐतिहासिक कदम भी उठाये गये। इनमें कंबोडिया का एंगकोर पुरातत्व पार्क, क्रोएशिया की ओल्ड सिटी ऑफ डब्रोव्निक, पौलेण्ड की विलेस्का सॉल्ट माइन और तंजानिया का नारांगोरो संरक्षित क्षेत्र भी शामिल है। ये सभी स्थान एक वक्त में अपने अस्तित्व से जूझ रही थीं लेकिन यूनेस्को और सरकारी प्रयासों के बाद इनमें इतना सुधार हो गया कि इन्हें आज खतरे की विश्व विरासत सूची से बाहर कर दिया गया है।

चुनौतियाँ

- बात चाहे शहर की ऐतिहासिक धरोहरों की हो या प्रदेश या देश की, इनके संरक्षण में किसी एक की भूमिका नहीं होती है। हर इमारत को अपने मूल रूप में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है और विडंबना तो यह है कि हम लोग ही इसे नुकसान पहुँचाते हैं, जो एक चिंता का विषय है।
- विशेषज्ञ भी बताते हैं कि स्मारक का प्राकृतिक रूप से क्षरण होना तो आम बात है, लेकिन मानव द्वारा भी उसे नुकसान पहुँचाया जाता है। कुछ लोग इन इमारतों पर नाम आदि

कुरेदकर खराब करते हैं तो कुछ प्रतिमा आदि ध्वस्त कर इनका सौंदर्य बिगाड़ते हैं। परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि जिसके निर्माण में वर्षो लगे और जो आज हमारी शान बनी हुई है, उसको क्षति क्यों पहुँचाया जाए।

- आज ताजमहल, लाल किला, सांची का स्तूप तथा कुतुबमीनार आदि जैसे वैश्विक धरोहर संकट से ग्रस्त हैं। ताजमहल का क्षरण बड़े पैमाने पर पर्यटकों के आवाजाही एवं जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। ऐसे अनेक धरोहर हैं जो मानवजनित और पर्यावरणीय आपदाओं का शिकार हो रही हैं।
- कुछ विशेष धरोहर स्थलों का निजीकरण कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप कंपनियाँ लाभ कमाने के लिए धरोहरों को क्षति पहुँचा रही हैं और कानूनों तथा नीतियों की अवहेलना कर रही हैं।
- किसी भी ऐतिहासिक इमारत को सुधारने तथा मरम्मत करने से पहले उसके नींव को मजबूत किया जाता है। बाद में दरारें, गुंबद तथा गलियारे को दुरुस्त करते हैं। वर्तमान में निर्माण सबंधी सुधार में मोटे पत्थरों की कमी से परेशानी हो रही है तथा कुशल कारीगरों का भी अभाव है।
- वैश्वीकरण के इस दौर में शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाएँ बाजारवाद तथा पूंजीवाद उन्मुख अनुसंधान कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप धरोहर स्थलों की उन्नति, संरक्षण और सुरक्षा आदि की उपेक्षाएँ हो रही हैं।
- आजादी के समय हमारे देश में ऐतिहासिक महत्व की जितनी इमारतें थीं, आज उनकी संख्या में अच्छी-खासी कमी आ चुकी है। लोगों ने उन पर अवैध कब्जे कर लिए हैं या इसके अलावा उन्हें तोड़कर नई इमारतें खड़ी कर ली हैं। उनके आस-पास इतनी बसावट हो गई कि अनेक इमारतों का तो दम ही घुट गया है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की समस्या यह है कि ऐतिहासिक इमारतों पर होने वाले अतिक्रमण का सामना वह कैसे करे? उसके पास न तो कोई दंडात्मक अधिकार हैं न अतिक्रमण हटाने में सक्षम सरकारी मशीनरी। वह केवल नोटिस जारी करता है और नगर निगम या इसी प्रकार की किसी संस्था से अनुरोध करता है कि वह अतिक्रमण हटवाए। इसके लिए अकसर पुलिस बल की जरूरत होती है जो समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता।

आगे की राह

- भारत में सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधता व्याप्त है। यहाँ पर अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल स्थित हैं, इनमें कुछ विश्व धरोहर स्थल हैं। अतः इसका संरक्षण और सुरक्षा करना आवशक है। यहाँ पर मनुष्य भ्रमण करके न केवल अपने अतीत के झरोखे से परिचित होंगे, बल्कि उन स्थलों का भ्रमण कर मानसिक एवं आध्यात्मिक शांति को भी प्राप्त करेंगे।
- इन स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनजागरूकता एवं सरकार की विभिन्न नीतियों के माध्यम से सहेजने की जरूरत है।
- भारतीय विश्व धरोहर स्थलों पर पर्यटकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि इन स्थलों पर भ्रमण कर स्थल विशेष की संस्कृति की जानकारी एवं लोगों से उसका जुड़ाव होगा, जिससे भारत की एकता एवं अखण्डता को बल मिलेगा।
- संरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनों एवं नीतियों को कठोरता से लागू करना चाहिए।
- जिस तरह ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में आम आदमी की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है उसी तरह इस तथ्य को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण में आम आदमी की भागीदारी बहुत आवश्यक है। इसलिए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण का सिद्धांत सहभागिता के आधार पर ही बनना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे।

■

2. झुग्गी बस्तियाँ : अनियोजित शहरीकरण का दुष्प्रभाव

संदर्भ

दिल्ली में बस्तियों को खाली कराने और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया गहरी प्रशासनिक चुनौतियों से ग्रस्त रही हैं। व्यापक रूप से देखा जाए तो दो समस्याओं को चिह्नित किया गया है। पहली, एक नोडल एजेंसी होने के बावजूद, बस्तियों के पुनर्वास का काम विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी से बाधित होता है। दूसरी, झुग्गी-झोपड़ी बस्ती के निवासियों (जिनकी झुग्गियों को खाली कराया जाता है) के अधिकारों को लेकर स्पष्टता की कमी है। खास तौर पर इस बात को लेकर स्पष्टता की कमी है कि कौन पुनर्वास के योग्य है और बस्ती को खाली कराने की प्रक्रिया क्या है। इसके अलावा, जमीनी स्तर पर झुग्गियों को खाली करने के दौरान जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, वह नीतिगत और कानूनी दस्तावेजों से कई मायने में अलग होती है।

इसी संदर्भ में शकूर बस्ती में झुग्गियाँ हटाने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और रेलवे को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। न्यायालय ने पूछा है कि ऐसा करने से पहले सरकार, पुलिस और रेलवे ने अपने स्तर पर क्या इंतजाम और प्रयास किया है, इसका विस्तृत ब्यौरा सौंपे। अदालत ने यह भी कहा कि यह पूरी प्रक्रिया बेहद अमानवीय है।

परिचय

अपने मकान में रहना सबको सुखद अनुभूति प्रदान करता है, लेकिन जहाँ कुछ अमीर लोग एक से अधिक मकान बनाकर आराम की जिंदगी गुजारते हैं, वहीं गरीब अपने पूरे जीवन में एक भी मकान नहीं बना पाता। जैसा कि पिछले दो दशकों में गाँवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन बढ़ा है, क्योंकि गाँवों में रहकर उचित रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा प्राप्त करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। कृषि में होने वाले नुकसान की वजह से लोग कृषि छोड़कर रोजगार की तलाश में शहर आते हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार खेती पर आश्रित लोगों में से 40 प्रतिशत लोगों को अगर विकल्प मिलें तो तुरंत खेती छोड़ देंगे क्योंकि खेती करने में धन की लागत बढ़ती जा रही है। इस प्रकार आय कमाने के लिए लोग शहर

आते हैं और फिर झुग्गियों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अधिकांश झुग्गियाँ सरकारी जमीनों पर होती हैं। झुग्गी बस्ती को एक ऐसे आवासीय क्षेत्र के रूप में समझ सकते हैं जहाँ पर मकान की अच्छी हालत में न होना, संकीर्ण या जर्जर सड़क व्यवस्था, बिजली और साफ सफाई की कमी तथा शुद्ध वातावरण का अभाव होता है। इस प्रकार झुग्गियाँ एक मानव के स्वस्थ और संतुलित निवास के लिए उपयुक्त नहीं होती है।

वर्तमान स्थिति

ध्यान देने वाली बात यह है कि झुग्गी बस्तियों में रहने वालों की संख्या पिछले दशक से दोगुनी हो गयी है। भारत सरकार के सर्वे 2011 के अनुसार मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में शहरी आबादी क्रमशः 41%, 29%, 28% और 15% झुग्गी बस्तियों में ही रहती है। इन झुग्गी बस्तियों में औसतन 5 लोग एक कमरे में अपना गुजारा करते हैं। दिल्ली सरकार के आंकड़ों के अनुसार सात सौ एकड़ में झुग्गी बस्तियाँ हैं और इनमें लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। दिल्ली में लगभग 90% झुग्गियाँ अनियमित कॉलोनी के रूप में सरकारी जमीन पर है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार, 632 मिलियन जनसंख्या के साथ भारत में विश्व की सबसे बड़ी बहुआयामी जनसंख्या गरीबी में रहती है। भारत में सबसे ज्यादा झुग्गी बस्तियों की संख्या महाराष्ट्र में है। जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, उनकी संख्या 2001 में 52 मिलियन से बढ़कर 2011 में 65.5 मिलियन हो गयी है।

मलिन बस्तियों के लिए जिम्मेदार कारक

माँग-आवास की पूर्ति: सस्ता शहरी आवास और अपर्याप्त आपूर्ति की बढ़ती माँग के बीच अंतर ने मलिन बस्तियों के गठन को प्रोत्साहित किया है। जब भी शहरी घरों की माँग बढ़ती है तो उसे औपचारिक क्षेत्रों के द्वारा पूरा नहीं किया जाता है। इससे बढ़ती जनसंख्या को झुग्गी बस्तियों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। झुग्गी-झोपड़ियों के निवासी आम तौर पर सीमान्त स्थानों जैसे कि डंपिंग ग्राउंड्स (Dumping grounds) में निवास करते हैं।

वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच: यह सर्वविदित है कि अन्य की तुलना में झुग्गी बस्तियों के निवासियों की क्रय क्षमता काफी कम होती है जिसके कारण वे शहरों में घर खरीद पाने में सक्षम नहीं होते हैं और उन्हें झुग्गी बस्तियों में रहना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उनके पास आय के स्रोत भी अपेक्षाकृत निम्न अथवा नगण्य होते हैं, इसलिए भी उनके पास वित्तीय संसाधनों तक पहुँच नहीं होती है।

गाँवों से शहरों की ओर पलायन: शहरों में झुग्गी बस्तियों का विस्तार का प्राथमिक कारण गाँवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन है। शहर अतिरिक्त आबादी को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करा पाने में सक्षम नहीं है जो अंततः आवास की कमी, बेरोजगारी और मलिन बस्तियों के विकास जैसी कई समस्याओं का कारण बनते हैं।

शहरी शासन की असमर्थता: मलिन बस्तियों के प्रमुख कारक के रूप में पुराने शहरी नियोजन नियम हैं, जिन्हें आमतौर पर झुग्गीवासियों द्वारा अपनी आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सरकार शहरी गरीब झुग्गीवासियों को सरकार द्वारा चलायी जा रही कल्याणकारी योजनाओं में शामिल करने में विफल रही है। इससे उनके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है और वो अभी भी झुग्गी बस्तियों में ही रह रहे हैं।

झुग्गी वासियों की समस्याएँ

मलिन बस्तियों को स्वच्छता सुविधाओं और सुरक्षित जल स्रोतों तक पहुँच की कमी, अपशिष्ट संग्रहण प्रणालियों की कमी, बिजली आपूर्ति और जल निकासी प्रणालियों की कमी जैसी मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मलिन बस्तियों के बीच में रहने वाले लोगों को निम्नलिखित समस्याओं से जूझना पड़ता है-

- 58% लोगों के लिए जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है।
- 43% लोगों को मलिन बस्तियों के बाहर से पीने का पानी लाना पड़ता है।
- 34% लोगों के पास शौचालय की व्यवस्था नहीं है।
- 30% लोगों के पास करने को कोई काम नहीं है जिससे वे अपनी आजीविका चला सकें।
- मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के घरों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उनके घर आम तौर पर मिट्टी या ईंटों के बने होते हैं उनकी गुणवत्ता काफी निम्न प्रकार की होती है। प्रति व्यक्ति रहने के लिए स्थान बहुत कम होता है।
- मलिन बस्तियाँ ज्यादातर ऐसी जगहों पर स्थित होती हैं। जहाँ औद्योगिक कचरों का निष्कासन होता है। इसके अलावा भी मलिन बस्तियों की स्थिति खराब होने की वजह खुले सीवर, रास्तों की कमी, कचरे का अनियंत्रित डंपिंग तथा प्रदूषित वातावरण आदि हैं।
- मलिन बस्तियों का वातावरण बहुत प्रदूषित होने के कारण लोगों के शरीर के अंदर खतरनाक छोटे-छोटे कण प्रवेश कर जाते हैं (जैसे-PM2.5, PM10 आदि) जिससे लोगों का स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होता है। कभी-कभी तो लोगों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कई ऐसे विषाक्त कण भी होते हैं जिनसे कैंसर होने का खतरा भी होता है।
- कम आय और गरीबी, इन दोनों के कारण ही ज्यादातर मलिन बस्तियों या झुग्गी झोपड़ियों का विस्तार हुआ है। इन लोगों के पास इतने रुपये ही नहीं होते कि मलिन बस्तियों के बाहर घर लेकर रह सकें।
- झुग्गी-झोपड़ियों में जो लोग काम करते भी हैं उन्हें बहुत कम वेतन प्राप्त होता है इससे उन्हें उच्च गुणवत्ता का खाना प्राप्त नहीं होता, जिससे उनमें पोषण की भारी कमी हो जाती है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होती है।
- भारत में अधिकतर लोगों द्वारा मलिन बस्तियों और झुग्गी झोपड़ियों वाला क्षेत्र सामाजिक बहिष्कार का क्षेत्र माना जाता है। इन क्षेत्रों में अपराध का स्तर काफी उच्च होता है। झुग्गी झोपड़ियों में महिलाओं और बच्चों के प्रति लिंग भेदभाव, हिंसा तथा मादक द्रव्यों का सेवन जैसी घटनाएँ बड़े पैमाने पर होती हैं। ज्यादातर इन बस्तियों से जुड़े हुए लोग मानव तस्करी, बलात्कार ड्रग्स स्मगलिंग आदि अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं।

सरकारी प्रयास

- **स्लम क्षेत्र (सुधार और निकासी) अधिनियम, 1956:** इस अधिनियम का उद्देश्य यांत्रिक सुधार या मलिन बस्तियों का पूर्ण उन्मूलन करना है। यह अधिनियम सक्षम अधिकारी को परिभाषा के अनुसार स्लम क्षेत्र घोषित करने, सुधार की संभावनाओं को देखने या मलिन बस्तियों को हटाने का अधिकार देता है।
- राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास (NSDP) कार्यक्रम को 1996 में शुरू किया गया।

इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को ऋण और सब्सिडी मुहैया करायी जाती है ताकि वो शहरी झुग्गी आबादी के आधार पर झुग्गी पुनर्वास परियोजना चला सकें।

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी):** इस योजना की शुरूआत 2015 में की गई। इस योजना के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 2022 तक मकान उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं-
  - झुग्गी बस्तियों का ''स्व-स्थाने (In-Situ)'' पुनर्वास करने के लिए निजी डेवलपर्स (Private developes) की मदद ली जाएगी। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य पात्र स्लम बस्तियों को रहने के लिए मकान मुहैया कराना है। जिससे उन्हें शहरी बस्ती के साथ जोड़ा जाए।
  - क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (Credit linked subsidy) के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को बढ़ावा देना।
  - इस योजना के लाभार्थियों को घर खरीदने पर सब्सिडी उपलब्ध कराना।
- बाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना (VAMBAY) 2001 में शहरी गरीबों के आश्रय के लिए शुरू की गयी थी। इसमें 20% रुपयों का आवंटन निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वच्छता सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए किया जाता है।
- **शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाएँ :** यह जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (JNNURM) का एक महत्वपूर्ण घटक था। BSUP ने भारत के 63 सबसे बड़े शहरों में आबादी के आधार पर शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने का लक्ष्य रखा था।
- **शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (ISHUP) :** यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को मकान खरीदने या निर्माण करने के लिए ब्याज सब्सिडी के प्रावधान की परिकल्पना करती है।
- **राजीव आवास योजना (RAY):** इस योजना के अंतर्गत झुग्गियों को औपचारिक प्रणाली के भीतर लाना और उन्हें शहर के बाकी हिस्सों जैसी बुनियादी सुविधाओं के समान स्तर का लाभ उठाने के लिए सक्षम बनाना। औपचारिक प्रणाली की विफलताओं का निवारण करना। शहरी भूमि और आवास की कमी से निपटना ताकि शहरी गरीबों को आश्रय हेतु सुनिश्चित किया जा सकें।

शहर के अधिकार की अवधारणा (Concept of Right to city)

- इस अवधारणा को सबसे पहले फ्रांसीसी समाजशास्त्री हेनरी लेफबेरे (Henri Lefebrre) ने अपनी पुस्तक Le droit la ville में विकसित किया था। वह शहरी जीवन के गुणों और लाभों से शहरी समाज को बहिष्कृत न करते हुए शहरी अधिकारों को परिभाषित करता है।
- शहर के अधिकार को वर्तमान और भविष्य के सभी निवासियों के अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है, समावेशी और टिकाऊ शहरी व्यवस्था, उपयोग और उत्पादन करने के लिए तथा जीवन को गुणवत्ता परक बनाने के लिए शहर के अधिकार को आवश्यक रूप में परिभाषित किया गया है। शहर का अधिकार आगे चलकर इस अधिकार का दावा करने, बचाव करने और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकारों और लोगों पर जिम्मेदारियों को बढ़ाता है।
- यह आश्रय के अधिकार के मूल तत्वों का विस्तार है और अधिकारों के व्यापक संदर्भों को समझने में मदद करता है।

सरकार के समक्ष चुनौतियाँ

- **झुग्गी-भूमि के स्वामित्व पर सवाल:** व्यवस्थित भूमि रिकॉर्ड की अनुपस्थिति में, भूमि-स्वामित्व विभागों के बीच गैर-पारदर्शी सौदे और स्वामित्व संघर्ष तथा भूमि के स्वामित्व का आकलन करना मुश्किल है।
- **औपचारिक आवास अपर्याप्त:** प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। लेकिन जिस दर पर अनौपचारिक आवासों को नष्ट किया जा रहा है वह दर उस औपचारिक दर से अधिक है जिस पर औपचारिक आवास का निर्माण किया जा रहा है।
- मलिन बस्तियों में रहने वाले कुछ लोगों को मुफ्त में घर उपलब्ध करा भी दिया जाता है तो वो उसे किराए पर चढ़ाकर वापस उसी झुग्गी झोपड़ी में आ जाते हैं। इससे सरकार के झुग्गी मुक्त शहरों के निर्माण के लक्ष्य को ठेस पहुँचती है।
- **सुसंगत नीति का अभाव:** भारत में एक व्यापक नीति का अभाव है जो मलिन बस्तियों को परिभाषित करता हो तथा साथ ही स्लम-मुक्त शहरों के निर्माण करने की प्रावधान करता हो।
- **पर्यावरणीय स्थिरता:** पहले से ही विवश नगरपालिका प्रणाली पर अतिरिक्त आवास जोड़ने के बारे में चिंताएँ हैं। शहर के लिए मौजूदा नागरिक बुनियादी ढ़ाँचे को जोड़ने की क्षमता के बिना, ऐसी नीतियाँ शहर की नागरिक सुविधाओं जैसे पानी और बिजली पर अनुचित बोझ डाल सकती हैं।

आगे की राह

- सरकार का लक्ष्य केवल झुग्गी वासियों के लिए घर बनाने पर न होते हुए, लोगों के लिए आजीविका विकल्प, सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने पर केन्द्रित होना चाहिए।
- प्रभावी शहरी नियोजन के लिए, अधिकारों पर आधारित आवास और जनसंख्या नीतियों और सभी स्तरों पर स्वच्छ वातावरण का अधिकार स्थापित किया जाना चाहिए। इन नीतियों को समावेशी शहरों और गरीबी उन्मूलन हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए।
- भविष्य की समस्याओं के निवारण के लिए लाभार्थियों के आय सृजन, परिवहन और सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- इन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर हल ढूँढ़ना होगा। आस-पास के क्षेत्र में अस्पताल, शौचालय और पाठशाला का इंतजाम करना चाहिए, जिससे इन बस्तियों के लोगों को मूलभूत सुविधाएँ मिल सकें। सबसे अच्छा समाधान तो यह होगा कि ऐसे लोगों को उनके मूल परिवेश में ही रोजगार मुहैया कराया जाए। इससे पलायन भी रूकेगा, वरना ये संख्या दिनो-दिन बढ़ती जायेगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।
- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

3. भारत में दुर्लभ रोग : चुनौतियाँ एवं समाधान

चर्चा का कारण

हर साल फरवरी के आखिरी दिन को दुर्लभ रोग दिवस (Rare Disease Day) के रूप में मनाया जाता है। दुर्लभ रोग दिवस 2019 की थीम है ब्रिजिंग हेल्थ एंड सोशल केयर (Bridging health and social care) अर्थात स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं की दूरी मिटाना। इसका मकसद ऐसे रोगों के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना है जिनके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बीमारियाँ बहुत कम लोगों को होती हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि इनके मरीजों और उनके परिवारों को कम तकलीफों का सामना करना पड़ता है, इसके अलावा इन्हें सामान्य रोगों से ग्रस्त लोगों से ज्यादा परेशानी होती है जिसकी तरफ सबका ध्यान खींचने की जरूरत है।

परिचय

इस समय दुनिया में लगभग 7000 ऐसे रोग हैं जिन्हें दुर्लभ माना जाता है। इनमें कुछ प्रचलित नाम हैं- सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। हटिन्गटन्स डिजीज, जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, जो मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। इन रोगों से जुड़ी एक समस्या यह भी है कि दुनियाभर में अन्य रोगों की तरह इनके लिए कोई एक नीति नहीं है। हर देश इन्हें अपने हिसाब से देखता है और तय करता है कि कोई रोग दुर्लभ कहा जाए या नहीं। इसीलिए जो रोग एक देश में दुर्लभ कहा जाता है जरूरी नहीं कि वह दूसरे देश में भी दुर्लभ माना जाए। जैसे यूरोप में मानक है कि अगर दो हजार लोगों में किसी एक व्यक्ति में कोई रोग पाया जाता है तो वह रोग दुर्लभ कहा जाएगा, वहीं अमेरिका में यह संख्या 1500 लोगों में एक है।

दुर्लभ रोगों के कारण

चिकित्सा विशेषज्ञों के मुताबिक, 80 प्रतिशत दुर्लभ रोगों की वजह आनुवंशिक होती है। बाकी दुर्लभ रोगों के कारण बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन और एलर्जी होते हैं। आंकड़े बताते हैं कि करीब 50 प्रतिशत दुर्लभ रोग केवल बच्चों को ही होते हैं। अलग-अलग दुर्लभ रोगों के लक्षण भी अलग होते हैं। विशेष बात यह है कि एक ही दुर्लभ रोग से ग्रस्त दो मरीजों के सभी लक्षण जरूरी नहीं कि एक जैसे हों। कुछ लक्षण तो इतने आम हैं कि रोग का पता लगने में काफी देर हो जाती है। इस वजह से इनका इलाज होने में भी दिक्कत होती हैं। दुर्लभ रोग रोगी के पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये रोग मरीज को अशक्त बना सकते हैं, धीरे-धीरे उनकी क्षमता खत्म कर सकते हैं यहां तक कि ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। जिससे रोगियों और उनके परिवारों के रोजमर्रा के जीवन में जटिलताएँ पैदा हो सकती हैं। चूंकि दुर्लभ बीमारियों के लिए बहुत कम या लगभग कोई मौजूदा इलाज या उपाय नहीं है, इसलिए रोगियों की पीड़ा और भी बढ़ जाती है।

सामाजिक विषमताएँ

चूंकि इन रोगों के बारे में समाज में अधिकांश लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है इसलिए इनके रोगियों को सामाजिक भेदभाव समेत ढेरों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन रोगों के बारे में चिकित्सा विज्ञान की सीमित जानकारी और शोध के अभाव भी समाज के इस रवैये के लिए जिम्मेदार हैं।

भारत में दुर्लभ रोगों का प्रसार

यह सर्वमान्य है कि अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में भी दुर्लभ रोगों को ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है साथ ही भारत में दुर्लभ रोगों से संबंधित कोई आँकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। आँकड़ों के अभाव में यह भी जानना मुश्किल है कि कितने लोग भारत में इस बिमारी से पीड़ित हैं और कितने लोगों की मृत्यु दुर्लभ रोगों के कारण हुई है। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों की बात करें तो प्रत्येक देश की जनसंख्या का 6% से लेकर 8% दुर्लभ रोग से पीड़ित है। अतः इसके आधार पर भारत में 72 मिलियन से लेकर 96 मिलियन लोग दुर्लभ रोगों से पीड़ित हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। हालाँकि भारत को स्वयं ऐसे आँकड़ों का संग्रह और प्रकाशन करना होगा ताकि इस रोग की गंभीरता को समझा जा सके।

तृतीयक श्रेणी के अस्पताल (जहाँ प्राथमिक एवं द्वितीयक श्रेणी के अस्पताल से इलाज न हो पाने के कारण भेजा जाता है) से उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार भारत में 450 प्रकार के दुर्लभ रोग पाए जाते हैं। इनमें अधिकतर संख्या हीमोफिलिया, थेलेसीमिया, सिकल-सेल एनिमिया, बच्चों में प्राथमिक इम्यूनो की कमी, लिसोसोमल स्टोरेज डिसआर्डर जैसे कि पोम्पे रोग, हिर्स्बसुंग रोग, गौचर रोग, सिस्टिक फाइब्रोसिस एवं हेमांगीओमास और अन्य प्रकार के पेशीय अपविकास के रोगों की है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दे के रूप में दुर्लभ बीमारी

दुर्लभ रोग एक जटिल मुद्दा है और इससे संबंधित चिकित्सीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी अभाव है। इनका प्रसार भी दिनोदिन बढ़ता जा रहा है और नए-नए दुर्लभ रोगों की पहचान भी की जा रही है। केवल कुछ ही दुर्लभ रोग के बारे में चिकित्सीय अनुसंधान किया जा रहा है जबकि कई दुर्लभ रोग अभी भी शोध से परे हैं।

दुर्लभ रोगों की पहचान

दुर्लभ रोगों की पहचान करने में वर्षों लग जाते हैं क्योंकि इससे संबंधित नैदानिक तौर-तरीके अपेक्षित नहीं हैं एवं चिकित्सकों में इससे संबंधित जानकारी का भी अभाव है। कई दुर्लभ रोगों के संबंध में ना तो कोई नैदानिक सिद्धांत ही विकसित हुए हैं ना ही कोई इलाज विकसित हुआ है। परंपरागत जीन परीक्षण तकनीक में एक समय में केवल कुछ ही जीन का परीक्षण किया जा सकता है। अतः यह चिकित्सकों के अनुमान पर ही निर्भर करता है कि किन जीनों का परीक्षण करना है। यदि परीक्षण असफल हुआ तो फिर से परीक्षण किया जाता है जो कि बहुत खर्चीला होता है साथ ही इसमें काफी समय लगता है।

दुर्लभ रोगों के बारे में सामान्य लोगों और चिकित्सकों में भी जानकारी का अभाव पाया जाता है। बहुत से चिकित्सकों के पास दुर्लभ रोगों का समुचित एवं समयबद्ध इलाज करने के लिए आवश्यक ट्रेनिंग एवं जागरूकता का अभाव होता है।

दुर्लभ रोगों के बारे में लोगों, रोगी एवं उनके परिवार एवं चिकित्सकों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। साथ ही चिकित्सकों को बेहतर प्रशिक्षण, बेहतर नैदानिक क्षमता एवं बेहतर नैदानिक उपकरण की भी आवश्यकता है।

परिभाषित करने की समस्या

दुर्लभ रोग के विषय में सुस्पष्ट परिभाषा के अभाव में भ्रम और संशय की स्थिति बनी रहती

है जिसके कारण इसके निदान और शोध में विलम्ब होता है।

एक शोध के अनुसार दुर्लभ रोग से संबंधित अधिकतर परिभाषाएँ बीमारी के प्रसार को ही शामिल करती हैं जबकि अन्य परिभाषाएँ बीमारी की गंभीरता को शामिल करती हैं। शोध में यह भी पाया गया है कि 30% परिभाषाएँ बीमारी की गंभीरता को ही शामिल करती हैं।

बीमारी को प्रसार के आधार पर ही परिभाषित करना परिभाषा निर्धारण का उचित मानक नही है क्योंकि ये किसी समय में जनसंख्या में हुए बदलाव को नहीं शामिल करता है। परिभाषा निर्धारण के अधिक विश्वसनीय दृष्टिकोण में अन्य तत्वों को भी शामिल करना होगा, जैसे–

- **स्थान:** एक बीमारी जो किसी देश में दुर्लभ है लेकिन दूसरे देश में सामान्य रूप से पायी जाती है।
- **दुर्लभता का स्तर:** कुछ बीमारियाँ जो असामान्य बीमारियों से भी अधिक दुर्लभ हैं।
- **अध्ययन योग्यता:** बीमारी के प्रसार के कारण इस पर किए जाने वाले शोध और अध्ययन।

अनुसंधान और शोध में उपस्थित चुनौतियाँ

अधिकतर दुर्लभ बीमारियों से संबंधित अनुसंधान और शोध में सबसे बड़ी चुनौती उस बीमारी के इतिहास का कम जानकारी होना है। दुर्लभ बीमारियों का इलाज इसलिए भी दुष्कर है क्योंकि इससे पीड़ित रोगियों की संख्या काफी कम है और उनका इलाज भी ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप इन रोगों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। चुनौतियाँ तब और कठिन हो जाती हैं जब दुर्लभ रोग बहुत ही घातक प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें काफी लंबे समय तक बीमारी को परीक्षण के लिए रखा जाता है लेकिन घातक होने के कारण शीघ्र ही रोगी की मृत्यु हो जाती है, फलत: इससे संबंधित आँकड़ों का मिलना कठिन हो जाता है।

इलाज में बाधाएँ

दुर्लभ रोगों के विषय में दवाओं की उपलब्धता काफी आवश्यक है ताकि रोग को दूर किया जा सके साथ ही इससे होने वाली मृत्यु दर को भी कम किया जा सके। पिछले कुछ वर्षों से इस क्षेत्र में हुई प्रगति के बावजूद प्रभावशाली एवं सुरक्षित इलाज का अभाव बना हुआ है। अत: रोग की पहचान हो जाने पर भी इसका उचित इलाज नहीं हो पाता है। दुर्लभ रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या काफी कम होने के कारण दवा उत्पादक कंपनियाँ इन रोगों के लिए दवाएं नहीं बनाती हैं क्योंकि इसकी बिक्री बहुत कम होती है। इसलिए उन्हें 'अनाथ रोग' भी कहा जाता है एवं इसकी दवाओं को 'अनाथ दवाएँ' कहते हैं। यदि दवाएँ बनाई भी जाती है तो उनका मूल्य काफी अधिक होता है।

सरकारी प्रयास

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रस्ताव है– 2025 तक सरकारी खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2–5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए और राज्यों को 2020 तक स्वास्थ्य पर अपने बजट का 8 प्रतिशत खर्च करना चाहिए। अभी राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर खर्च भिन्न–भिन्न है और अधिकांश राज्य स्वास्थ्य पर अपने बजट का पांच प्रतिशत खर्च करते हैं।
- दुर्लभ बीमारी वाले मरीजों के इलाज के लिए केंद्र सरकार नीति बनाने हेतु प्रयत्नशील है। अब इलाज करवाने का फैसला मरीज की आर्थिक स्थिति के बजाय यह देखकर किया जाएगा कि इलाज के बाद उसके सामान्य जीवन जीने की संभावना कितनी है। इलाज का खर्च और उसके परिणामस्वरूप मरीज को होने वाला फायदा भी देखा जाएगा।
- इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाएगी। उसके अध्यक्ष स्वास्थ्य महानिदेशक होंगे। यह कमेटी तय करेगी कि किस मरीज का इलाज करवाना है और वह भी किस स्तर से। दुर्लभ बीमारियों की इलाज के लिए खर्च किए जाने वाले स्वास्थ्य मंत्रालय के फंड में भी बढ़ोतरी की गयी है।
- मौजूदा समय में सिर्फ बीपीएल कैटेगरी वाले मरीजों को ही दुर्लभ बीमारियों के इलाज में मदद दी जाती है। कुछ विशेष मामलों में कोर्ट के निर्देश पर सामान्य परिवारों को भी मदद दी जाती रही है लेकिन अब सामान्य परिवारों को भी मदद देने का प्रस्ताव है।
- एक अनुमान के अनुसार, भारत में 450 दुर्लभ बीमारियों के करीब सात करोड़ मरीज हैं। इनमें 50% बच्चे हैं। इनमें से 35% मरीजों की मौत एक वर्ष की उम्र तक हो जाती है। 10% बच्चों की मौत एक से पांच वर्ष और 12% की मौत पांच से पंद्रह वर्ष के बीच हो जाती है।
- सरकारी अस्पतालों में सुविधा न होने की वजह से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर रहना पड़ता है। इन्हीं में से एक लायसोसोमल स्टोरेज डिस्ऑर्डर (एलएसडी) दुर्लभ बीमारी है, जिनकी पहचान आसानी से नहीं हो पाती।
- सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को 2025 आते–आते जीडीपी के 2–5 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में दवा और निदान मुफ्त निर्बाध रूप में मिले, इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नि:शुल्क औषध का कार्यान्वयन कर रहा है।

दुर्लभ रोग के लिए राष्ट्रीय नीति

दुर्लभ रोग की दवाओं की ऊँची कीमतों के कारण इससे पीड़ित रोगियों के परिवार ने न्यायालय से यह अनुरोध किया कि वह सरकार को यह निर्देश दे कि इससे संबंधित दवाएँ मुफ्त में रोगियों को प्रदान की जाय। फलत: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को दुर्लभ रोग के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्य किसी को जीवन के अधिकार से वंचित केवल इस आधार पर नहीं कर सकता है कि वह दुर्लभ रोग से पीड़ित है। उपर्युक्त पृष्ठभूमि के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग दुर्लभ रोग के लिए एक राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं–

- दुर्लभ रोग से पीड़ित रोगी (जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं) को सरकारी अस्पताल में मुफ्त में दवाईयाँ एवं सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के अन्तर्गत एक दुर्लभ रोग विकास की स्थापना की जाएगी एवं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को इस विभाग की नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए 100 करोड़ रुपये के वित्तीय कोष की स्थापना की जाएगी जिसमें केन्द्र सरकार की भागीदारी 60% की जबकि राज्य सरकार की 40% भागीदारी होगी।
- भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) में दुर्लभ रोग से पीड़ित रोगी के पंजीकरण की व्यवस्था की जाए।
- लोगों में दुर्लभ रोगों के बारे में जागरूकता का प्रसार किया जाय तथा चिकित्सकों को

इन रोगों से संबंधित उचित प्रशिक्षण प्रदान किए जाए।

राष्ट्रीय नीति का विश्लेषण

- इस राष्ट्रीय नीति में दुर्लभ रोगों को परिभाषित नहीं किया गया है साथ ही 100 करोड़ रुपये की निधि की व्यवस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत की गई है। इससे स्पष्ट है की दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए अलग से कोई निधि निर्धारित नहीं की गई है।
- इसी प्रकार दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए यह तय नहीं किया गया है कि लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग होंगे या गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन करने वाले होंगे।

आगे की राह

दुर्लभ रोगों को रोकने के लिए जो उपाय अपनाये गये हैं वो पर्याप्त नहीं हैं। हालाँकि ये रोग अन्य रोगों की तरह आमतौर पर नहीं पाये जाते हैं, इसलिए डॉक्टर भी इसके बारे में अनिभज्ञ होते हैं जिस कारण वे या तो गलत इलाज कर देते हैं या इलाज ही नहीं करते हैं। इस बीमारी की रिकॉर्ड काफी कम दर्ज की गई है जिसके वजह से इस रोग को समझने और उसके उपचार के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। गौरतलब है कि उपेक्षा के इस दुष्चक्र को सरकारी सहायता से ही दूर किया जा सकता है।

दुर्भाग्यवश भारत की अब तक की उपेक्षित दुर्लभ रोग नीति ने इसको ठोस आधार प्रदान किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य संख्याओं का खेल है, जीवन का नहीं जो कि उचित नहीं है। दुर्लभ रोगों के निदान हेतु सरकार को अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर बल देना चाहिए जिससे कि राज्य के अपने नागरिकों के साथ समान व्यवहार करने के कर्त्तव्य पूरा हो सके।

सरकार को एक नई नीति बनानी चाहिए जो विभिन्न आधारभूत तथ्यों पर आधारित हो। दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए सरकार को धन आवंटित करना चाहिए। दुर्लभ रोगों मे से केवल 5 प्रतिशत ही इलाज योग्य है, जिस कारण सरकार की दुर्लभ रोग नीति के लिए यह बताना बेहद मुश्किल होता है कि सबसे कम प्राथमिकता उन रोगों के लिए धन आवंटित करना है जिनका इलाज नहीं किया जा सकता है।

सरकार की एक नई और समावेशी दुर्लभ रोग नीति के लिए, उपचारों के विकास के लिए तथा अनुसंधान हेतु पर्याप्त धन आवंटित करना चाहिए जिससे आम तौर पर विभिन्न दुर्लभ रोगों का इलाज किया जा सके। अत्यधिक शोध एवं विकास भी चिकित्सा के क्षेत्र में दुर्लभ रोगों हेतु अधिक रुचि, इलाज में बढ़ती दरों और चिकित्सा देखभाल में आमूलचूल बदलाव लाएगा।

सरकार को बाजार प्रणाली पर दुर्लभ रोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, गैर-भेदभावपूर्ण आदर्शों पर एक नई नीति स्थापित की जानी चाहिए। समस्त दुर्लभ रोगों से ग्रस्त मरीजों के जीवन को क्षति किए बिना नीति निर्माताओं को वित्तीय समस्याओं को दूर करना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

■

4. भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सरकार के कार्यों का मूल्यांकन

चर्चा का कारण

वर्तमान सरकार का 5 वर्षों का कार्यकाल अब लगभग पूर्ण हो चुका है। अगली सरकार के लिए चुनाव भी अब आखिरी दौर में है। ऐसे में सरकार के विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन जनता के सामने आ रहा है। जहाँ एक ओर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को सकारात्मक बता रही है, वहीं विपक्षी दल सरकार पर बैंक घोटाले, रक्षा खरीद घोटाले आदि का गंभीर आरोप लगा रहे हैं।

भ्रष्टाचार क्या है?

संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है जो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को कमजोर करता है। आज के समय में भ्रष्टाचार से कोई देश, क्षेत्र या समुदाय बचा नहीं है। यह दुनिया के सभी हिस्सों में फैल गया है चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक हो। साथ ही यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को भी कमजोर करता है, सरकारी अस्थिरता में योगदान देता है और आर्थिक विकास को भी धीमा करता है।

भ्रष्टाचार के संबंध में हाल ही के वर्षों में जागरूकता बहुत बढ़ी है जिसके कारण भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम 1988, सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार-2005 आदि बनाने के लिए सरकारे बाध्य हुईं हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की मजबूत पहल

भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा की गई पहल कोई नया नहीं है बल्कि सरकार इस दिशा में एक लंबे समय से संघर्ष कर रही है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, एक स्वतंत्र केंद्रीय सतर्कता आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, लोकपाल एवं लोक आयुक्त अधिनियम 2013, व्हिसल ब्लोअर्स सुरक्षा अधिनियम 2011, काला धन एवं मनी लॉड्रिंग निरोधक अधिनियम, बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम सहित एक मजबूत और समय-समय पर आजमाये गए संस्थागत एवं विधायी ढाँचे के नेतृत्व में देखा जा सकता है। इन प्रयासों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रयासों का वर्णन निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है-

- भारत में प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1947 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम बनाया। साथ ही विभिन्न नियमावली भी तैयार की जैसे- अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1954 एवं केंद्रीय नागरिक सेवा नियम 1956 आदि।
- इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण घटना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना है जो वर्तमान में भारत में भ्रष्टाचार मामलों के लिए यह मुख्य एजेंसी है।
- इसके अलावा सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तथा ईमानदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की। यह एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त संस्थान है।
- ज्ञातव्य है कि सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के माध्यम से निवारक सतर्कता को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। सीवीसी द्वारा कई निवारक सर्तकता उपाय लागू किए गए हैं।
- गवर्नमेंट-ई-मार्केट (जीईएम) जैसे उपायों ने

सार्वजनिक खरीद में जवाबदेही को बेहतर बनाने में मदद की है।

- सीवीसी ने ई-संकल्प के जरिये भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन उत्पन्न करने का भी प्रयास किया है।
- सरकार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम का प्रावधान किया गया है। आरटीआई अधिनियम की वजह से शासन में पारदर्शिता आई है। सूचनाओं को साझा करने के कारण नागरिक राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बन गए हैं जिसकी वजह से नागरिकों तथा सरकार के बीच भरोसा पैदा हुआ है।
- सरकार ने लेखा परीक्षण एवं लेखांकन प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने का प्रयास किया है। वित्तीय शासन के क्षेत्र में लागू कुछ बड़े बदलावों में रेल बजट एवं आम बजट का एकीकरण, योजना एवं गैर योजना व्ययों का विलय, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए कई क्षेत्रों को खोलना एवं वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लागू करना शामिल है।
- शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को फंड के प्रवाह को देखते हुए नियंत्रक और महालेखा परीक्षण (सीएजी) ने उनके लेखा परीक्षण की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की है। सीएजी ने टैक्स फाइलिंग, आकलन तथा वसूली प्रक्रियाओं के बढ़ते ऑटोमेशन से उत्पन्न डिजिटल सूचना की बड़ी मात्रा पर भी ध्यान केन्द्रित किया है।
- हाल के वर्षों में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में शासकीय कर्मचारियों द्वारा प्रमाण पत्र जमा किए जाने के लिए प्रमाणन/प्रमाणीकरण प्रणाली को समाप्त किया जाना, निम्न स्तर के पदों पर भर्ती के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार की आवश्यकता को समाप्त करना तथा 50 वर्ष से अधिक उम्र के अक्षम तथा संदिग्ध आचरण वाले सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति समय से पूर्व ही सेवा से हटा देना शामिल है।
- भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार का सबसे कारगर तरीका लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी का सीधे उनके बैंक खातों में जाना है। जैसे-गैस सिलेंडर, फर्टिलाइजर व कृषि संबंधी ऋण।
- सरकार द्वारा उठाया गया एक अन्य अहम कदम भीम (भारत इंटरफेस फॉर मनी) को लागू करना था जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन है। भीम एप्लीकेशन बैंकों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से ई-भुगतान की सुविधा प्रदान करता है और इसका उपयोग सभी मोबाइल उपकरणों पर किया जा सकता है। इस प्रकार सामूहिक रूप से मिल कर जन धन योजना आधार अधिनियम और भीम एप्लीकेशन ने एक स्मार्ट गवर्नमेंट उपलब्ध कराया है जहाँ सब्सिडी प्रवाह समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से लाभार्थी तक पहुँच जाता है।
- काले धन से लड़ने के लिए एक विशेष जाँच टीम का गठन किया गया साथ ही उच्च मूल्य वाली करेंसी का विमुद्रीकरण किया गया।
- सरकार ने कोयला ब्लॉकों के लिए ऑनलाइन नीलामी का भी संचालन किया। सरकार ने यूरोप एवं कर छूट (टैक्स हेवेन्स) प्राप्त अन्य देशों में कर छूट की प्रणाली को समाप्त करने के लिए जी-20 की बैठकों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी मांग की।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का प्रावधान किया गया है जो भ्रष्टाचार की रोकथाम को और मजबूत बनाने का कार्य करता है।
- देश में व्हिसल ब्लोअर्स को वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने 2015 में व्हिसल ब्लोअर्स अधिनियम में संशोधन किए हैं। इन संशोधनों में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चिंताओं पर ध्यान दिया गया है और खुलासों, जो देश की संप्रभुता और अखंडता को पूर्वाग्रह पूर्ण तरीके से प्रभावित कर सकते हैं, के खिलाफ सुरक्षापायों को मजबूत बनाया गया है।
- बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 को मजबूत बनाने के लिए उसमें संशोधन किया गया जिससे कि आयकर अधिकारियों को बेनामी संपत्तियों को संलग्न करने तथा जब्त करने के लिए अधिकार संपन्न बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा बेनामी लेन-देन के अपराध के मामले में दोषी पाया गया तो उसे सश्रम करावास की सजा दी जाएगी तथा उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। इस संशोधित कानून के अस्तित्व में आने के बाद से कई बेनामी संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है।
- हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2018 के अनुसार, भारत ने 41 अंक हासिल कर 180 देशों में 78वां स्थान हासिल किया है। जबकि वर्ष 2017 के सूचकांक में वह 40 अंक के साथ 81वें स्थान पर था।

सरकार के ऐसे कार्य जिससे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कमजोर हुई

हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों और संस्थानों पर लगातार सवाल उठाये गए हैं। भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों और संस्थानों की खामियों को निम्न बिन्दुओ के अंतर्गत देखा जा सकता है -

- 2015 में, सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव दिया। संशोधन विधेयक, जिसे बाद में संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था, भ्रष्टाचार की परिभाषा को कमजोर करता है तथा भ्रष्टाचारियों को दंडित करने के लिए आवश्यक सबूतों के बोझ को बढ़ाता है।
- वर्तमान प्रावधानों के तहत जाँच एजेंसियों को सरकार से पूर्व मंजूरी के बिना भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू करने से रोक दिया गया है।
- लोकपाल कानून एक स्वतंत्र और सशक्त भ्रष्टाचार-विरोधी लोकपाल की स्थापना के लिए बनाया जाना था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भय या पक्षपात के बिना काम कर सके लेकिन सरकार ने 2019 में लोकपाल को नियुक्त किया।
- सरकार नियमों को बढ़ावा देने और व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2014 का संचालन करने में भी विफल रही है। वर्तमान प्रावधानों के तहत भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी रहेगी कि वह साबित करे कि आरोपी व्यक्ति भ्रष्टाचारी है यह साबित न होने पर अरोप लगाने वाला व्यक्ति दंड का भागी होगा।
- सूचना के अधिकार (आरटीआई) के कई उपयोगकर्ता जिन्होंने समय-समय पर भ्रष्टाचार उजागर किया है उनकी हत्याएँ बढ़ी हैं।
- भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से लड़ने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक, आरटीआई अधिनियम है जो लगातार कमजोर हुआ है।
- भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी लड़ाई में एक बड़ा मुद्दा राजनीतिक दलों को आरटीआई में लाने का भी है। केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सभी दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का आदेश जारी किया था, किन्तु बाद में राजनीतिक दल इस मसले

पर कोर्ट गए। हालाँकि कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया लेकिन सुनवाई जारी है। हालांकि किसी भी राष्ट्रीय दल ने आरटीआई के तहत जानकारी देने से इनकार किया है।

- इलेक्ट्रोरल बॉण्ड सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लडाई को कमजोर करती है। संसद में मनी बिल के रूप में पारित इलेक्ट्रोरल बॉण्ड योजना से नागरिकों को यह पता लगाने में मुश्किल होती है कि कौन व्यक्ति राजनीतिक दलों को कितना धन दे रहा है।
- नोटबंदी के अनुभव पर नजर डाला जाए तो सरकार का दावा है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उठाया गया यह सबसे बड़ा कदम है, लेकिन इसकी निरर्थकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए रिश्वत देने का सिलसिला अभी तक थमा नही है।
- सिटिजन चार्टर बिल यूपीए सरकार ने 2013 में संसद में पेश किया था। सरकार बदलने के बाद यह बिल रद्द हो गया। सरकार ने नया बिल लाने का वादा भी किया लेकिन अब तक इस दिशा में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। उल्लेखनीय है कि इस बिल के लागू होने से आम लोगों तक सरकारी सुविधा तय समय में बिना भ्रष्टाचार के पहुंच पाएगी और ऐसा नहीं होने पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकेगी।

भ्रष्टाचार का प्रभाव

किसी भी देश या समाज में व्यक्ति को अधिकार है कि उसे भ्रष्टाचार-मुक्त ऐसी शासन व नागरिक व्यवस्था मिले जहाँ वह अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। एक ऐसी शासन व न्यायिक व्यवस्था जिसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, वहाँ कोई भी व्यक्ति न तो उपलब्ध अधिकारों का उपयोग कर सकता है और न ही देश या समाज के विकास में योगदान दे सकता है। इस तरह देश और व्यक्ति दोनों ही विकास की दौड़ में पिछड़ जाते हैं।

जहाँ भ्रष्टाचार के कारण देश के राष्ट्रीय चरित्र का हनन होता है, वहीं देश के विकास की समस्त योजनाओं का उचित पालन न होने के कारण जनता को उसका लाभ भी नहीं मिल पाता। जो ईमानदार लोग होते हैं, उन्हें भयंकर मानसिक, शारीरिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक दशाओं का सामना करना पड़ता है।

भ्रष्टाचार ने सबसे ज्यादा गरीबों का प्रभावित किया है। गरीबों को मूलभूत सुविधाओं के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट बताती है कि सार्वजनिक सेवाओं को हासिल करने के लिए 10 में से 7 लोग रिश्वत देते हैं। इसके अलावा समस्त प्रकार के करों की चोरी के कारण देश को भयंकर आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है।

भ्रष्टाचार को लेकर अन्य देशों की वर्तमान स्थिति

- भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 39 अंकों के साथ चीन 87 वें स्थान पर, 38 अंक के साथ श्रीलंका और इंडोनेशिया 89 वें स्थान, 35 अंकों के साथ 105 वें स्थान पर, 33 अंकों के साथ पाकिस्तान 117 वें स्थांन पर, 31 अंकों के साथ नेपाल और मालदीव 124 वें स्थान पर, 29 अंकों के साथ म्यांमार 132 वें स्थान पर हैं।
- सूचकांक के अनुसार सबसे भ्रष्ट देश सोमालिया है, सोमालिया के बाद दक्षिणी सूडान और सीरीया को सबसे भ्रष्ट बताया गया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया में डेनमार्क में सबसे कम भ्रष्टाचार है। डेनमार्क को सबसे बेहतर रैंक दी गई है। उसे 88 अंक दिये गये हैं।

भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर सुझाव

भ्रष्टाचार अपने-आप में एक गंभीर चुनौती है जो आज तक बनी हुई है। इस संबंध में यहाँ कुछ सुझावों को अमल में लाया जा सकता है-

- सत्ता में सामान्य जनता की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए जिससे सरकारी कामकाज में ज्यादा से पारदर्शिता आ सके।
- भ्रष्टाचार और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जनता को ज्ञान प्रदान करने के लिए विभिन्न संगोष्ठियों, अभियानों, नाटकों इत्यादि का आयोजन किया जाना चाहिए।
- पत्रकारों की सुरक्षा एवं बिना किसी भय के उनकी कार्य करने की क्षमता को सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्वतंत्र मीडिया का समर्थन किया जाना चहिए।
- हमें उन लोगों को समर्थन और प्रोत्साहित करना चाहिए जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई हो। साथ ही, हमें विभिन्न विभागों के कामकाज में पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए।
- आजकल, सोशल मीडिया संदेश फैलाने, लोगों को प्रोत्साहित करने और जहाँ भी भ्रष्टाचार होता है, देश के हर कोने से जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः इसको प्रोत्साहित करना चाहिए।
- लोकपाल के दायरे में सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ एनजीओ, सिविल सोसाइटी, मीडिया और कारपोरेट जगत को भी लाया जाना चाहिए।
- एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जो अनिवार्य करे कि सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान, मेयर, पार्षद, सरकारी कर्मचारी, वकील, शिक्षक, डाक्टर, पत्रकार और कॉर्पोरेट कंपनियों में काम करने वाले अपने साल भर की कमाई की जानकारी सरकार को दें।
- अगर देश का शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो वह नौकरशाही और नीचे के भ्रष्टाचार पर भी रोक लगा सकेगा। यह प्रक्रिया नीचे से ऊपर की तरफ कारगर नहीं हो सकती। इसलिए बड़े-बड़े भव्य मंचों से जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बातें करते हैं, उन्हे और उनके करीब के लोगों को भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त होना होगा।
- राजनीतिक दलों के खातों को भी अब सूचना के अधिकार के तहत कर दिए जाने चाहिए ताकि गलत तरीके से आया हुआ धन आसानी से पकड़ में आ सके।
- देश के सुरक्षा-बजट खर्च में पारदर्शिता होनी चाहिए। दरअसल समय-समय पर सेना के लिए खरीदे गए हथियारों और अन्य चीजों पर सवाल उठते रहते हैं। इसलिए जरूरी है कि यहां भी पूरी तरह से पारदर्शिता हो।
- भ्रष्टाचार के खात्मे में मजबूत न्यायिक व्यवस्था और मानवाधिकार आयोग जैसे निकाय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
- इस दिशा में न्यायिक सुधार करने की बहुत जरूरत है। भ्रष्टाचार के मामले सालों कोर्ट में पड़े रहते हैं जिससे भ्रष्टाचारियों को ताकत मिलती है। भ्रष्टाचार से संबंधित केसों का फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- डिजिटलाइजेशन से तहसीलों में हो रहे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है। दरअसल खेत-खलिहानों के रिकार्डस को डिजिटलाइज

से कोई व्यक्ति कहीं बैठ कर इंटरनेट की मदद से रिकार्डस को देख सकता है।

- पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ भी किसान कम ही उठाते हैं। इसका फायदा रंग और पेन्ट्स बनाने वाली फैक्ट्रियाँ अधिक उठाती हैं। अगर किसानों को सीधे यह सब्सिडी की राशि उनके खातों में दिया जाए तो वे बिचौलियों से बच सकेगें।
- भ्रष्टाचार बढ़ने का मात्र एक अन्य कारण है भ्रष्टाचार का साथ देना है। भले ही किसी कार्यालय में हमारा कोई कार्य पूर्ण हो या ना हो हमें कदापि भ्रष्टाचार का साथ नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए और लोगों को इसके विषय में जागरूकता प्रदान करना चाहिए।

आगे की राह

हमारी परंपरा, हमारी सांस्कृतिक विरासत हमारे अंदर मूल्य-बोध का सृजन करती है। सही-गलत की इसी समझ को बाद में समाज के नियामक कानूनी शक्ल दे देते हैं। चोरी अपराध है, यह भावबोध पहले समाज के मन में घर करता है, तभी वह कानूनी शक्ल में भी प्रभावी होता है। इसलिए कानून बना कर या फिर भ्रष्ट व्यक्ति को दंड देकर ही हम भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगा सकते। इसके लिए जरूरी है कि हम जीवन मूल्य के रूप में ईमानदारी के फिर से प्रतिष्ठित करें व नैतिक शिक्षा पर बल देते हुए इसे अमल में लाएँ।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक घोषणा-पत्र, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय।

■

5. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक : मानव संसाधन में सहायक या बाधक

चर्चा का कारण

हाल ही में देखा गया है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री की वजह से भारत में जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग हुआ है शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ होगा। आज बाजार के लगभग हर मिड रेंज स्मार्टफोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले फीचर देखने को मिल रहे हैं और यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्लाउड कम्प्यूटिंग जैसे टेक्नोलॉजी का प्रसार बढ़ेगा।

क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है, जिसमें एक कंप्यूटर अपने प्रोग्राम में दिए जा रहे निर्देशों को समझने के बाद उन्हें संरक्षित करता है और उनके आधार पर भविष्य की जरूरतों को समझते हुए निर्णय लेता है या फिर उसके अनुसार काम करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिये अब मशीनों के बीच संवाद करना भी मुमकिन हो गया है। वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रोबोटिक्स की दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इस तकनीक की वजह से अब रोबोट में चीजों को सीखने की क्षमता आ गयी है। अब रोबोट कुछ काम करने का निर्णय खुद ही ले सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत स्पीच रिकग्निशन, विजुअल परसेप्शन, लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन और डिसीजन मेकिंग आदि का वर्णन किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना जॉन मैकार्थी (John McCarthy) ने की थी, उनके दोस्तों मार्विन मिंस्की, हर्बर्ट साइमन, ऐलेन नेवेल ने मिलकर शुरूआती कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विकास और शोध कार्य किया था।

जब जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करना शुरू किया तब यह तकनीक विकसित नहीं थी लेकिन समय के साथ तकनीक, एल्गोरिथम, कम्प्यूटरिंग पावर और स्टोरेज में सुधार के चलते आज यह काफी लोकप्रिय और कामयाब हो गयी है।

विदित हो कि 1950 के दशक में शुरू हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 1970 के दशक में लोकप्रियता मिली जब जापान ने इस पर पहल की। 1981 में जापान ने 5^{th} जेनरेशन योजना की शुरूआत की, इसमें सुपर कम्प्यूटर के विकास के लिए दस वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। इसके बाद ब्रिटेन ने एल्वी नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया बाद में यूरोपीय संघ ने एस्प्रिट (ESPRIT) नामक कार्यक्रम की शुरूआत की।

1983 में कुछ निजी संस्थानों ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों का विकास करने के लिए एक संघ माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की।

ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार

वैज्ञानिकों ने समय के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग-अलग तरीकों और रूपों का विकास किया। वैसे तो ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत से भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन सामान्यतः इनके दो प्रमुख प्रकार हैं-

1. **कमजोर एआईः** इसे इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि ये केवल एक टास्क ही करने में सक्षम होता है। एप्पल का सिरी (Siri) और गूगल का वॉयस सिस्टम इसके उदाहरण हैं।
2. **शक्तिशाली एआईः** इस प्रकार के सिस्टम में सामान्यीकृत मनुष्य की बुद्धिमता होती है, जिससे कि समय आने पर कोई भी मुश्किल टास्क कर सके और उसका हल निकाल सकें। इसे चार भागों में बाँटा गया है-
    - **प्रतिक्रियाशील मशीनेंः** यह मशीनें सिर्फ दिए गए कामों को करने में ही सक्षम होती हैं तथा यह अन्य कार्य नहीं कर सकती हैं।
    - इसी तरह वैज्ञानिकों ने **सीमित मेमोरी** का विकास किया जो प्री प्रोग्राम नॉलेज और ऑब्जरवेशन करके अपना काम करती हैं। इस तरह के मशीनों में जो निर्देश डाले जाते हैं उन्हीं के आधार पर यह फैसला लेती हैं।
    - कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों का विकास मस्तिष्क के सिद्धांत के आधार पर भी करने की कोशिश हो रही है। इस तरह की मशीनें लोगों की भावनाएँ और उनके व्यवहार को समझने में सक्षम होंगी।
    - वर्तमान में आत्म जागरूकता के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन तैयार

करने की कोशिश हो रही है। यह मशीनें इंसानों के अंदर की भावनाओं की पहचान करने में सक्षम होंगी। जैसे-जैसे कम्प्यूटर साइंस और तकनीक का विकास हो रहा है, वैसे-वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी नए-नए प्रयोग हो रहे हैं। आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई चीजें देखने को मिल सकती हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्त्व

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- एआई में होने वाले विकास का बड़ा फायदा चिकित्सा क्षेत्र को मिल सकता है। ऑपरेशन जैसे कामों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी कारगर साबित हो सकती है। इससे कम समय में ज्यादा लोगों का इलाज संभव हो सकता है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में जहाँ कनेक्टिविटी की समस्या तथा स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इलाज किया जा सकता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कीटनाशकों तथा उर्वरकों के दुरुपयोग जैसी चुनौतियों का समाधान करने की भी क्षमता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेस का सबसे बड़ा फायदा विनिर्माण और उत्पादन से जुड़े क्षेत्रों को होने वाला है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में इन क्षेत्रों से कई कंपनियों ने एआई से जुड़े रिसर्च पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। दरअसल, एआई मशीन द्वारा गलतियों की गुंजाइश कम होती है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि मशीनों को लंबे समय तक काम में लगाया जा सकता है।
- सुरक्षा दृष्टिकोण से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्त्व बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए सेना के जवानों की जगह रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- वर्तमान में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में धोखाधड़ी का पता लगाने, वित्तीय लेन-देन में होने वाली अनियमितता, ट्रेडिंग पैटर्न पर निगरानी जैसे मामलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- घर के रोजमर्रा के काम के लिए जैसे सफाई, इलेक्ट्रिसिटी के काम या कुकिंग आदि के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है।
- खुदरा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग व्यक्तिगत सुझाव, इमेज आधारित उत्पाद की खोज करने आदि में किया जा सकता है।
- स्कूल और कॉलेजों में लेक्चर देने तक के काम एआई के जरिए किए जा सकते हैं।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक वृद्धिशील मूल्य प्रदान करने की क्षमता रखता है।
- वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग संस्थानों द्वारा डेटा को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए एआई का उपयोग किया जा रहा है। स्मार्टकार्ड सिस्टम में भी एआई का इस्तेमाल किया जाता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम ऐसे अनेक कामों को भी कर सकते हैं जो मनुष्य नहीं कर सकता है। समुद्र तल की गहराई में खनिज, पेट्रोल, और ईंधन की खोज का काम, गहरी खानों में खुदाई का काम बहुत कठिन और जटिल होता है। समुद्र की तलहटी में पानी का गहन दबाव होता है। ऐसे में एआई की सहायता से ईंधन की खोज की जाती है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित उपयोग में, स्वचालित ड्राइवर ऑटोनोमस ट्रैकिंग और डिलीवरी तथा बेहतर यातायात प्रबंधन आते हैं।
- ऊर्जा क्षेत्र में इसके संभावित उपयोग से बिजली संतुलन एवं उपयोग दक्षता में वृद्धि होती है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, शतरंज जैसे खेलों की तस्वीरें लेने में प्रमुख रूप से किया जा रहा है।
- नए विकसित स्मार्ट शहरों और बुनियादी ढाँचे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा यह जीवन को उच्च गुणवत्ता प्रदान कर सकता है।
- अंतरिक्ष से जुड़ी खोजों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे और इसकी सीमाएँ

- इसमें कोई दो राय नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे रहने और कार्य करने के तरीकों में बड़ा परिवर्तन लाने जा रहा है। रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों द्वारा अब उत्पादन और निर्माण के क्षेत्रों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल सकती है। फैक्ट्री, कारखानों, बैंकों में इसका व्यापक इस्तेमाल करने से हजारों लोगों की नौकरी छिन सकती है। विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा हाल ही में 'द फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2018' रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2025 तक 50% से अधिक नौकरियों पर स्वचालित मशीनों का कब्जा होगा।
- ऑटोमेशन (रोबोट क्रांति) के आने से जिन नौकरियों के खत्म होने की उम्मीद है, उनमें डेटा एंट्री क्लर्क, अकाउंटिंग क्लर्क जैसे व्हाइट कॉलर (White Color) जॉब शामिल हैं। भारत में भी इसका प्रभाव नजर आने लगा है। उदाहरण के तौर पर देखें तो कुछ भारतीय बैंकों द्वारा कार्यस्थल में एआई मशीनों के इस्तेमाल के कारण इस क्षेत्र की नौकरियों में सात फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।
- बहुत अधिक संभावना है कि इसके व्यापक इस्तेमाल से हम पूरी तरह "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" पर ही आश्रित हो जायें और अपनी रचनात्मक शक्ति को कम कर बैठें।
- इस बात की सम्भावना है कि इसकी मदद से मशीनें स्वचालित हथियार बना लें जो खुद ही समूची मानव जाति का नाश कर दें।
- विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने-समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगें, तो मानवता के लिये खतरा पैदा हो सकता है।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में जिस स्तर का विकास होता जा रहा है, उस स्तर पर अपनी तरह की नई चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं। उदाहरण के लिए वॉइस रिकग्नाइजेशन वाली मशीनों में यूजर की प्राइवेसी सार्वजनिक हो जाने का खतरा बना रहता है।
- बैंक, एटीएम, अस्पताल, फैक्ट्री किसी भी जगह एआई से युक्त मशीन लगाना बहुत महँगा पड़ता है। इसके खराब हो जाने पर इसको ठीक करना भी आसान नही होता है तथा इनका रखरखाव भी बहुत खर्चीला होता है।
- भावना या नैतिक मूल्य मशीनों में मौजूद नहीं होता है, वो सही और गलत काम में अंतर नहीं कर पाता है।

- विपरीत परिस्थितियाँ होने पर "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" तकनीक से युक्त मशीनें फैसला नहीं ले सकती हैं।

भारत की स्थिति

रोबोटिक्स, वर्चुअल रियल्टी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग और अन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर भारत में निकट भविष्य में चौथी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होने की संभावनाएँ तलाशी जाने लगी हैं। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थिति को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है-

- इस समय हमारे देश में लगभग 40-42 हजार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। भारत में बैंगलोर शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख केंद्र बन गया है।
- भारत में लगभग 1 हजार कंपनियाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने प्रतिदिन के कार्यों में कर रही हैं।
- आज समावेशी वित्तीय विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक काफी हद तक कारगर साबित हो रही है।
- वहीं किसानों को समय पर सलाह प्रदान करने और बढ़ती उत्पादकता की दिशा में अप्रत्याशित कारकों को संबोधित करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी मददगार रहा है।
- गौरतलब है कि नैसकॉम और फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से भारत के कुछ प्रमुख औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में तकनीकी विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। ज्ञातव्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आईटी, रिटेल, फाइनेंस, टेक्सटाइल और ऑटो सेक्टर में बड़ी संख्या में नौकरियाँ सृजित होंगी।
- वैश्वीकरण के दौर में आज भारत की ई-कॉमर्स कंपनियाँ उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रही हैं।
- आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पादन के परंपरागत कारकों जैसे श्रम, पूँजी और नवाचार में परिवर्तन लाकर उत्पादकता में वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में इस तकनीक के द्वारा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम लोगों की पहुँच बढ़ रही है।
- हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च रिपोर्ट में G-20 के कुछ देशों के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन किया गया जिसमें बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भारत की वार्षिक वृद्धि दर 2035 तक 1.3 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
- आजकल गूगल, फेसबुक और लिंक्डइन जैसी तकनीकी क्षेत्र की अग्रणी कंपनियाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में निवेश कर रही हैं और लोगों को रोजगार का अवसर भी मुहैया करवा रही हैं।

सरकारी प्रयास

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित प्रौद्योगिकियों का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।
- इसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त शिक्षाविदों तथा उद्योग जगत के भी प्रतिनिधि शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बिग डाटा इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, रियल टाइम डाटा और क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में शोध, प्रशिक्षण, मानव संसाधन और कौशल विकास को बढ़ावा देने की योजना बना रही है।
- वर्तमान बजट में सरकार ने 5th जेनरेशन टेक्नोलॉजी (5th Generation Technology) स्टार्ट अप के लिये 480 मिलियन डॉलर का प्रावधान किया है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3डी प्रिंटिंग और ब्लॉक चेन शामिल है। केंद्र सरकार का थिंकटैंक नीति आयोग जल्दी ही राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम (National Artificial Intelligence Program- NAIP) की रूपरेखा तैयार करेगा।
- ज्ञातव्य है कि नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा देश में व्यवसाय करने के तरीके को बदलने, गूगल के साथ नीति आयोग की साझेदारी से कई प्रशिक्षण पहलें शुरू करने जा रही हैं जिससे स्टार्टअप को समर्थन मिलेगा और पीएच.डी. छात्रवृत्ति के माध्यम से एआई अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा।
- केंद्र सरकार ने 7-सूत्री रणनीति तैयार की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिये भारत की सामरिक योजना का आधार तैयार करेगी जिनमें प्रमुख हैं-
    - मानव व मशीन की आपसी बातचीत के लिये विकासशील विधियाँ बनाना।
    - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में शोध और विकास को बढ़ावा देना।
    - एआई प्रणाली में सुरक्षा सुनिश्चित करना।
    - एआई के अनुप्रयोग के लिए नैतिक, विधिक एवं सामाजिक पहलुओं पर ध्यान देना।
    - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
    - एआई तकनीक का मूल्यांकन करना।
- सरकार ने उद्योग जगत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिये एक मॉडल बनाने में सहयोग करने की अपील भी की है।

आगे की राह

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि एआई का बाजार 2020 में 153 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। इस संदर्भ में भारत सरकार को ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए जिससे शोध के साथ नई नौकरियों का सृजन भी हो सके। विश्लेषकों का मानना है कि एआई का चिंतनीय पहलू यह है कि यह मशीनें स्वयं सिखने और स्वयं को सुधारने में सक्षम हो जाएंगी और इतनी तेज गति से सोचने, समझने या काम करने लगेगी कि मानव विकास का पथ बदल जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि एआई पर निर्भरता मनुष्यों के लिए ठीक नहीं होगी साथ ही इस बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पायी है कि अगर यह मशीनें स्वयं ही निर्णय लेने लगेगी तो उन पर नियंत्रण कौन कर पायेगा। ऐसे में इनके इस्तेमाल से पहले लाभ और हानि दोनों पहलुओं को संतुलित करने की आवश्यकता है। अतः इस संदर्भ में और ज्यादा शोध व अध्ययन की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।
- सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

■

6. भारत में ठोस अपशिष्ट : एक बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता

चर्चा का कारण

हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने कुम्भ मेले के समापन के बाद प्रयागराज में जमा हुए ठोस कचरे के निदान के प्रयासों पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। साथ ही एनजीटी ने कहा है कि ठोस अपशिष्ट कचरे के कारण प्रयाग शहर महामारी के कगार पर पहुँच गया है।

एनजीटी की रिपोर्ट

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने ठोस कचरे के निपटान और तत्काल जवाबदेही तय करने के लिये कुछ दिशा-निर्देश जारी किए थे। इस संबंध में एनजीटी ने जस्टिस अरुण टंडन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति ने प्रयागराज में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात् एनजीटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 60,000 मीट्रिक टन अनुपचारित ठोस अपशिष्ट बेसवार (Baswar) ठोस अपशिष्ट उपचार संयंत्र में एकत्रित किया गया था, जिसमें से 18,000 मीट्रिक टन ठोस कचरा प्रयागराज से एकत्रित किया गया था। किन्तु सितम्बर 2018 से बेसवार संयंत्र चालू स्थिति में नहीं है। इसके अलावा एनजीटी ने रिपोर्ट में बताया है कि ठोस अपशिष्ट के कारण कई प्रकार की बीमारियाँ जैसे-हेपेटाइटिस, हैजा, आंत्रज्वर, पेचिस तथा कॉलरा जैसी बीमारियों का प्रकोप स्थानीय क्षेत्रों में बढ़ गया है।

एनजीटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण नदी के करीब किया गया, जिसके कारण गन्दा पानी गंगा नदी में और भूमिगत जल में मिल गया है, जिसकी वजह से गंगा नदी और भू-जल भी प्रदूषित हो गया है।

कुम्भ समापन के बाद की स्थिति

- उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुम्भ मेला खत्म होते ही वहाँ फैले कूड़े-कचरे के कारण महामारी फैलने का भय उत्पन्न हो गया है। एनजीटी ने अपने एक आदेश में कहा है कि कुम्भ के बाद कूड़ा-कचरा समेत सीवेज के उपचार को लेकर तत्काल कदम उठाए जाने की जरुरत है। अन्यथा, न सिर्फ गंगा-यमुना नदी गंभीर रूप से प्रदूषित होगी, बल्कि शहर महामारी के काल में समा सकता है।
- कुम्भ के बाद गंगा प्रदूषण को लेकर पर्यावरणविद् और अधिवक्ता एमसी मेहता ने एनजीटी के आदेशों के उल्लंघन और प्रदूषण से बचाव के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की है।
- वहीं एनजीटी ने रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए कुम्भ के बाद फैली अव्यवस्था को आपात स्थिति माना है। कुम्भ मेले के बाद ठोस कचरे का उचित प्रबंधन न होने के कारण यह ''ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016'' के नियमों का भी उल्लंघन है और एनजीटी के पूर्व आदेशों की अवहेलना भी है।
- इस समिति ने बताया है कि शौचालयों की पाइपलाइन और कैम्प नदी से महज 10 मीटर की दूरी पर बनाए गए थे और नदी किनारे बने 36 अल्प अवधि वाले गड्ढ़ों में गंदा पानी मौजूद था। जहाँ सीवेज निकासी रोकने के लिए जियो ट्यूब तकनीक का इस्तेमाल किया गया था वहाँ, सीधे गंगा नदी में सीवेज और अन्य गन्दे पानी की निकासी हो रही थी।
- समिति ने कहा है कि गंदे पानी को रोकने के साथ-साथ जियो ट्यूब हटाकर सभी अल्पावधि वाले जलाशयों की सफाई भी की जानी चाहिए।
- कुम्भ मेला क्षेत्र में 1,22500 शौचालय बनाए गये थे। इन शौचालयों और कच्चे गड्ढ़ों को तैयार करने को लेकर मेला प्रशासन ने गंगा के मामलों को लेकर बनाई गई समितियों से कोई जानकारी प्राप्त नहीं की थी। यह भी एक कारण रहा, जिसके फलस्वरुप गंगा का प्रदूषण अत्यधिक बढ़ गया है।
- वहीं राजापुर सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) अपनी क्षमता से अधिक सीवेज हासिल कर रहा था। जियो ट्यूब के जरिए सिर्फ 50 फीसदी सीवेज शोधित किया जा रहा था। वहीं, 50 फीसदी बिना शोधन के सीधे गंगा में गिराया जा रहा था और सलोरी स्थित एक अन्य एसटीपी भी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहा था।

जियोट्यूब तकनीक की विफलता

- इस टेक्नोलॉजी के जरिये नालों और चमड़े के कारखानों से आने वाले गंदे पानी को मोटे पाइप के द्वारा जियो ट्यूब में डाला जाता है। तकरीबन एक लाख लीटर पानी की क्षमता वाली दो जियो ट्यूब अलग-अलग एक साथ लगी होती हैं।
- पहली ट्यूब खास तकनीक के जरिये पानी और गंदगी को अलग कर देती है। गंदगी से अलग हुआ साफ पानी पहली ट्यूब से खुद ही दूसरी ट्यूब में चला जाता है। दूसरी ट्यूब में कुछ केमिकल पड़े होते हैं जो पानी की शुद्धता को मापते हैं।
- कुम्भ मेले में जियो ट्यूब तकनीक से पानी साफ कर गंगा में भेजा गया, जो गंदे पानी को पूर्णरूप से साफ नहीं कर पा रही थी।
- कुम्भ मेले की समाप्ति के पश्चात् एनजीटी ने जियो ट्यूब तकनीक को लेकर, उसकी विफलता को उजागर किया है। जहाँ यह तकनीक लगी थी, वहाँ भी गंगा में नाले का अनुपचारित पानी था। एनजीटी ने कहा कि जियो ट्यूब संतोषजनक ढंग से काम नहीं कर रही थी और नाले में 50 फीसदी सीवेज फंस गया था और बाकी गंगा में जा रहा था।

ठोस अपशिष्ट क्या हैं?

- कचरे के ढेर आज एक आम बात बन गई है, जो पर्यावरण, नदी, तलाब और कुँओं तथा झीलों को प्रदूषित करता जा रहा है।
- ठोस कचरा आवासीय, औद्योगिक या वाणिज्यिक क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न अवांछित या बेकार ठोस सामग्री है। इसे तीन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है मूल आधार (घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा निर्माण या संस्थागत), सामग्री (जैविक, कांच, धातु, प्लास्टिक व पेपर आदि), खतरनाक कारक (विषाक्त, गैर विषैले, ज्वलनशील, रेडियोधर्मी तथा संक्रामक) इत्यादि।

अपशिष्ट के अन्य प्रकार

- **तरल अपशिष्ट-** घरेलू और उद्योग स्थलों द्वारा उत्पन्न तरल अपशिष्ट।
- **कार्बनिक अपशिष्ट-** खाद्य, उद्यान और लॉन की कटाई-छटाई से निकलने वाले पदार्थ।
- **जैव चिकित्सा अपशिष्ट-** मनुष्यों या जानवरों के निदान, उपचार या टीकाकरण के दौरान उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट।

- **पुनर्नवीनीकरण अपशिष्ट-** उन सभी अपशिष्ट वस्तुओं का समावेश, जिन्हें पुनः उपयोग में लाने के लिए परिवर्तित किया जाता है।

अपशिष्ट प्रबंधन का वर्तमान स्वरूप

- स्वच्छ भराव क्षेत्र
- महासागर डंपिंग
- भस्मीकरण
- खाद
- अपशिष्टों का पृथक्करण, पुनर्नवीनीकरण और पुनः प्राप्ति
- अपशिष्टों का मैकेनिकल और जैविक उपचार

डब्ल्यूटीई संयंत्रों की जरूरत क्यों

- देश भर में प्रतिदिन लगभग 1.43 लाख टन नगरपालिका का ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसे निपटाने की विशेष जरूरत है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में 25,940 टन प्रतिदिन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है।
- केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2031 तक 4.5 लाख टन प्रतिदिन कचरे का उत्पादन होगा, जो 2050 तक 11.9 लाख टन प्रतिदिन तक यह पहुँच जाएगा।
- भारत में नगरपालिका के ठोस कचरे में कम कैलोरी और उच्च नमी की मात्रा पाई जाती है।
- अधिकांश अपशिष्टों में अत्यंत निष्क्रिय पदार्थ मौजूद होते हैं, जो संयंत्र में अपशिष्ट को पृथक करने के लिये उपयुक्त नहीं हैं।
- नीति आयोग का प्रयास है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत डब्ल्यूटीई संयंत्रों से 800 मेगावाट तक की बिजली उत्पन्न की जा सके।

अपशिष्ट प्रबंधन में भारत की स्थिति

हमारे गाँवों व शहरों में जगह-जगह लगे कचरे के ढेर और उनमें पनपते रोग आज गंभीर खतरा बन चुके हैं। पशु-पक्षियों की मृत्यु भी आज कचरा खाने के साथ ही कचरे में उत्पन्न विषैली गैसों, और कीटाणुओं से हो रही है। ऐसे में आज कचरे का प्रबंधन उचित तकनीक के माध्यम से होना समय की मांग है।

- 1987 के बाद से, देश भर में 15 डब्ल्यूटीई संयंत्र स्थापित किए गए हैं, लेकिन इनमें से सात संयंत्र बंद हो गए हैं। बंद संयंत्रों में दिल्ली के अलावा, कानपुर, बंगलुरू, हैदराबाद, लखनऊ, विजयवाड़ा और करीमनगर के संयंत्र शामिल हैं।
- विश्लेषकों के अनुसार भारत में लगभग 32 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है और इसका 60% से भी कम इकट्ठा किया जाता है और केवल 15% ही संसाधित होता है।
- भारत में अपशिष्ट प्रबंधन की बढ़ती समस्याओं के कारण ग्रीनहाउस गैस का बढ़ता प्रभाव तथा लैंडफिल के साथ भारत ऐसे मामलों में तीसरे स्थान पर है।
- भारत सरकार ने इन समस्याओं को देखते हुए 16 साल के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट को संशोधित किया है जिसके अंतर्गत एक संस्थागत ढाँचे का प्रावधान किया गया है।

अपशिष्ट संग्रह और प्रबंधन के विधि

- डोर-टू-डोर संग्रह
- सूखे तथा गीले कचरे का अलग संग्रह करना
- कचरे को भूमिगत डम्पिंग करना
- अपशिष्ट कचरे के प्रबंधन को लेकर प्रत्येक क्षेत्र में नई-नई तकनीकों के माध्यम से उचित प्रबंधन के प्रयास भी किये जा रहे हैं साथ ही हम वेस्ट टू वेल्थ यानी 'कचरे से सम्पन्न' की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।

पुनर्चक्रण विधि के अन्य तरीके

- **भौतिक पुनः परिष्करण-** पुनर्चक्रण का लोकप्रिय अर्थ व्यापक संग्रह और रोजाना अपशिष्ट पदार्थों का पुनः प्रयोग को संदर्भित करता है जैसे कि खाली पेय पात्र, अखबार और कांच की बोतले आदि सभी वस्तुओं को इकट्ठा कर इनका पुनर्चक्रण किया जाता है।
- **ऊर्जा के रूप में ठोस अपशिष्ट-** ओखला, दिल्ली थर्मल ट्रीटमेंट में एनर्जी प्लांट के ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्त की जाती है तथा अपशिष्ट को कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और राख में बदल दिया जाता है। यह कचरे से ऊर्जा को पुनर्प्राप्त करने का एक साधन है।
- **जैविक उपचार विधियाँ-** इसमें कचरे के जैव निम्नीकरणीय घटकों को विघटित करने के लिये सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, इसमें दो प्रकार की प्रक्रियाएँ होती हैं-
    - एरोबिक यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसमें विंड्रो कम्पोस्टिंग तथा इन पॉट कम्पोस्टिंग तथा वर्मी कल्चर शामिल हैं।
    - एनारोबिक-ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है इसमें लैंडफिल तथा ओपन डम्पिंग शामिल है।
- **जिम्मेदारी और हितधारक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट-** यह राज्य का विषय है कि राज्य यह सुनिश्चित करें कि उसके सभी शहरों और कस्बों में उपयुक्त ठोस कचरा प्रबंधन सुविधा/तकनीक है की नहीं। हालाँकि ठोस कचरा प्रबंधन करना नगरपालिका का कर्त्तव्य है। जो इसके लिए सीधे जिम्मेदार है, इसके द्वारा संबंधित शहरों/कस्बों में ठोस कचरा प्रबंधन की योजना डिजाइन, संचालन ओर रख-रखाव किया जाता है। नगरपालिका के बजट का 10% से 50% ठोस कचरा प्रबंधन के लिए आवंटित किया गया है।
- **ठोस कचरा प्रबंधन से जुड़े नियम और कानूनः** 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत, नगरपालिका सॉलिड वेस्ट के निपटान और प्रबंधन नगर निगमों और नगर पंचायतों के 18 कार्यात्मक डोमेन में से एक है। ठोस प्रबंधन के लिए कानून-जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियम 1998, नगरपालिका ठोस अपशिष्ट नियम 2000, प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2011 तथा ई-अपशिष्ट नियम 2011 हैं।
- **रैगपिकर्स/मैनुअल स्कैवेंजिंग वेस्ट मैनेजमेंट-** इनके माध्यम से ही अनेक स्थानों पर कचरा इकट्ठा किया जाता है और साथ ही अनौपचारिक क्षेत्र का बड़ा नेटवर्क भी स्थानीय स्तर पर कचरे के प्रबंधन में प्रभावी रूप से सहायक होता है। भारत में रैगपिकर्स की एक राष्ट्रीय संस्था एनएसडब्ल्युएआई (NSWAI- National Solid waste association of India) है। यह इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन से भी जुड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्षेत्र में सूचना और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान का एक मंच है जिसके द्वारा लोगों में जागरूकता फैलायी जाती है।

वैज्ञानिक विधि से अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन

- **3-आर** (3-R) **की अवधारणा-** 3-आर अर्थात रीयूज, रीड्यूस और रीसायकल। यह ठोस प्रबंधन का महत्वपूर्ण तरीका है।
- **शून्य अपशिष्ट प्रणाली-** उद्योगों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य को सरल बनाकर और अपने अपशिष्ट प्रबंधन को केन्द्रीकृत करके, इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।

अपशिष्ट प्रबंधन के लाभ

प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा: वनों, गैसों और पानी जैसे कई प्राकृतिक संसाधनों की घटती समस्या हमारे लिए गम्भीर चिन्ता का विषय बन गई है। इसलिए आवश्यक है कि प्लास्टिक आदि की बनी वस्तुओं के पुन: उपयोग से हम वनों की कटाई इत्यादि को रोक सकते हैं।

ऊर्जा क्षमता में बढ़ोत्तरी: पुनरावृत्ति ऊर्जा का उत्पादन करने का एक शानदार तरीका है। नई वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रयोगों से यह पता चला है कि हमारे घरों के अपशिष्ट पदार्थों को एक विशेष प्रणाली के द्वारा बिजली उत्पन्न में प्रयोग किया जा सकता है।

प्रदूषण में कमी: खुले में कचरा इकट्ठा करना या फिर भूमिगत डम्पिंग से जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। यदि अपशिष्ट प्रबंधन वैज्ञानिक विधि से किया जाए तो प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है।

अपशिष्ट पुनरावृत्ति: अपशिष्ट दिन-प्रतिदिन गम्भीर समस्या बनते जा रहे हैं, जैसे-अपशिष्टों का समुद्र में प्रवाह तथा कचरे को नदियों या खुले क्षेत्रों में फैंकना आदि, लेकिन अपशिष्टों को उपयोगी रूप में पुन: परिवर्तित कर इस समस्या को कम किया जा सकता है।

अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियाँ

- भारतीय परिदृश्य के तहत, आम व्यक्ति के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं है। साथ ही भारत में पहले से मौजूद तकनीक तथा विधियों पर ही पुराने ढर्रे से काम हो रहा है, अभी तक भी नई-नई तकनीकों, कानूनों तथा लोगों में जागरूकता को उस स्तर पर नहीं लाया जा सका है जिसकी वर्तमान समय में आवश्यकता है।
- अपशिष्ट संयंत्रों की अक्षमता या बंद होने का मूल कारण अपशिष्ट की गुणवत्ता और उसकी संरचना है।
- अपशिष्ट पदार्थों को जलाने के लिए अतिरिक्त ईंधन की आवश्यकता होती है, जो इन संयंत्रों को चलाने के लिए महँगा साबित होता है।
- इसके अलावा इन कारखानों से उत्पादित विद्युत की दर लगभग 7 रुपए प्रति यूनिट है जो कि थर्मल एवं सौर स्रोतों से प्राप्त 3-5 रुपए प्रति यूनिट की अपेक्षा काफी महँगी है।
- नीति आयोग ने अपने स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में 2018-19 में स्थापित डब्ल्यूटीई संयंत्रों से 800 मेगावाट ऊर्जा प्राप्ति की परिकल्पना की है, जो सभी मौजूदा डब्ल्यूटीई संयंत्रों की क्षमता से 10 गुना अधिक है।

आगे की राह

- विषैले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त फिल्टरिंग तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
- भारत की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के लिए आवश्यक है कि गीले और सूखे कचरे को मिश्रित न किया जाए, ताकि केवल गैर-खाद योग्य और गैर-पुन: उपयोग योग्य अपशिष्ट डब्ल्यूटीई संयंत्रों तक पहुँच जाए।
- पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों के सहयोग के माध्यम से उन स्थानों की पहचान कर अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य करना चाहिए।
- अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए जनता को प्रशिक्षित कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के साथ-साथ उचित तरीके से योजना तैयार कर उन्हें लागू करने की आवश्यकता है।
- अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर उद्योगों, अस्पतालों आदि पर कानूनी प्रावधान के साथ 'कर' आदि की व्यवस्था करनी चाहिए।
- अपशिष्ट प्रबंधन को कुशलतापूर्वक करने के लिए संबंधित अधिकारियों को कुछ कार्यक्रमों और नीतिगत विकास की शुरूआत करनी चाहिए।
- विभिन्न समुदाय चाहे फिर वे शहरी हो या ग्रामीण, को विभिन्न मल्टीमीडिया के माध्यम से बुनियादी ढाँचे और प्रबंधन के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

7. इस्लामिक स्टेट का पुनर्उभार : एक गंभीर चुनौती

चर्चा का कारण

हाल ही में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) ने ईस्टर (रविवार) के दिन श्रीलंका में हुए सीरियल बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में 321 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जबकि 250 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना से एक बार फिर माना जाने लगा है कि आईएस का प्रसार दक्षिण एशिया में भी हो चुका है। अब तक यह माना जाने लगा था कि यह संगठन काफी कमजोर पड़ गया है किंतु हालिया धमाके से संकेत मिलता है कि आईएस की पैठ काफी गहरी है। हालांकि श्रीलंका सरकार का दावा है कि यह हमला नेशनल तौहिद जमात (एनटीजे) नामक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन ने किया है।

आइएस का उभार

आइएस का उभार सीरिया में गृहयुद्ध का कारण नहीं था। इराक में स्थित अलकायदा ने अरब-स्प्रिंग के दौरान सीरिया में राजनैतिक खालीपन देखा और उसके साथ-साथ राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासन का विरोध करने वाले अनेक समूह भी सीरिया में मौजूद थे। यह देखकर अलकायदा ने सीरिया में अपना वर्चस्व जमाना शुरू किया। इराक में अल-कायदा ने नाम बदलकर वह रूप धारण कर लिया जिसे हम आइएस के रूप में जानते हैं। आइएस ने खुद को असद के खिलाफ अरब स्प्रिंग मूवमेंट में लगा दिया तथा हजारों लड़ाके अपने समूह में मिला लिए और उत्तरी सीरिया में स्थित रक्का को 2014 में अपनी राजधानी बना लिया। इसके अलावा उन्होंने प्रशासनिक इमारतों से सीरियन झंडा हटा कर आइएस का झंडा लगा दिया। इस तरह आइएस का जन्म हुआ।

आइएस के प्रभाव में वृद्धि कैसे हुई?

आइएस का प्रसार बढ़ते देख 2013 से 2016 के बीच कई देशों से लोग सीरिया में आकर इस संगठन में सम्मिलित हुए। आइएस से सहानुभूति रखने वालों ने सहजता से उपलब्ध वीडियो, मैगजीन, अखबारों आदि के द्वारा इसका ऑनलाइन मार्केटिंग किया था। आइएस न सिर्फ अपने क्षेत्र (Territory) में एक सैनिक समूह की तरह सक्रिय था बल्कि वह गवर्निंग बॉडी की भी भूमिका निभा रहा था। उन्होंने अपनी कर प्रणाली, शरिया कानून लागू किए थे, इसके अलावा वे पुलिस

की भूमिका और कोर्ट का भी संचालन करते थे। इनमें से कुछ गतिविधियों को उन आम लोगों के बीच लोकप्रियता मिलने लगी जो या तो सरकार की उपेक्षा से परेशान थे या इराक के मोसुल जैसा मामला था, जहाँ शुन्नी अल्पसंख्यकों को ऐसा लगा कि इराक के शियाओं के खिलाफ आइएस उनके हितों की रक्षा करेगा। इसके बाद से, आइएस का उभार एक विद्रोह के रूप में हुआ। इसका पहला अवतार अरब स्प्रिंग के दौरान दिखा। इराक और सीरिया के विभिन्न इलाकों में रिपोर्ट होने वाले लगातार हमलों का श्रेय आइएस ले रही थी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स (Syrian democratic forces) और अमेरिका द्वारा सीरिया में आइएस के खिलाफ जीत घोषित करने के कई दिन पहले, 18 मार्च को जारी किए गए एक ऑडियो मैसेज के मुताबिक आइएस के एक आतंकी ने, न्यूजीलैन्ड में क्राइस्टचर्च की मस्जिद पर आतंकी हमले का इस्तेमाल आइएस समर्थकों के हौंसले में नयी जान फूंकने और उसे बुलंद करने के लिए किया।

अमेरिका का प्रयास

- इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह की पकड़ वाले आखिरी इलाके बाघौज और उसकी लगभग 3 कि.मी. लंबी सीमा पर कुर्दों के नेतृत्व वाली आइएस विरोधी सेना ने कब्जा कर लिया तो 23 मार्च को अमेरिकी समर्थन वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स (एसडीएफ) ने आधिकारिक रूप से 'इस्लामिक स्टेट खलीफाई' के अंत की घोषणा कर दी।
- अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार ट्वीट के माध्यम से जीत के दावे करते रहे हैं, लेकिन इस बार एसडीएफ (Syrian democratic forces) ने वीडियो व तस्वीरें जारी कीं और आइएस के कब्जे वाली जगहों को उनसे मुक्त करा लिया गया।
- एसडीफ के अनुसार पाँच साल की लड़ाई के बाद 'इस्लामिक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन' के समाप्त होने का खास तौर से वर्णन किया गया। एसडीएफ ने कहा कि यह लड़ाई उन्होंने इसलिए लड़ी क्योंकि इस्लामिक स्टेट ने ''मानव जाति के ऊपर सार्वजनिक चुनौतियाँ'' प्रस्तुत कर दी थीं। एसडीएफ ने इस बात का भी खास तौर पर उल्लेख किया कि इस्लामिक स्टेट से लड़ाई में उनके लोगों की संख्या कितनी रही है। उन्होंने बताया कि 11,000 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा और 21,000 लोग घायल हुए। अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन और आइएस विरोधी रूसी कैम्पेन के साथ होने के बावजूद, कुर्दो को जमीन पर सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है।
- आइएस के खिलाफ हवाई हमले द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि से भी तीन महीने ज्यादा चले। यूके (UK) के एक गैर-लाभकारी संगठन एयरवार्स (Airwars) के मुताबिक, आइएस के खिलाफ हवाई हमला 1,688 दिनों तक चला और अगस्त 2014 और मार्च 2019 के बीच के आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार 33,994 हवाई और आर्टिलरी हमले किए गए। इसी अवधि के दौरान फिक्सड विंग एयरक्राफ्ट और ड्रोन दोनों से 116,000 म्युनिशन और मिसाइलें दागी गयीं। इनमें से 80% से भी ज्यादा हमले अमेरिका द्वारा किए गए। हालांकि, इसमें रूसी एयरफोर्स की भागीदारी की संख्या शामिल नहीं है, जो आइएस के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल थी।
- आइएस के 'खलीफा' अबु बकर अल-बगदादी द्वारा इसके आधिकारिक अस्तित्व की घोषणा 2014 को मोसुल में अल नूरी मस्जिद से करने के बाद आइएस का शासनकाल 4 साल और 8 महीने तक चला। हालिया बघौज का युद्ध अपने आप में ही देखने लायक था, इसने आइएस लड़ाकों के मुकाबले की ताकत और उनके मामलों में, उनके परिवारों की जबर्दस्त क्षमता दोनों को प्रस्तुत किया। विश्लेषकों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में 72,000 आइएस के परिवार के सदस्यों ने एसडीएफ के सामने आत्मसमर्पण किया और हजारों लड़ाकों ने खुद ही हथियार रख दिए क्योंकि यह साफ हो गया था कि बघौज अब जल्दी ही उनके हाथ से जाने वाला है।
- बघौज की हार एक महत्वपूर्ण क्षण थी, और आइएस की इलाकाई हार को एक उपलब्धि मान कर इसे कम करके नहीं आँकना चाहिए। आइएस द्वारा एक समय में यूनाइटेड किंगडम (UK) के आकार के सीरिया और इराक तक फैले अपनी 'खिलाफत' के प्रतीक रेत के आखिरी ठिकाने को बचाने के लिए किया गया प्रतिरोध बहुत जबर्दस्त था।

कुर्द लड़ाकों और तुर्की के बीच तनाव

- तुर्की ने ऐलान किया है कि वह सीरिया में आइएस के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ेगा। मगर आशंका जताई जा रही है कि इसकी आड़ में तुर्की वहाँ पर मौजूद कुर्द लड़ाकों पर हमले कर सकता है। चूंकि कुर्द लड़ाकों ने सीरिया में आइएस के खिलाफ लड़ाई में अमेरिकी सेना का सहयोग किया था। ऐसे में अमरीका ने तुर्की को चेताया है कि अगर उसने कुर्दों पर हमले किए तो तुर्की को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया जाएगा।
- मध्य-पूर्व के नक्शे में नजर डालें तो तुर्की के दक्षिण-पूर्व, सीरिया के उत्तर-पूर्व, इराक के उत्तर-पश्चिम और ईरान के उत्तर पश्चिम में ऐसा हिस्सा है, जहाँ कुर्द बसते हैं। ये अलग से कुर्दिस्तान की माँग कर रहे हैं। तुर्की की चिंता है कि उसके बगल में कुर्द राष्ट्र बना तो उसके लिए अपने यहाँ रह रही कुर्द आबादी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि जैसे ही अमेरिका सीरिया को छोड़ेगा वैसे ही कुर्द लड़ाकों के नरसंहार का खतरा बढ़ सकता है। तुर्की का मानना है कि सीरिया में सक्रिय कुर्द संगठन उसके यहाँ चरमपंथी संगठन घोषित किए गए कुर्द अलगाववादी संगठन 'पीकेके (PKK)' का हिस्सा हैं जो तुर्की की सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है।

आइएस की वर्तमान स्थिति

आइएस की वर्तमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो इस बात के अनुमान हैं कि अभी भी आइएस के हजारों लड़ाके मौजूद हैं और सिर्फ अपने को बचाने के लिए इधर-उधर फैल गए हैं। इराक और सीरिया में पकड़े गए अनेक आइएस के लड़ाके असमंजस की स्थिति में हैं क्योंकि उनके मूल देशों ने उनको लेने से मना कर दिया है। इराक में ट्रायल कोर्ट औपचारिक सुनवाई कर रहा है और आइएस लड़ाकों को मृत्युदंड दिया जा रहा है। उन आइएस लड़ाकों या सदस्यों के कानूनी निर्णयों का मामला अभी भी निपटा नहीं है जो अपनी इच्छा के खिलाफ अपने को या अपने परिवार को बचाने के लिए समूह में शामिल हो गए थे। इसका जवाब साफ नहीं है, क्योंकि राजनैतिक उठा-पटक सीरिया में अभी भी पहले की तरह ही जारी है और इराक में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं इसके अलावा विभिन्न संगठनों के बीच संघर्ष आज भी संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है।

आइएस ने अभूतपूर्व चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। इसने न सिर्फ एक प्रोटो-स्टेट (अर्द्ध राज्य) बना लिया बल्कि इंटरनेट के माध्यम से अपनी पहुँच वैश्विक स्तर तक सुनिश्चित की। इस तकनीक ने खलीफाई से बहुत दूर बैठे लोगों के खिलाफ

सूचना और संचार के अलोकतांत्रिक तरीकों का प्रचार किया और विदेशों जैसे अफ्रीकन सहेल, लीबिया, फिलीपींस आदि में अपनी मौजूदगी दर्ज की। इससे यह महत्वपूर्ण आतंकी संगठन बना, जिसकी ब्रांडिंग आतंकी समूहों से लेकर यूरोप के व्यक्ति तक हो गयी साथ ही इसके नाम पर हिंसा की गयी और इसने तुरंत अपने वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। इस्लामिक स्टेट की लड़ाई शायद अब खत्म हो चुकी है लेकिन आइएस और उसके लम्बे समय से चल रहे युद्ध का पोषण करने वाली विचारधारा से लड़ाई एक लंबा चलने वाला युद्ध है। इसे सिर्फ ताकत और सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके नहीं जीता जा सकता। सबसे बड़ी चुनौती है ऐसे माहौल बनाना जिसमें आइएस 2.0 उभर न सके। खलीफाई के ऊपर सैन्य जीत का पहले से अनुमान था और आसान थी, लेकिन आइएस को हराने का असली काम तो अब शुरू हुआ है। विश्व समुदाय इस लड़ाई में वैसे ही मदद कर सकता है जैसे एसडीएफ ने की थी। किसी भी तरह का लम्बे समय तक चलने वाला समाधान उस इलाके के राज्यों, लोगों, नेताओं, कबीलो और माहौल से ही आ सकता है।

दक्षिण एशिया में आइएस की आहट

भारत में आइएस गतिविधियों में संलग्न होने के संदेह वाले व्यक्तियों पर जाँच के कुछ 82 सक्रिय मामले हैं। ऐसे मामलों में वो लोग शामिल थे जो आइएस में शामिल होने के इरादे से सीरिया, इराक, अफगानिस्तान या लीबिया की यात्रा पर गए थे और इसमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने इंटरनेट के जरिए आइएस में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी। भारत में आइएस का प्रसार उतना प्रखर नहीं रहा है। यह दर्शाता है कि भारतीय मुस्लिम कभी भी कट्टरपंथी इस्लाम के समर्थक नहीं रहे हैं। भारतीय मुस्लिम ने ''कुरान'' की मूल भावना, ''शांति और सह-अस्तित्व'' को आत्मसात किया है। जितने भी लोग भारत से बाहर इराक और सीरिया में गए उन पर भारतीय खुफिया एजेंसी की नजर लगातार बनी रही और उन्हें ऐसा कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया गया कि भारत वापस आकर किसी आतंकवादी घटना को अंजाम दे सकें। हालाँकि इतनी निगरानी के बावजूद जम्मू-कश्मीर में कुछ युवाओं के आइएस सम्मिलित होने की जानकारी ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिये हैं। अफगानिस्तान और बांग्लादेश में आइएस का प्रभाव देखा जा सकता है जो इस व्यापक क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डालता है। बांग्लादेश में 2016 में एक आतंकवादी हमला हुआ जिसमें 22 लोगों की जान गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी आइएस ने ली थी। बांग्लादेशी और भारतीय आइएस समर्थक लोग एक संगठित इकाई बनाने के लिए काम कर रहे हैं जो लोगों को सीधे इंटरनेट के माध्यम से अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जिससे दक्षिण एशिया में अस्थिरता के साथ आइएस के नेटवर्क को बढ़ाया जा सके।

अफगानिस्तान में राजनैतिक खालीपन और विभाजन तथा सामाजिक-धार्मिक परिदृश्य आइएस के लिए एक जमीन तैयार कर सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि इराक और सीरिया में आइएस के खात्मे ने आइएस के लड़ाकों को मध्य एशिया और दक्षिण-एशिया की तरफ मोड़ दिया है क्योंकि आइएस में सबसे ज्यादा लड़ाके मध्य एशिया के और दक्षिण-एशिया के देशों से थे। उदाहरण के लिए तुर्कमेनिस्तान तथा अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान। इससे दक्षिण एशिया में आतंकवादी घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

श्रीलंका में आतंकी हमले के मायने

हाल ही में श्रीलंका में हुए आतंकवादी हमलों ने पूरे दक्षिण एशिया में खतरे की घण्टी बजा दी। श्रीलंका में ईस्टर के मौके पर तीन चर्चों और इतने ही होटलों में बेहद सुसंयोजित तरीके से हमले किए गए। इस घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि इन हमलों की योजना बहुत सफाई से बनाई गयी थी ताकि अधिकतम नुकसान सुनिश्चित किया जा सके। इस हमले की जिम्मेदारी आइएस ने ली है। क्षेत्रीय गतिविधियों पर निगाह रखने वाले बहुत से लोगों के लिए श्रीलंका के हमले, मुम्बई में 2008 में हुए हमले जैसे ही थे। मुम्बई में हुए हमले पाकिस्तान स्थित लश्करे-तोइबा ने किए थे, जबकि श्रीलंका में हुए हमले आइएस द्वारा कराए गए हैं। श्रीलंका जैसे बौद्ध-बहुल देश में ईसाई धर्मस्थलों को निशाना बनाने के पीछे की मंशा धार्मिक अलगाव पैदा करने की दिख रही है जिससे श्रीलंका में धार्मिक कट्टरवाद की भावना का उभार हो और दक्षिण एशिया में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाए।

भारत की स्थिति

पिछले कुछ समय से दक्षिण एशिया में कट्टर इस्लामी समूहों के फैलने को लेकर भारत भी चिंतित रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों का कहना है कि कथित इस्लामिक स्टेट समूह का भारत के पड़ोस (श्रीलंका) में कोई खास असर नहीं है, किन्तु बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में आइएस की मौजूदगी के निशान मिले हैं। श्रीलंका में हुए इन हमलों से इस तरह के खतरों के सामने कमजोर और इनसे निपटने की ओर से बेखबर दक्षिण एशिया में आतंक के प्रसार को लेकर भारत निश्चित रूप से भयभीत होगा।

भारत की खुफिया एजेंसियों ने भारत को हाई-अलर्ट पर रखा है क्योंकि श्रीलंका के हमले ने भारत की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। भारत के सभी तटीय शहरों में सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता करने को कहा गया है जिससे मुंबई जैसे आतंकवादी हमलों को होने से रोका जा सके।

आगे की राह

आईएसआईएस के संभावित समाप्त होने के बावजूद उसकी विचारधारा के प्रभाव का भी आकलन करना होगा साथ ही भारत को श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ मिलकर काम करना होगा, जिससे इस खतरनाक संगठन से निपटने के लिए समूचे दक्षिण एशिया का एक ठोस रवैया तैयार किया जा सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां एवं उनका प्रबंधन-संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध।

■

स्नात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

विश्व विरासत स्थल : राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण परिचायक

प्र. भारत में अनेक ऐतिहासिक धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल स्थित हैं जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। विश्लेषण कीजिए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है।

विश्व धरोहर क्या होते हैं?

- यूनेस्को के अनुसार विश्व विरासत स्थल ऐसे खास स्थानों (जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर इत्यादि) को कहा जाता है, जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं।
- यह समिति इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के तत्वावधान में करती है।

ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत में कानून

- यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 37 स्थल शामिल हैं, जिनमें 29 सांस्कृतिक स्थल तथा 7 प्राकृतिक स्थल और एक मिश्रित सथल शामिल हैं। भारत में ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षण प्रदान करने के लिए पहला कानून 1810 में बंगाल रेगुलेशन-19 पारित हुआ।
- देश की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित रखने के लिए 1958 में प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम पास किया गया। अगले वर्ष इससे जुड़ा एक और कानून आया, जो 1972 में पुरातत्व और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम के नाम से जाना गया।

सरकारी प्रयास

- वर्ष 2018-19 के बजट में 3,650 प्राचीन स्थलों एवं स्मारकों की सुरक्षा के लिए सरकार ने 975 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए रखने में लगातार कोशिशें करता आ रहा है।

चुनौतियाँ

- बात चाहे शहर की ऐतिहासिक धरोहरों की हो या प्रदेश या देश की, इनके संरक्षण में किसी एक की भूमिका नहीं होती है। हर इमारत को अपने मूल रूप में सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी होती है और विडंबना तो यह है कि हम लोग ही इसे नुकसान पहुँचाते हैं, जो एक चिंता का विषय है।
- कुछ विशेष धरोहर स्थलों का निजीकरण कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप कंपनियाँ लाभ कमाने के लिए धरोहरों को क्षति पहुँचा रही हैं और कानूनों तथा नीतियों की अवहेलना कर रही हैं।

आगे की राह

- भारत में सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधता व्याप्त है। यहाँ पर अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थल स्थित हैं, इनमें कुछ विश्व धरोहर स्थल हैं। अतः इसका संरक्षण और सुरक्षा करना आवश्यक है। यहाँ पर मनुष्य भ्रमण करके न केवल अपने अतीत के झरोखे से परिचित होंगे, बल्कि उन स्थलों का भ्रमण कर मानसिक एवं आध्यात्मिक शांति को भी प्राप्त करेंगे। ■

झुग्गी बस्तियाँ : अनियोजित शहरीकरण का दुष्प्रभाव

प्र. झुग्गी बस्तियों और अनियोजित शहरीकरण के बढ़ते दुष्प्रभाव तथा सरकारी प्रयासों की समीक्षा कीजिए।

उत्तर:

संदर्भ

- दिल्ली में बस्तियों को खाली कराने और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया गहरी प्रशासनिक चुनौतियों से ग्रस्त रही हैं। व्यापक रूप से देखा जाए तो दो समस्याओं को चिह्नित किया गया है। पहली, एक नोडल एजेंसी होने के बावजूद, बस्तियों के पुनर्वास का काम विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी से बाधित होता है।

वर्तमान स्थिति

- ध्यान देने वाली बात यह है कि झुग्गी बस्तियों में रहने वालों की संख्या पिछले दशक से दोगुनी हो गयी है। भारत सरकार के सर्वे 2011 के अनुसार मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में शहरी आबादी क्रमशः 41%, 29%, 28% और 15% झुग्गी बस्तियों में ही रहती है।

मलिन बस्तियों के लिए जिम्मेदार कारक

- **माँग-आवास की पूर्ति**- सस्ता शहरी आवास और अपर्याप्त आपूर्ति की बढ़ती माँग के बीच अंतर ने मलिन बस्तियों के गठन को प्रोत्साहित किया है।
- **वित्तीय संसाधनों तक सीमित पहुँच:** यह सर्वविदित है कि अन्य की

तुलना में झुग्गी बस्तियों के निवासियों की क्रय क्षमता काफी कम होती है जिसके कारण वे शहरों में घर खरीद पाने में सक्षम नहीं होते हैं और उन्हें झुग्गी बस्तियों में रहना पड़ता है।

- **गाँवों से शहरों की ओर पलायन:** शहरों में झुग्गी बस्तियों का विस्तार का प्राथमिक कारण गाँवों से शहरों की ओर लोगों का पलायन है।
- **शहरी शासन की असमर्थता:** मलिन बस्तियों के प्रमुख कारक के रूप में पुराने शहरी नियोजन नियम हैं, जिन्हें आमतौर पर झुग्गीवासियों द्वारा अपनी आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

झुग्गी वासियों की समस्याएँ

- 58% लोगों के लिए जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है।
- 43% लोगों को मलिन बस्तियों के बाहर से पीने का पानी लाना पड़ता है।
- 34% लोगों के पास शौचालय की व्यवस्था नहीं है।
- 30% लोगों के पास करने को कोई काम नहीं है जिससे वे अपनी आजीविका चला सकें।
- मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के घरों की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उनके घर आम तौर पर मिट्टी या ईंटों के बने होते हैं उनकी गुणवत्ता काफी निम्न प्रकार की होती है। प्रति व्यक्ति रहने के लिए स्थान बहुत कम होता है।

सरकारी प्रयास

- स्लम क्षेत्र (सुधार और निकासी) अधिनियम, 1956
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)
- बाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती आवास योजना
- शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाएँ
- शहरी गरीबों के आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना
- राजीव आवास योजना

सरकार के समक्ष चुनौतियाँ

- झुग्गी-भूमि के स्वामित्व पर सवाल
- औपचारिक आवास अपर्याप्त
- सुसंगत नीति का अभाव
- पर्यावरणीय स्थिरता

आगे की राह

- सरकार का लक्ष्य केवल झुग्गी वासियों के लिए घर बनाने पर न होते हुए, लोगों के लिए आजीविका विकल्प, सामाजिक-आर्थिक बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देने पर केन्द्रित होना चाहिए।
- प्रभावी शहरी नियोजन के लिए, अधिकारों पर आधारित आवास और जनसंख्या नीतियों और सभी स्तरों पर स्वच्छ वातावरण का अधिकार स्थापित किया जाना चाहिए। इन नीतियों को समावेशी शहरों और गरीबी उन्मूलन हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए। ■

भारत में दुर्लभ रोग : चुनौतियाँ एवं समाधान

प्र. भारत में दुर्लभ रोगों के उपचार की संभावनाओं को तलाशते हुए बताएँ कि सरकार को इस दिशा में क्या कदम उठाने चाहिए?

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हर साल फरवरी के आखिरी दिन को दुर्लभ रोग दिवस (Rare Disease Day) के रूप में मनाया जाता है। दुर्लभ रोग दिवस 2019 की थीम है ब्रिजिंग हेल्थ एंड सोशल केयर (Bridging health and social care) अर्थात स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं की दूरी मिटाना।

दुर्लभ रोगों के कारण

- वर्तमान में बदलती परिस्थितियों के परिदृश्य में भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका प्रभावी हुई है। कुछ वर्षों में विधायिका एवं कार्यपालिका का ह्रास हुआ, तो दूसरी ओर चुनाव आयोग एवं न्यायपालिका की भूमिका में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई।

भारत में दुर्लभ रोगों का प्रसार

- यह सर्वमान्य है कि अन्य विकासशील देशों की तरह भारत में भी दुर्लभ रोगों को ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है साथ ही भारत में दुर्लभ रोगों से संबंधित कोई आँकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं। आँकड़ों के अभाव में यह भी जानना मुश्किल है कि कितने लोग भारत में इस बिमारी से पीड़ित हैं और कितने लोगों की मृत्यु दुर्लभ रोगों के कारण हुई है।

अनुसंधान और शोध में उपस्थित चुनौतियाँ

- अधिकतर दुर्लभ बीमारियों से संबंधित अनुसंधान और शोध में सबसे बड़ी चुनौती उस बीमारी के इतिहास का कम जानकारी होना है। दुर्लभ बीमारियों का इलाज इसलिए भी दुष्कर है क्योंकि इससे पीड़ित रोगियों की संख्या काफी कम है और उनका इलाज भी ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप इन रोगों के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। चुनौतियाँ तब और कठिन हो जाती हैं जब दुर्लभ रोग बहुत ही घातक प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें काफी लंबे समय तक बीमारी को परीक्षण के लिए रखा जाता है लेकिन घातक होने के कारण शीघ्र ही रोगी की मृत्यु हो जाती है, फलतः इससे संबंधित आँकड़ों का मिलना कठिन हो जाता है।

सरकारी प्रयास

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में प्रस्ताव है- 2025 तक सरकारी खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 2-5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए और राज्यों को 2020 तक स्वास्थ्य पर अपने बजट का 8 प्रतिशत खर्च करना चाहिए। अभी राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर खर्च भिन्न-भिन्न है और अधिकांश राज्य स्वास्थ्य पर अपने बजट का पांच प्रतिशत खर्च करते हैं।

दुर्लभ रोग के लिए राष्ट्रीय नीति

- दुर्लभ रोग से पीड़ित रोगी (जो कि गरीबी रेखा के नीचे आते हैं) को सरकारी अस्पताल में मुफ्त में दवाईयाँ एवं सेवाएँ प्रदान की जाएंगी।

- दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए 100 करोड़ रुपये के वित्तीय कोष की स्थापना की जाएगी जिसमें केन्द्र सरकार की भागीदारी 60% की जबकि राज्य सरकार की 40% भागीदारी होगी।

आगे की राह

- दुर्लभ रोगों को रोकने के लिए जो उपाय अपनाये गये हैं वो पर्याप्त नहीं हैं। हालाँकि ये रोग अन्य रोगों की तरह आमतौर पर नहीं पाये जाते हैं, इसलिए डॉक्टर भी इसके बारे में अनिभज्ञ होते हैं जिस कारण वे या तो गलत इलाज कर देते हैं या इलाज ही नहीं करते हैं। इस बीमारी की रिकॉर्ड काफी कम दर्ज की गई है जिसके वजह से इस रोग को समझने और उसके उपचार के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। गौरतलब है कि उपेक्षा के इस दुष्चक्र को सरकारी सहायता से ही दूर किया जा सकता है। ■

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में सरकार के कार्यों का मूल्यांकन

प्र. भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं? इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- वर्तमान सरकार का 5 वर्षों का कार्यकाल अब लगभग पूर्ण हो चुका है। अगली सरकार के लिए चुनाव भी अब आखिरी दौर में है।

भ्रष्टाचार क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक भ्रष्टाचार एक गंभीर अपराध है जो देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को कमजोर करता है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की मजबूत पहल

- भारत में प्रशासनिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1947 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम बनाया। साथ ही विभिन्न नियमावली भी तैयार की जैसे- अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1954 एवं केंद्रीय नागरिक सेवा नियम 1956 आदि।
- इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण घटना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना है जो वर्तमान में भारत में भ्रष्टाचार मामलों के लिए यह मुख्य एजेंसी है।
- सीवीसी ने ई-संकल्प के जरिये भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आंदोलन उत्पन्न करने का भी प्रयास किया है।
- सरकार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम का प्रावधान किया गया है। आरटीआई अधिनियम की वजह से शासन में पारदर्शिता आई है। सूचनाओं को साझा करने के कारण नागरिक राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा बन गए हैं जिसकी वजह से नागरिकों तथा सरकार के बीच भरोसा पैदा हुआ है।

सरकार के ऐसे कार्य जिससे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कमजोर हुई

- वर्तमान प्रावधानों के तहत जाँच एजेंसियों को सरकार से पूर्व मंजूरी के बिना भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू करने से रोक दिया गया है।
- लोकपाल कानून एक स्वतंत्र और सशक्त भ्रष्टाचार-विरोधी लोकपाल की स्थापना के लिए बनाया जाना था, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ भय या पक्षपात के बिना काम कर सके लेकिन सरकार ने 2019 में लोकपाल को नियुक्त किया।

भ्रष्टाचार का प्रभाव

- जहाँ भ्रष्टाचार के कारण देश के राष्ट्रीय चरित्र का हनन होता है, वहीं देश के विकास की समस्त योजनाओं का उचित पालन न होने के कारण जनता को उसका लाभ भी नहीं मिल पाता।
- भ्रष्टाचार ने सबसे ज्यादा गरीबों का प्रभावित किया है। गरीबों को मूलभूत सुविधाओं के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है।

भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर सुझाव

- भ्रष्टाचार और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जनता को ज्ञान प्रदान करने के लिए विभिन्न संगोष्ठियों, अभियानों, नाटकों इत्यादि का आयोजन किया जाना चाहिए।
- पत्रकारों की सुरक्षा एवं बिना किसी भय के उनकी कार्य करने की क्षमता को सुनिश्चित करने के साथ-साथ स्वतंत्र मीडिया का समर्थन किया जाना चहिए।

आगे की राह

- हमारी परंपरा, हमारी सांस्कृतिक विरासत हमारे अंदर मूल्य-बोध का सृजन करती है। सही-गलत की इसी समझ को बाद में समाज के नियामक कानूनी शक्ल दे देते हैं। ■

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक : मानव संसाधन में सहायक या बाधक

प्र. भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताएँ कि एआई के क्या फायदे हो सकते हैं? साथ ही इनसे उत्पन्न खतरों पर भी चर्चा करें।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में देखा गया है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री की वजह से भारत में जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग हुआ है शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ होगा।

क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस?

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है, जिसमें एक कंप्यूटर अपने प्रोग्राम में दिए जा रहे निर्देशों को समझने के बाद उन्हें संरक्षित करता है और उनके आधार पर भविष्य की जरूरतों को समझते हुए निर्णय लेता है या फिर उसके अनुसार काम करता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्त्व

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कीटनाशकों तथा उर्वरकों के दुरुपयोग जैसी चुनौतियों का समाधान करने की भी क्षमता है।
- सुरक्षा दृष्टिकोण से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्त्व बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए सेना के जवानों की जगह रोबोट का इस्तेमाल किया जा सकता है।

- वर्तमान में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में धोखाधड़ी का पता लगाने, वित्तीय लेन-देन में होने वाली अनियमितता, ट्रेडिंग पैटर्न पर निगरानी जैसे मामलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे और इसकी सीमाएँ

- बहुत अधिक संभावना है कि इसके व्यापक इस्तेमाल से हम पूरी तरह "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" पर ही आश्रित हो जायें और अपनी रचनात्मक शक्ति को कम कर बैठें।
- इस बात की सम्भावना है कि इसकी मदद से मशीनें स्वचालित हथियार बना लें जो खुद ही समूची मानव जाति का नाश कर दें।
- विशेषज्ञों का कहना है कि सोचने-समझने वाले रोबोट अगर किसी कारण या परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगें, तो मानवता के लिये खतरा पैदा हो सकता है।

भारत की स्थिति

- इस समय हमारे देश में लगभग 40-42 हजार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। भारत में बैंगलोर शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रमुख केंद्र बन गया है।
- भारत में लगभग 1 हजार कंपनियाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपने प्रतिदिन के कार्यों में कर रही हैं।
- आज समावेशी वित्तीय विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक काफी हद तक कारगर साबित हो रही है।
- वहीं किसानों को समय पर सलाह प्रदान करने और बढ़ती उत्पादकता की दिशा में अप्रत्याशित कारकों को संबोधित करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी मददगार रहा है।

सरकारी प्रयास

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित प्रौद्योगिकियों का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।
- इसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त शिक्षाविदों तथा उद्योग जगत के भी प्रतिनिधि शामिल हैं।

आगे की राह

- भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि एआई का बाजार 2020 में 153 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। इस संदर्भ में भारत सरकार को ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए जिससे शोध के साथ नई नौकरियों का सृजन भी हो सके। ■

भारत में ठोस अपशिष्ट : एक बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता

प्र. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति का वर्णन करते हुए बताएँ कि डब्ल्यूटीई (WTE) संयंत्रों की आवश्यकता क्यों है?

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) ने कुम्भ मेले के समापन के बाद प्रयागराज में जमा हुए ठोस कचरे के निदान के प्रयासों पर अप्रसन्नता व्यक्त की है।

कुम्भ समापन के बाद की स्थिति

- उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुम्भ मेला खत्म होते ही वहाँ फैले कूड़े-कचरे के कारण महामारी फैलने का भय उत्पन्न हो गया है। एनजीटी ने अपने एक आदेश में कहा है कि कुम्भ के बाद कूड़ा-कचरा समेत सीवेज के उपचार को लेकर तत्काल कदम उठाए जाने की जरुरत है। अन्यथा, न सिर्फ गंगा-यमुना नदी गंभीर रूप से प्रदूषित होगी, बल्कि शहर महामारी के काल में समा सकता है।

जियोट्यूब तकनीक की विफलता

- इस टेक्नोलॉजी के जरिये नालों और चमड़े के कारखानों से आने वाले गंदे पानी को मोटे पाइप के द्वारा जियो ट्यूब में डाला जाता है। तकरीबन एक लाख लीटर पानी की क्षमता वाली दो जियो ट्यूब अलग-अलग एक साथ लगी होती हैं।

ठोस अपशिष्ट क्या हैं?

- कचरे के ढेर आज एक आम बात बन गई है, जो पर्यावरण, नदी, तलाब और कुँओं तथा झीलों को प्रदूषित करता जा रहा है।
- ठोस कचरा आवासीय, औद्योगिक या वाणिज्यिक क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न अवांछित या बेकार ठोस सामग्री है। इसे तीन रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है मूल आधार (घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा निर्माण या संस्थागत), सामग्री (जैविक, कांच, धातु, प्लास्टिक व पेपर आदि), खतरनाक कारक (विषाक्त, गैर विषैले, ज्वलनशील, रेडियोधर्मी तथा संक्रामक) इत्यादि।

डब्ल्यूटीई संयंत्रों की जरूरत क्यों

- देश भर में प्रतिदिन लगभग 1.43 लाख टन नगरपालिका का ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसे निपटाने की विशेष जरूरत है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार भारत में 25,940 टन प्रतिदिन प्लास्टिक कचरे का उत्पादन होता है।

अपशिष्ट प्रबंधन में भारत की स्थिति

- विश्लेषकों के अनुसार भारत में लगभग 32 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है और इसका 60% से भी कम इकट्ठा किया जाता है और केवल 15% ही संसाधित होता है।
- भारत में अपशिष्ट प्रबंधन की बढ़ती समस्याओं के कारण ग्रीनहाउस गैस का बढ़ता प्रभाव तथा लैंडफिल के साथ भारत ऐसे मामलों में तीसरे स्थान पर है।

अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियाँ

- भारतीय परिदृश्य के तहत, आम व्यक्ति के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं है। साथ ही भारत में पहले से मौजूद तकनीक तथा विधियों पर ही पुराने ढर्रे से काम हो रहा है, अभी तक भी नई-नई तकनीकों, कानूनों तथा लोगों में जागरूकता को उस स्तर पर नहीं लाया जा सका है जिसकी वर्तमान समय में आवश्यकता है।
- अपशिष्ट संयंत्रों की अक्षमता या बंद होने का मूल कारण अपशिष्ट की गुणवत्ता और उसकी संरचना है।

आगे की राह

- विषैले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त फिल्टरिंग तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता है।
- भारत की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के लिए आवश्यक है कि गीले और सूखे कचरे को मिश्रित न किया जाए, ताकि केवल गैर-खाद योग्य और गैर-पुन: उपयोग योग्य अपशिष्ट डब्ल्यूटीई संयंत्रों तक पहुँच जाए। ■

इस्लामिक स्टेट का पुनर्उभार : एक गंभीर चुनौती

प्र. आइएस का भौगोलिक विस्तार तो खत्म किया जा चुका है लेकिन इसकी विचारधारा को समाप्त किया जाना अभी भी बड़ी चुनौती है। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर:

चर्चा का कारण

- हाल ही में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) ने ईस्टर (रविवार) के दिन श्रीलंका में हुए सीरियल बम ब्लास्ट की जिम्मेदारी ली है। इस हमले में 321 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जबकि 250 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना से एक बार फिर माना जाने लगा है कि आईएस का प्रसार दक्षिण एशिया में भी हो चुका है।

आइएस के प्रभाव में वृद्धि कैसे हुई?

- आइएस का प्रसार बढ़ते देख 2013 से 2016 के बीच कई देशों से लोग सीरिया में आकर इस संगठन में सम्मिलित हुए। आइएस से सहानुभूति रखने वालों ने सहजता से उपलब्ध वीडियो, मैगजीन, अखबारों आदि के द्वारा इसका ऑनलाइन मार्केटिंग किया था।

अमेरिका का प्रयास

- इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह की पकड़ वाले आखिरी इलाके बाघौज और उसकी लगभग 3 कि.मी. लंबी सीमा पर कुर्दों के नेतृत्व वाली आइएस विरोधी सेना ने कब्जा कर लिया तो 23 मार्च को अमेरिकी समर्थन वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स (एसडीएफ) ने आधिकारिक रूप से 'इस्लामिक स्टेट खलीफाई' के अंत की घोषणा कर दी।

आइएस की वर्तमान स्थिति

- आइएस की वर्तमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो इस बात के अनुमान हैं कि अभी भी आइएस के हजारों लड़ाके मौजूद हैं और सिर्फ अपने को बचाने के लिए इधर-उधर फैल गए हैं।
- आइएस ने अभूतपूर्व चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं। इसने न सिर्फ एक प्रोटो-स्टेट (अर्द्ध राज्य)बना लिया बल्कि इंटरनेट के माध्यम से अपनी पहुँच वैश्विक स्तर तक सुनिश्चित की।

दक्षिण एशिया में आइएस की आहट

- भारत में आइएस गतिविधियों में संलग्न होने के संदेह वाले व्यक्तियों पर जाँच के कुछ 82 सक्रिय मामले हैं। ऐसे मामलों में वो लोग शामिल थे जो आइएस में शामिल होने के इरादे से सीरिया, इराक, अफगानिस्तान या लीबिया की यात्रा पर गए थे और इसमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने इंटरनेट के जरिए आइएस में शामिल होने की इच्छा जाहिर की थी।

श्रीलंका में आतंकी हमले के मायने

- इस घटनाक्रम से संकेत मिलता है कि इन हमलों की योजना बहुत सफाई से बनाई गयी थी ताकि अधिकतम नुकसान सुनिश्चित किया जा सके। इस हमले की जिम्मेदारी आइएस ने ली है। क्षेत्रीय गतिविधियों पर निगाह रखने वाले बहुत से लोगों के लिए श्रीलंका के हमले, मुम्बई में 2008 में हुए हमले जैसे ही थे।

भारत की स्थिति

- भारत की खुफिया एजेंसियों ने भारत को हाई-अलर्ट पर रखा है क्योंकि श्रीलंका के हमले ने भारत की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। भारत के सभी तटीय शहरों में सुरक्षा इंतजाम को पुख्ता करने को कहा गया है जिससे मुंबई जैसे आतंकवादी हमलों को होने से रोका जा सके।

आगे की राह

- आईएसआईएस के संभावित समाप्त होने के बावजूद उसकी विचारधारा के प्रभाव का भी आकलन करना होगा साथ ही भारत को श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। ■

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. नासा ने पहली बार मंगल ग्रह पर भूकंप दर्ज किया

हाल ही में नासा द्वारा प्रक्षेपित रोबोटिक लैंडर 'इनसाइट' ने पहली बार मंगल ग्रह पर भूकंप दर्ज किया है। लैंडर के भूकंपमापी यंत्र एसईआईएस (Seismic experiment for interior structure) ने कमजोर भूकंपीय संकेतों का पता लगाया। हालाँकि, वैज्ञानिक अभी भी हलचल के सही कारणों की जाँच पड़ताल कर रहे हैं।

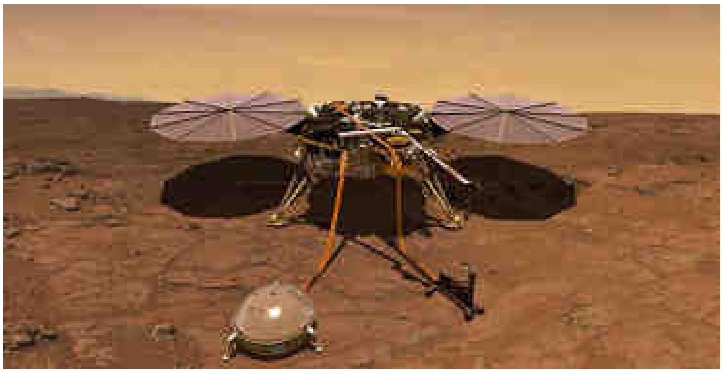

परिचय

पृथ्वी की तरह मंगल पर आए इस भूकंप से ग्रह की अंदरूनी जानकारी का खुलासा किया जा सकता है। 'इनसाइट' 26 नंबवर 2018 को मंगल ग्रह पर उतरा था। इस रोबोट को विशेष रूप से मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। यह ग्रह के तापमान, रोटेशन और भूकंपीय गतिविधि के माप लेने के लिए कई उपकरणों से लैस है। इस घटनाक्रम ने मंगल पर भूकंप विज्ञान के आधिकारिक रूप से एक नया क्षेत्र खोल दिया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इनसाइट का 6 अप्रैल 2019 को मंगल पर 128वाँ दिन था।
- नासा के अनुसार शायद ग्रह के भीतर से भूकंपीय संकेत मिले हैं और ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले सतह के ऊपर के वायु जैसे कारकों के कारण भूकंपीय संकेत मिलते थे।
- वैज्ञानिक ने इस कंपन को 'मार्सक्वेक' नाम दिया है। ■

2. धरती की सतह का तेजी से बढ़ता तापमान

हाल ही में नासा के अध्ययनकर्मियों द्वारा उपग्रह के जरिए किए गए आकलन ने उन आंकड़ों की पुष्टि की है, जिससे पता चलता है कि पिछले 15 साल में पृथ्वी की सतह गर्म हुई है। अध्ययनकर्मियों ने साल 2003 से साल 2007 तक उपग्रह आधारित इन्फ्रॉरेड मेजरमेंट सिस्टम एआईआरएस (एटमॉसफेरिक इन्फ्रा रेड साउन्डर) के जरिए प्राप्त धरती के तापमान का आकलन किया। अध्ययन दल ने इन आंकड़ों को गोडार्ड इन्स्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज सरफेस टेंपरेचर एनालाइसिस (जीआईएसटीईएमपी) से मिलान किया।

अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- यह अध्ययन पत्रिका इनवायरनमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। पिछले 15 साल में दोनों डाटा संग्रह के बीच काफी समानता देखने को मिली है।
- डेटा से पता चला है कि धरती की सतह इस अवधि में गर्म हुई और 2015, 2016, 2017 सबसे गर्म साल रहे।
- एआईआरएस डेटा समुद्र, भूमि और बर्फ से ढके क्षेत्र में सतह के तापमान को दर्शाता है।

नासा के बारे में

- नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है, जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एयरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है।
- नासा का गठन नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस अधिनियम के अंतर्गत 19 जुलाई 1948 में इसके पूर्वाधिकारी संस्था नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एयरोनॉटिक्स (एनसीए) के स्थान पर किया गया था।

- इस संस्था ने 01 अक्टूबर 1948 से कार्य करना शुरू किया तब से आज तक अमेरिकी अंतरिक्ष अन्वेषण के सारे कार्यक्रम नासा द्वारा संचालित किए गए हैं, जिनमें अपोलो चन्द्रमा अभियान, स्कायलैब अंतरिक्ष स्टेशन और बाद में अंतरिक्ष शटल शामिल हैं। ■

3. अमेरिका ने भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा

अमेरिका ने हाल ही में भारत को बौद्धिक संपदा (आईपी) अधिकारों के उल्लंघन के लिए ऐसे देशों की सूची में रखा है, जिनकी वह इस मामले में प्राथमिकता के साथ निगरानी करेगा। अमेरिका के अनुसार भारत ने अपने यहाँ बौद्धिक संपदा संरक्षण व्यवस्था को लेकर लंबे समय से चली आ रही शिकायतों से निपटने की दिशा में अभी तक कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं किया है। इससे अमेरिकी पेटेंटधारकों का अधिकार प्रभावित हुआ है।

प्राथमिक निगरानी सूची से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

- अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधित्व (यूएसटीआर) ने अपनी रिपोर्ट में भारत सहित 11 देशों को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है। इस सूची में अन्य देशों में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, चिली, चीन, इंडोनेशिया, कुवैत, रूस, सऊदी अरब, यूक्रेन और वेनेजुएला शामिल हैं।
- इसके अलावा यूएसटीआर ने पाकिस्तान और तुर्की सहित 25 देशों को निगरानी सूची में रखा है। बौद्धिक संपदा के संरक्षण और प्रवर्तन के मामले में भारत दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से है।
- अमेरिका ने कहा कि आईपी से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए इन देशों को यूएसटीआर से द्विपक्षीय संपर्क बढ़ाना होगा।
- आगामी सप्ताहों में अमेरिका कई साल से प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल देशों के प्रावधानों को अपने व्यापार कानून विशेष 301 की कसौटी पर परखेगा। ऐसे देश, जो अमेरिका की चिंता को दूर करने में विफल पाए जाएंगे उनके खिलाफ वह व्यापारिक कार्रवाई कर सकता है।
- भारत के बारे में यूएसटीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी कंपनियों को लंबे समय से भारत में आईपी से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे विशेषरूप से वहां फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र के नवोन्वेषकों को पेटेंट पाने और उसे कायम रखने में दिक्कतें आ रही हैं। उल्लेखनीय है कि चीन इस सूची में पहले स्थान पर है, जबकि भारत को दूसरा स्थान मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बौद्धिक संपदा के फ्रेमवर्क में लंबे समय से खामियाँ रही हैं। इसमें पेटेंट को लेकर होने वाली समस्याएँ, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट और नियमों को लागू करने तक कई मुद्दे शामिल हैं। ■

4. विश्व बौद्धिक संपदा दिवस–2019

पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक सम्पदा दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (WIPO) द्वारा की गयी थी। इसका उद्देश्य पेटेंट, कॉपीराइट ट्रेडमार्क तथा डिजाइन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए समझौता लागू हुआ था। इस वर्ष बौद्धिक संपदा दिवस की थीम ''रीच फॉर गोल्डः इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्पोर्टस'' है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) इस दिन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के आयोजन हेतु अलग-अलग सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, सामुदायिक समूहों और व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करता है।

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (WIPO)

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, इस वैश्विक संस्था का कार्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा तथा संवर्द्धन करना है। इसकी स्थापना 1967 में की गयी थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसका उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देना है तथा विश्व भर में बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करना है। वर्तमान में इस संस्था में कुल 188 देश शामिल है।

पृष्ठभूमि

- अक्टूबर 1999 में, डब्ल्यूआईपीओ की महासभा में एक खास दिन को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस घोषित करने के विचार को मंजूरी दी थी।
- वर्ष 2000 में, डब्ल्यूआईपीओ ने 26 अप्रैल को वार्षिक विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के तौर पर मनाने और इस दिन बतौर व्यापार/कानूनी अवधारणा के बौद्धिक संपदा के बीच मौजूद कथित अंतर को दूर करने और लोगों के जीवन में उसके महत्व को समझाने का फैसला किया।
- 26 अप्रैल की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि वर्ष 1970 में इसी दिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी। ■

5. दस लाख प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा : यूएन

- हाल ही में यूएन द्वारा जारी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि कैसे इंसान ने प्राकृतिक संसाधनों को कमजोर किया जिस पर उनका अस्तित्व निर्भर करता है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वच्छ हवा, पेयजल, कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाले जंगल, पराग छिड़कने वाले कीड़े, प्रोटीन संपन्न मछली और तूफान रोकने वाले मैन्ग्रोव में तेजी से आ रही कमी जलवायु परिवर्तन से कम खतरनाक नहीं हैं।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, निश्चित तौर पर जैव विविधता में कमी और ग्लोबल वार्मिंग का करीबी संबंध है।
- पेरिस में 130 देशों के प्रतिनिधियों ने 29 अप्रैल को 1,800 से अधिक पृष्ठों की इस रिपोर्ट पर आकलन किए।
- रिपोर्ट का संकलन करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था के अध्यक्ष रॉबर्ट वाटसन ने कहा

कि हमें यह समझने की जरुरत है कि जलवायु परिवर्तन और प्रकृति को नुकसान बराबर महत्वपूर्ण हैं ना केवल पर्यावरण के लिए बल्कि विकास और आर्थिक मुद्दों के लिए भी।''

- रिपोर्ट में कहा गया है, ''पांच लाख से दस लाख प्रजातियाँ विलुप्त होने के कगार पर हैं जिनमें से कई प्रजातियाँ दशकों में विलुप्त हो सकती हैं।''
- कई विशेषज्ञों का मानना है कि तथाकथित ''व्यापक विलुप्तिकरण'' पहले ही शुरू हो चुका है।
- वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज पृथ्वी करीब 80 लाख भिन्न प्रजातियों का घर है जिनमें से अधिकतर कीड़े-मकोड़े हैं। ■

6. पंचायती राज दिवस

भारत ने 24 अप्रैल को 'राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस' मनाया। इस दिवस को मनाने का कारण 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (NPRD) 2010 से 24 अप्रैल को मनाया जा रहा है।

परिचय

भारत एक बहुत ही विस्तृत देश है और इसे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। कई प्रदेशों में जनसंख्या और क्षेत्रफल अधिक होने के कारण प्रदेश के सबसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति ग्रामीण इलाकों के लोगों की समस्याओं से अवगत नहीं हो पाता था इसलिए यह तय किया गया कि देश में लोकतंत्र की जड़ों को पेंड़ की जड़ों की तरह फैलाया जाये।

इस काम के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी सिफारिश में जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की जिसे पंचायती राज कहा गया है। समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही थी।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था के प्रकार

- ग्राम स्तरीय पंचायत
- प्रखंड (ब्लॉक) स्तरीय पंचायत
- जिला स्तरीय पंचायत

राजस्थान देश का पहला राज्य था, जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। इस योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को किया था। इसके बाद इस योजना को 1959 में ही आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था।

पंचायती राज दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कार

- **दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कारः** पंचायतों के सभी तीन स्तरों के लिए सामान्य और विषयगत श्रेणियों में।
- **नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (NDRGGSP):** ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
- **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) पुरस्कारः** देश भर में तीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया जाता है।
- बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार ■

7. अंतरिक्ष में नए अग्निशामक यंत्र का उपयोग

हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में उपयोग हेतु एक नए अग्निशामक यंत्र (Novel Fire Eñtinguisher) को विकसित किया है। यह यंत्र आग की लपटों के साथ ही दहन सामाग्री को सोख लेगा। जापान के तोयोशाही यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्त्ताओं ने इस वैक्यूम आधारित अग्निशामक यंत्र को डिजाइन किया है।

यह यंत्र आम तौर पर उपयोग में लाए जाने वाले अग्निशामक यंत्रों से बिल्कुल उलट काम करता है। आमतौर पर उपयोग में लाए जाने वाले अग्निशामक यंत्र आग पर स्प्रे करते हैं, जबकि यह आग को सोख लेता है, साथ ही दहन सामाग्री को भी सोख कर वैक्यूम चैम्बर में पहुंचा देता है, जहाँ पूरी तरह से आग बुझा दी जाती है।

यह सिद्धांत उस जगह पर बेहद कारगर सिद्ध होगा जहाँ पर खुली जगह की कमी है, जैसे कि समुद्र के नीचे गहराई पर मौजूद सबमरीन या अंतरिक्ष का स्पेस स्टेशन। आग लगने पर हर जगह धुआँ फैल जाता है, जिससे इन संकरी जगहों पर बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। यह नया यंत्र आग के साथ ही धुआँ और दहन सामग्री सब को वैक्यूम चैम्बर में पहुँचा देगा, जिससे कि वातावरण शुद्ध रहेगा।

शोधकर्ताओं ने बताया है कि वर्तमान में अंतरिक्ष के लिए जिन अग्निशामक यंत्रों का उपयोग होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे करते हैं। यह इसलिए कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आग लगने पर इस तरह के अग्निशामक यंत्र बेहतर सिद्ध हुए हैं।

हालांकि, इसके विपरीत वैज्ञानिकों ने बताया कि स्प्रे करने वाले अग्निशामक यंत्र अंतरिक्ष के लिए सही नहीं हैं, क्योंकि इससे केबिन में कार्बनडाइऑक्साइड की मात्र बढ़ जाती है। इसको स्प्रे करने से पहले ऑक्सीजन का मास्क पहनना पड़ता है, जिससे आग बुझाने में देरी होती है और नुकसान ज्यादा होता है।

CO_2-स्प्रेयिंग गैस एक्सटिंग्विशर्स

पृथ्वी पर बिजली से लगी आग को बुझाने के लिये ज्यादातर CO_2- स्प्रेयिंग गैस एक्सटिंग्विशर्स (CO_2-spraying gas eñtinguishers) का इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि केबिन के अंदर सीमित क्षेत्र तथा CO_2 की सांद्रता में वृद्धि के कारण एक्सटिंग्विशर्स की छिड़काव प्रक्रिया अंतरिक्ष-पर्यावरण के लिये सबसे अच्छा विकल्प नहीं है।

इसके अलावा जब CO_2 गैस का छिड़काव फायरिंग जोन में किया जाता है तो हानिकारक दहनशील उत्पादों के साथ-साथ CO_2 गैस पूरे केबिन में फैल जाती है। अंततः हानिकारक गैस घटकों यहाँ तक कि CO_2 को अंततः एयर-रीसर्क्युलेशन प्रक्रिया (air-recirculation procedure) द्वारा फिल्टर किया जाता है जिसमें अधिक समय लगता है और मिशन में देरी होती है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

ईरान पर अमेरिका का प्रतिबंध और भारत

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में अमेरिका ने चेतावनी दी है कि वह भारत सहित पांच देशों को तेल आयात के संबंध में प्रतिबंध में मिली छूट खत्म कर सकता है। इन देशों में भारत के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और तुर्की शामिल हैं।

1.2 अमेरिका ने इन पांच देशों को 2 मई तक के लिए किसी भी तरह के प्रतिबंध से छूट दे रखी थी। इस छूट में तीन अन्य देश- इटली, ग्रीस तथा ताइवान भी शामिल थे। किन्तु ये देश अब ईरान से तेल आयात नहीं कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि

2.1 साल 2015 में न्यूक्लियर डील से खुद को अलग करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर फिर से कुछ प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने भारत सहित कुछ अन्य देश पर से प्रतिबंधों को एक-एक करके हटा लिया था।

प्रमुख घटनाक्रम

3.1 अमेरिका का तर्क है कि ईरान अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरह बंद कर दे और इसके निरीक्षण की अनुमति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अमेरिका को दे।

3.2 इसके पहले अमेरिका ने ईरान की सेना रिवॉल्युशनरी गार्ड को आतंकवादी करार देकर अपना दबाव बढ़ाया था और ईरान ने इस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी।

3.3 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सत्ता संभालते ही ईरान के साथ अमेरिकी अगुआई में छः देशों के परमाणु समझौते को रद्द करने का एलान किया था, हालाँकि इसके मुख्य साझीदार यूरोपीय संघ ने इसका विरोध किया था।

वैश्विक चुनौतियाँ

4.1 अमेरिका ने यह प्रतिबंध एकपक्षीय तौर पर लागू किया है और भारत ने हमेशा कहा है कि वह केवल संयुक्त राष्ट्र द्वारा लागू प्रतिबंधों को ही मानता है, लेकिन ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करने को भारत और चीन सहित अन्य देश इसलिए बाध्य हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग लेन-देन अमेरिकी बैंकिंग चैनलों के जरिए ही होते हैं और जो देश अमेरिकी प्रतिबंधों का आदर नहीं करेंगे, वे अमेरिकी बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

4.2 यूरोपीय संघ ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए अपनी मुद्रा यूरो के लिए एक नया वैकल्पिक बैंकिंग चैनल खोलने का एलान किया था, लेकिन वह अब तक चलन में नहीं आया है।

4.3 यूरोपीय संघ ने पिछले साल ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध किया था और कहा था कि यूरोपीय कंपनियों को ईरान से लेन-देन करने की पूरी छूट होगी।

4.4 अब अमेरिकी प्रशासन द्वारा अपने प्रतिबंधों में कुछ देशों के लिए दी गई छूट को वापस लेने के बाद यूरोपीय कंपनियों के लिए भी ईरान से लेन-देन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके सामने भी अमेरिका से रिश्ते बनाए रखने की मजबूरी है। अब अमेरिकी प्रशासन द्वारा अपने प्रतिबंधों में कुछ देशों के लिए दी गई छूट को वापस लेने के बाद यूरोपीय कंपनियों के लिए भी ईरान से लेन-देन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके सामने भी अमेरिका से रिश्ते बनाए रखने की मजबूरी है।

भारत की स्थिति

5.1 भारत अपनी सालाना पेट्रोलियम जरूरतों का दस प्रतिशत ईरान से आयात करता रहा है।

5.2 ईरान से भारत के रिश्ते सिर्फ तेल आयात के ही नहीं हैं बल्कि भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह का विकास किया है, जिसका इस्तेमाल वह अफगानिस्तान के अलावा मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार के लिए करना चाहता है।

5.3 भारत और ईरान के ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं और मध्य एशिया के साथ रिश्तों को व्यापक आधार देने के इरादे से भारत और ईरान के रिश्तों की विशेष अहमियत है।

5.4 इसलिए भारत सरकार ने भी ईरान के साथ रिश्तों को मजबूत बनाने पर जोर दिया है, लेकिन अमेरिका के साथ भी भारत के सामरिक रिश्ते कम अहमियत नहीं रखते।

5.5 भारत को ईरान और अमेरिका, दोनों की जरूरत है, इसलिए भारत ने कड़ी टिप्पणी करने से यह कहकर बचने की कोशिश की है कि वह अमेरिकी प्रतिबंधों का अध्ययन कर रहा है।

5.6 इसका असर यह होगा कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी दिक्कतें होंगी, क्योंकि ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होता है।

मेलामाइन संदूषण

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारत सरकार ने मेलामाइन के प्रभाव को देखते हुए चीन से आयात होने वाले चॉकलेट, दूध और इसके उत्पादों के आयात पर रोक को अनिश्चितकाल के लिये बढ़ा दिया है।

1.2 चीन से दूध तथा इससे जुड़े उत्पादों के आयात पर रोक अब बंदरगाहों पर स्थित प्रयोगशालाओं में जहरीले रसायन मेलामाइन का परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध होने तक जारी रहेगी।

पृष्ठभूमि

2.1 खाद्य क्षेत्र के नियामक एफएसएसएआई (FSSAI) ने चीन से दूध उत्पादों के आयात पर लगाई गई रोक को बंदरगाहों पर स्थित प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाये जाने तक बढ़ाने की सिफारिश की थी।

2.2 चीन से दूध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात पर सबसे पहले सितंबर 2008 में रोक लगाई गई थी। इसके बाद से इस रोक को लगातार समय-समय पर आगे बढ़ाया जाता रहा है।

मेलामाइन क्या है

3.1 1830 में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने एक अनोखे पदार्थ की खोज की, जिसका नाम मेलामाइन रखा गया। जब इसे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलाया गया तो ये एक मोल्डेबल मैटेरियल में बदल गया जो वर्चुअली अनब्रेकेबल था। इस पदार्थ का कई उद्योगों में उपयोग किया गया, जैसे प्लास्टिक उद्योग, खाना खाने के बर्तन तथा फ्लोर की चमकदार टाइल्स।

3.2 मेलामाइन एक प्रकार का कैमिकल है जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने सहित विभिन्न इंडस्ट्रियल प्रोसेस में किया जाता है। मेलामाइन की वजह से कैंसर, लकवा और किडनी जैसी बीमारियाँ होने की आशंका रहती है।

3.3 मेलामाइन में 67% नाइट्रोजन होती है। इसलिए इसका उपयोग पहले पशु चारे में और उसके बाद दूध की मिलावट करने में होने लगा जिसके कारण दुनिया के अनेक देशों में मेलामाइन को प्रतिबंधित किया जा चुका है।

3.4 इसका इस्तेमाल क्रॉकरी बनाने, कैन कोटिंग और निशान लगाने आदि में भी होता है।

3.5 इसके कुछ अंश भोजन के साथ हमारे शरीर में चले जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं।

3.6 लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से यह स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकता है। इससे मुख्य रूप से मूत्राशय क्षतिग्रस्त हो जाता है और कभी-कभी मूत्राशय कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

डब्ल्यूएचओ के निर्देश

4.1 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की एक नयी रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की खाद्य मानक इकाई कोडेक्स एलमेन्टेरियस कमीशन के नये दिशा निर्देशों के अनुसार शिशुओं के लिए तैयार किए जाने वाले मिल्क पाउडर में मेलामाइन की मात्रा प्रतिकिलो में एक मिलीग्राम और अन्य आहार तथा पशुओं के लिए इस रसायन की मात्रा 2.5 मिलीग्राम प्रति किलो से अधिक नहीं होनी चाहिये।

4.2 संदूषित पदार्थ पर बनी कोडेक्स समिति के अध्यक्ष मार्टीजन वेइजटेस ने इस संबंध में कहा कि मेलामाइन का अधिकतम स्तर निर्धारित करने से सरकार को कम मात्रा में अपरिहार्य मेलामाइन का इस्तेमाल और जानबूझ कर की गयी मिलावट के बीच अंतर समझने में मदद मिलेगी और इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनावश्यक बाधा पैदा किये बिना जन स्वास्थ्य को सुरक्षित किया जा सकेगा।

बीआरआई और भारत की चिंता

पृष्ठभूमि

2.1 भारत ने 2017 में यह कहते हुए बेल्ट एंड रोड फोरम में हिस्सा नहीं लिया था कि इससे उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन होता है।

परियोजना की प्रगति

3.1 चीन समेत अन्य देश जो बीआरआई का हिस्सा है इन देशों के बीच व्यापार राशि 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गई है।

3.2 इसके अलावा चीन का दावा है कि इस परियोजना से 3,00,000 नौकरियाँ सृजित हुई हैं।

3.3 चीन के अनुसार 2017 में पहले बीआरआई में, 60 से अधिक देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल थे। वर्तमान में यह आंकड़ा अब '126 देशों और 29 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों' का हो चुका है।

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में चीन के दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में बीजिंग (चीन) में दुनिया भर के नेता जमा हुए। हालाँकि भारत ने इस बार भी फोरम का बहिष्कार किया है साथ ही अमेरिका ने भी इस बार फोरम का बहिष्कार किया है।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा

4.1 चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) जो बीआरआई का सबसे महत्वाकांक्षी भाग है, भारत के विरुद्ध 'मोतियों की माला' की सबसे अहम् कड़ी है।

4.2 सीपीईसी पाकिस्तान और चीन की 'सर्व ऋतु मित्रता' के अंतर्गत चीनी निवेश के जरिये पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि कृषि, संचार तथा आर्थिक बाजार का पुनः प्रवर्तन है पर इसका प्रमुख उद्देश्य चीन का सैन्य विस्तारीकरण है।

4.3 चीन अपनी बढ़ती ऊर्जा माग का 80% पश्चिमी एशिया से आयात करता है और युद्ध की परिस्थिति में अमेरिका और उसके सहयोगी नौसेनाओं द्वारा नाकाबंदी उसके लिए घातक होगी। इसलिए वह मलक्का जल संधि में अपनी पहुँच सुनिश्चित करना चाहता है।

4.4 चीन इस समस्या का समाधान दक्षिणी चीन सागर में स्थित देशों को सैन्य बाहुबल से दमन कर तलाश रहा है जिससे वह इस पूरे क्षेत्र को अपना सैन्य किला बना किसी भी परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो।

4.5 चीनी आकलन के अनुसार ग्वादर बंदरगाह उसे सीधे पश्चिमी हिन्द महासागर तक पहुँचा कर उसकी ऊर्जा सुरक्षा का समाधान कर देगा।

वैश्विक चिंताएँ

5.1 अमेरिका का मानना है कि चीन 'बेल्ट एंड रोड' मुहिम के जरिए छोटे देशों को 'ऋण के जाल' में फंसा रहा है।

5.2 अमेरिका, जापान, जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों ने चीन की इस परियोजना को आर्थिक और राजनीतिक हितों पर प्रभाव बताया है।

5.3 श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह को कर्ज के बदले चीन द्वारा 99 साल की लीज पर लेने के बाद दुनियाभर में चीन की आलोचना बढ़ गई।

सीपीईसी और भारत

6.1 सीपीईसी भारत के हितों के लिए प्रतिकूल है। सीपीईसी जो चीन के पश्चिमी शिनजियांग को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने का कार्य करेगा, यह पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट-बाल्टिस्तान के रास्ते गुजरेगा।

6.2 विधिक तौर पर गिलगिट-बाल्टिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जो पाकिस्तान ने हथियाया हुआ है।

6.3 सीपीईसी का सैन्य दृष्टिकोण भारत के सामरिक हितों के प्रतिकूल होने में कोई संदेह नहीं है।

6.4 भारत अभी तक अपनी हिमालयी सीमा पर चीन का सामना कर रहा है, उसके लिए संघर्ष की स्थिति में परेशानी खड़ी हो सकती है।

6.5 चीन ने पिछले तीन दशकों में पाकिस्तान को प्रोत्साहित कर भारत को अपनी पश्चिमी सीमा पर उलझा कर रखा है।

6.6 कश्मीर समस्या की जड़ में चीन द्वारा पाकिस्तान को परोक्ष और प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है। इस सहयोग के अभाव में पाकिस्तान के पास भारत से कोई संघर्ष करने का सामर्थ्य नहीं है।

6.7 पुलवामा के पश्चात भी चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र की 1,267 समिति में मसूद अजहर पर प्रतिबन्ध पर तकनीकी रोक लगाकर चीन ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह भारत को प्रगति से रोकने के लिए आतंकवाद का सहारा लेने में नहीं चूकेगा।

भारतीय विमानन क्षेत्र की चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में निजी क्षेत्र की 25 साल पुरानी जेट एयरवेज गहरे वित्तीय संकट में फंस गयी है। इसी तरह सरकारी क्षेत्र की एयर इंडिया का वित्तीय संकट भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

भारतीय विमानन परिचालन में समस्याएँ

2.1 तेल की कीमतों में भारी उछाल है, जिसके कारण देश में विमानन कंपनियों को महँगे दामों पर तेल खरीदना पड़ता है। इस वजह से कंपनी के खर्च पर सीधा असर पड़ता है। इसके अलावा डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा कमजोर हुई है।

2.2 इससे एयरलाइंस का खर्च, जहाज खरीदने, जहाज पर लोन, जहाज के पुर्जे और विदेशी पायलट इत्यादि सभी का खर्च बढ़ जाता है। इन सब पर कंपनी का काफी पैसा खर्च होता है।

2.3 मौजूदा हालात में विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ रही है, कई कंपनियाँ नये-नये जहाज ला रही हैं, ऐसी स्थिति में कोई भी विमानन कंपनी टिकटों के दाम बढ़ाने के पक्ष में नहीं है ऐसे में जेट एयरवेज, जो पहले से ही नुकसान में चल रही है उसकी भरपाई के लिए खर्च में लगातार कटौती करने की कोशिश हो रही है।

2.4 यही नहीं एयर सहारा का जेट एयरलाइंस में विलय भी इसके संकट का कारण बना है। किंगफिशर, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस इसके उदाहरण हैं।

2.5 8 हजार करोड़ से ज्यादा कर्ज में डूबी जेट एयरवेज को संकट से उबारने के लिए नये निवेशक की तलाश है।

2.6 जेट एयरवेज पर कुल 26 बैंकों का कर्ज है।

जेट एयरवेज को मुश्किलों से निकालने की कोशिश

3.1 एसबीआई ने वित्तीय संकट से जूझ रहे जेट एयरवेज में हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली आमंत्रित की है।

3.2 एसबीआई के नेतृत्व वाले 26 बैंकों के समूह ने जेट एयरवेज के लोन रिस्ट्रक्चरिंग योजना के तहत उस पर मैनेजमेंट कण्ट्रोल स्थापित किया है।

भारत की विमानन क्षेत्र में स्थिति

4.1 भारत विमानन क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के आँकड़ों के मुताबिक 2024 तक हवाई यात्रा करने वाले देशों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा।

4.2 देश की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में विमानन उद्योग का योगदान 5 फीसदी है। इस उद्योग से लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है, किन्तु कड़ी प्रतिस्पर्द्धा, महँगा रख-रखाव और कुछ नीतियों की वजह से यह उद्योग लगातार घाटे में है।

4.3 वर्तमान में भारत विश्व का 9वाँ सबसे बड़ा एविएशन बाजार है। भारत का घरेलू बाजार दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा विकसित होता बाजार है।

4.4 AITA के मुताबिक भारत इस क्षेत्र में ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा और दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा एविएशन बाजार बन जाएगा।

4.5 2025 तक भारत में 278 करोड़ लोग विमान से यात्रा करेंगे

ताजा आँकड़े

5.1 डीजीसीए (DGCA) के आँकड़ों के अनुसार फरवरी 2019 में घरेलू विकास यात्रा की दर 5.6 फीसदी थी, जो पिछले 53 महीनों में सबसे कम रहा है।

नई विमानन नीति

6.1 जून 2016 में भारत सरकार ने नई विमानन नीति की घोषणा की थी। इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी।

6.2 सरकार ने लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2022 तक भारतीय उड्डयन उद्योग दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाए।

6.3 नई नीति में अगले पाँच वर्षों में 30 करोड़ हवाई यात्रियों को सेवा देने लायक बुनियादी ढाँचा तैयार करने का लक्ष्य रखा गया।

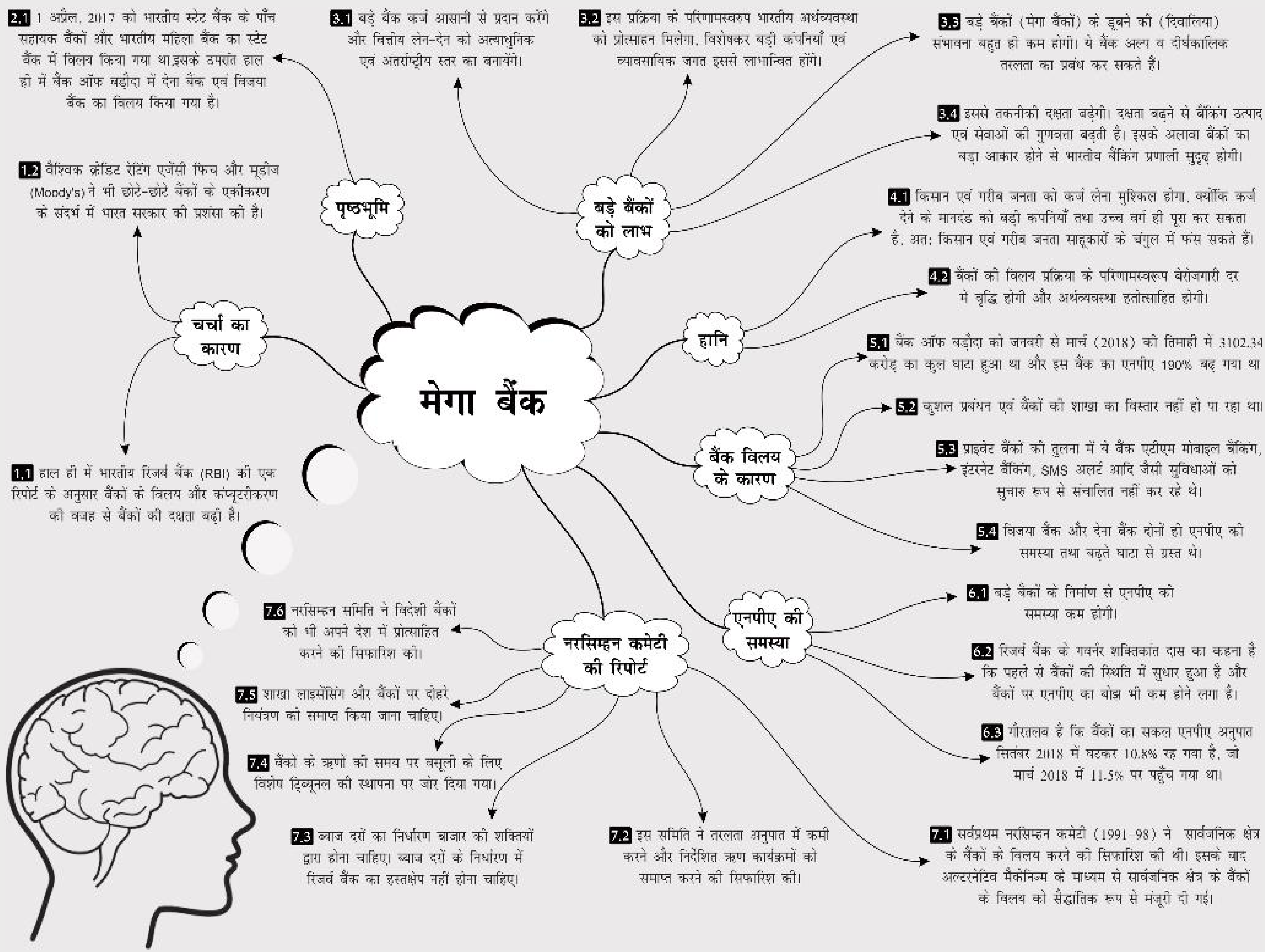
मेगा बैंक
चर्चा का कारण
1.1 हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की एक रिपोर्ट के अनुसार बैंकों के विलय और कंप्यूटरीकरण की वजह से बैंकों की दक्षता बढ़ी है।
1.2 वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच और मूडीज (Moody's) ने भी छोटे-छोटे बैंकों के एकीकरण के संदर्भ में भारत सरकार की प्रशंसा की है।
पृष्ठभूमि
2.1 1 अप्रैल, 2017 को भारतीय स्टेट बैंक के पाँच सहायक बैंकों और भारतीय महिला बैंक का स्टेट बैंक में विलय किया गया था।इसके उपरांत हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक एवं विजया बैंक का विलय किया गया है।
बड़े बैंकों को लाभ
3.1 बड़े बैंक कर्ज आसानी से प्रदान करेंगे और वित्तीय लेन-देन को अत्याधुनिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनायेंगे।
3.2 इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा, विशेषकर बड़ी कंपनियाँ एवं व्यावसायिक जगत इससे लाभान्वित होंगे।
3.3 बड़े बैंकों (मेगा बैंकों) के डूबने की (दिवालिया) संभावना बहुत ही कम होगी। ये बैंक अल्प व दीर्घकालिक तरलता का प्रबंध कर सकते हैं।
3.4 इससे तकनीकी दक्षता बढ़ेगी। दक्षता बढ़ने से बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ती है। इसके अलावा बैंकों का बड़ा आकार होने से भारतीय बैंकिंग प्रणाली सुदृढ़ होगी।
हानि
4.1 किसान एवं गरीब जनता को कर्ज लेना मुश्किल होगा, क्योंकि कर्ज देने के मानदंड को बड़ी कंपनियाँ तथा उच्च वर्ग ही पूरा कर सकता है, अत: किसान एवं गरीब जनता साहूकारों के चंगुल में फंस सकते हैं।
4.2 बैंकों की विलय प्रक्रिया के परिणामस्वरूप बेरोजगारी दर में वृद्धि होगी और अर्थव्यवस्था हतोत्साहित होगी।
बैंक विलय के कारण
5.1 बैंक ऑफ बड़ौदा को जनवरी से मार्च (2018) की तिमाही में 3102.34 करोड़ का कुल घाटा हुआ था और इस बैंक का एनपीए 190% बढ़ गया था
5.2 कुशल प्रबंधन एवं बैंकों की शाखा का विस्तार नहीं हो पा रहा था।
5.3 प्राइवेट बैंकों की तुलना में ये बैंक एटीएम मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, SMS अलर्ट आदि जैसी सुविधाओं को सुचारु रूप से संचालित नहीं कर रहे थे।
5.4 विजया बैंक और देना बैंक दोनों ही एनपीए की समस्या तथा बढ़ते घाटा से ग्रस्त थे।
एनपीए की समस्या
6.1 बड़े बैंकों के निर्माण से एनपीए की समस्या कम होगी।
6.2 रिज़र्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कहना है कि पहले से बैंकों की स्थिति में सुधार हुआ है और बैंकों पर एनपीए का बोझ भी कम होने लगा है।
6.3 गौरतलब है कि बैंकों का सकल एनपीए अनुपात सितंबर 2018 में घटकर 10.8% रह गया है, जो मार्च 2018 में 11.5% पर पहुँच गया था।
नरसिम्हन कमेटी की रिपोर्ट
7.1 सर्वप्रथम नरसिम्हन कमेटी (1991-98) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय करने की सिफारिश की थी। इसके बाद अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई।
7.2 इस समिति ने तरलता अनुपात में कमी करने और निर्देशित ऋण कार्यक्रमों को समाप्त करने की सिफारिश की।
7.3 ब्याज दरों का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा होना चाहिए। ब्याज दरों के निर्धारण में रिज़र्व बैंक का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
7.4 बैंकों के ऋणों की समय पर वसूली के लिए विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना पर जोर दिया गया।
7.5 शाखा लाइसेंसिंग और बैंकों पर दोहरे नियंत्रण को समाप्त किया जाना चाहिए।
7.6 नरसिम्हन समिति ने विदेशी बैंकों को भी अपने देश में प्रोत्साहित करने की सिफारिश की।

मलेरिया का टीका

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में डब्ल्यूएचओ (WHO) ने दुनिया का पहला मलेरिया का टीका मलावी में लॉन्च किया। यह टीका विश्व मलेरिया दिवस (25 अप्रैल) पर लॉन्च किया गया।

टीके के बारे में

2.1 वैक्सीन का नाम RTS/AS01 रखा गया, लेकिन व्यापारिक नाम 'मासक्यूरिक्स' है।

2.2 यह पाँच महीने से दो साल तक के बच्चों को दिया जा सकेगा।

2.3 डब्ल्यूएचओ ने इस पायलट प्रोजेक्ट की तैयारी घाना, कीनिया और मलावी में की थी।

मलेरिया की वैश्विक स्थिति

3.1 मलेरिया का सबसे अधिक प्रकोप अफ्रीका में देखा गया

3.2 डब्ल्यूएचओ की विश्व मलेरिया रिपोर्ट में 87 देशों में मलेरिया को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आये।

3.3 मलेरिया के लगभग 70 फीसदी मामले भारत और उप सहारा अफ्रीका के 10 देशों में पाए गये हैं।

3.4 मलेरिया से 11 देशों में लगभग 2 लाख 74 हजार लोगों की मौतें हुई हैं।

3.5 मलेरिया के करीब आधे मामले पाँच देशों में नाइजीरिया में 25%, कांगो में 11%, मोजाम्बिक में 5%, तथा भारत और युगांडा में चार-चार फीसदी मामले सामने आए हैं।

3.6 2016-17 में सबसे ज्यादा मलेरिया महामारी की बढ़ोत्तरी नाइजीरिया, कांगो तथा मेडागास्कर में दर्ज की गई।

3.7 मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं।

3.8 दुनिया में 2017 में मलेरिया के 21.9 करोड़ मामले सामने आए जबकि 2016 में 21.7 करोड़ मामले दर्ज किये गए तथा 2010 में 23.9 करोड़ मामले सामने आये थे। इस प्रकार इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मलेरिया के मामलों में कोई खास गिरावट नहीं देखी गयी है।

मलेरिया कैसे फैलता है?

4.1 यह एनाफिलीज मादा मच्छर से फैलता है और लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है।

4.2 मलेरिया में तेज बुखार, मांसपेशियों में दर्द, पसीना, ठण्ड व कपकपी, सर दर्द, थकान और उल्टी दस्त जैसे प्रभाव 1-4 हफ्तों में दिखाई देते हैं।

डब्ल्यूएचओ के प्रयास

5.1 पहली बार मलेरिया की रोकथाम के लिए वर्ष 2009-2014 के बीच टीके का क्लीनिकल ट्रायल हुआ था। इस प्रयास के चलते डब्ल्यूएचओ ने दुनिया से मलेरिया खत्म करने के लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा है।

5.2 डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि दुनिया भर में जागरूकता के साथ-साथ इस पर धन राशि को बढ़ाना होगा।

5.3 डब्ल्यूएचओ का कहना है कि मलेरिया से जुड़े खर्च को 2020 तक 660 करोड़ डॉलर तक बढ़ाना होगा, साथ ही अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण है।

5.4 ज्ञातव्य है कि डब्ल्यूएचओ ने 2018 में पराग्वे को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है।

भारत की स्थिति

6.1 भारत में "जाँच करो इलाज करो, नजर रखो" के जरिए भारत सरकार ने इस बीमारी पर कुछ हद तक सफलता पायी है।

6.2 भारत में 2016-17 के बीच मलेरिया मामलों में लगभग 24% कमी आई है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित 11 देशों में से भारत में ही गिरावट दर्ज की गई।

6.3 डब्ल्यूएचओ के अनुसार हर 7 में से 1 भारतीय को मलेरिया का खतरा है। अभी भी भारत मलेरिया से पूरी तरफ मुक्त नहीं है।

6.4 2017 में मलेरिया उन्मूलन रणनीति योजना (2017-2022) की शुरूआत की गयी।

6.5 साल 2027 तक मलेरिया की समाप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें मलेरिया की निगरानी, शीघ्र पहचान, मलेरिया को फैलने से रोकना, मच्छरदानी बाँटना तथा घरेलू स्प्रे को प्रोत्साहन देना शामिल है।

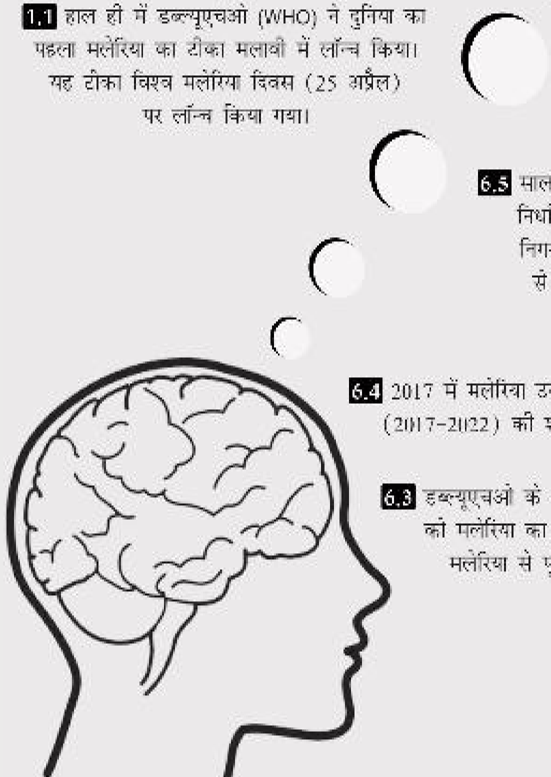

क्रॉस-एलओसी व्यापार का निलंबन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारत ने जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के बीच व्यापार को निलंबित कर दिया है। भारत सरकार के अनुसार पाक से संबंध रखने वाले अराजक तत्व व्यापार मार्गों का दुरुपयोग कर रहे थे।

पृष्ठभूमि

2.1 साल 2008 में दोनों देशों ने आपसी भरोसा कायम करने के उद्देश्य से नियंत्रण रेखा के आर-पार व्यापार शुरू किया था। वर्तमान में 21 वस्तुओं का ही इस क्षेत्र से व्यापार होता है, जो सभी प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद हैं।

2.2 जम्मू-कश्मीर के सलामाबाद और चाकन-दा-बाग में एलओसी व्यापार सप्ताह में चार दिन होता था।

क्रॉस-एलओसी व्यापार को निलंबित करने के कारण

3.1 क्रॉस-एलओसी व्यापार का इस्तेमाल कोकीन, ब्राउन शुगर और हेरोइन जैसे नशीले पदार्थों, अवैध हथियारों व नकली मुद्रा का घाटी में नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है, जिससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

3.2 गृह मंत्रालय और एनआईए के अनुसार एलओसी व्यापारिक गतिविधि में आतंकवाद/अलगाववाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े व्यक्तियों द्वारा संचालित की जा रही है।

एलओसी व्यापार का महत्त्व

4.1 स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होने के साथ-साथ यहाँ बुनियादी ढाँचों का विकास तीव्र गति से किया जा सकता है।

4.2 क्रॉस एलओसी व्यापार से स्थानीय व्यापारी लाभान्वित होंगे और इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के युवाओं के लिए रोजगार सृजन होंगे।

4.3 व्यापार के विस्तार से दोनों देशों और सीमा पार के लोगों के बीच विश्वास कायम करने में मदद मिलेगी।

4.4 यह शांति-निर्माण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। क्रॉस एलओसी व्यापार ने विभाजित परिवारों और कुछ लोगों के संघर्ष को अहिंसक और वैकल्पिक दृष्टि प्रदान की है।

क्रॉस-एलओसी व्यापार के साथ मुद्दे

5.1 व्यापार संबंधों में क्षेत्रीय असंतुलन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण व्यापार केवल जम्मू से सटे क्षेत्रों में ही हो रहा है न कि कश्मीर से जुड़े क्षेत्रों में।

5.2 क्रॉस-एलओसी, व्यापार के विस्तार के लिए आरम्भ से ही मांग हो रही है लेकिन यह सुरक्षा चिंताओं के कारण सीमित है।

5.3 बुनियादी ढाँचे की कमी के परिणामस्वरूप छोटी खेप, हैंडलिंग, ईंधन और अन्य लागतों के कारण मुनाफे बाधित होते हैं।

5.4 जीएसटी के बाद, व्यापारियों को पीओके को निर्यात किए गए माल और मुजफ्फराबाद से आयात किए गए माल पर दोहरे कराधान का भुगतान करना पड़ता है।

उठाए जाने वाले कदम

6.1 केंद्र और राज्य सरकारों को व्यापार में सुधार और व्यापारियों की क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

6.2 नियंत्रण रेखा के पार वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों की जाँच के लिए स्कैनर स्थापित करना चाहिए।

6.3 व्यापारियों को पंजीकृत किया जाना चाहिए और खुफिया रिपोर्ट के बाद ही व्यापार के लिए लाइसेंस दिया जाना चाहिए।

6.4 सरकार को आश्वस्त करना चाहिए कि व्यापारियों को परेशान करने के बजाय व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये।

6.5 एलओसी पार व्यापार के निलंबन से स्थानीय लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए सरकार को नियामक ढाँचे पर फिर से विचार करना चाहिए। साथ ही सीमा पर अवैध व्यापार न हो इसके लिए सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहने की आवश्यकता है।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. ईरान पर अमेरिका का प्रतिबंध और भारत

प्र. ईरान पर अमेरिका का प्रतिबंध और भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अमेरिका द्वारा तेल आयात को लेकर दी गई छूट 2 मई को समाप्त हो रही है।
2. इस प्रतिबंध से भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई परेशानी नहीं होगी।
3. भारत अपनी सालाना पेट्रोलियम जरूरतों का दस प्रतिशत ईरान से आयात करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (c)

व्याख्याः हाल ही में अमेरिका ने चेतावनी दी है कि वह भारत सहित पाँच देशों को तेल आयात में प्रतिबंधों से मिली छूट को समाप्त कर सकता है। यह छूट 2 मई तक मिली हुई थी। भारत अपनी सालाना पेट्रोलियम जरूरतों का दस प्रतिशत ईरान से आयात करता है। अमेरिका द्वारा दी गई छूट की समय सीमा समाप्त होने से भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी दिक्कतें होंगी, क्योंकि ज्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होता है। इस प्रकार कथन 2 गलत है जबकि कथन 1 और 3 सही हैं। ■

2. मेलामाइन संदूषण

प्र. मेलामाइन संदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में भारत सरकार ने मेलामाइन के प्रभाव को देखते हुए चीन से आयात होने वाले चॉकलेट, दूध और इसके बने उत्पादों पर रोक को अनिश्चित समय तक के लिए बढ़ा दिया है।
2. चीन से दूध एवं दुग्ध उत्पादों के आयात पर सबसे पहले 2009 में रोक लगाई गई थी।
3. मेलामाइन की वजह से कैंसर, लकवा और किडनी जैसी बीमारियाँ होने की आशंका रहती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 1
(c) केवल 1 और 3 (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तरः (c)

व्याख्याः चीन से दूध तथा इससे जुड़े उत्पादों के आयात पर रोक अब बंदरगाहों पर स्थित प्रयोगशालाओं में जहरीले रसायन मेलामाइन का परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध होने तक जारी रहेगी। चीन से दूध तथा दुग्ध उत्पादों के आयात पर सबसे पहले सितम्बर 2008 में रोक लगाई गई थी। मेलामाइन के प्रयोग से मूत्राशय कैंसर, लकवा तथा किडनी जैसी बीमारियाँ होती हैं। इस प्रकार दिये गए कथनों में कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। ■

3. बीआरआई और भारत की चिंता

प्र. बीआरआई और भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में चीन के दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम सम्मेलन में भारत ने भाग लिया है।
2. भारत ने 2017 में यह कहते हुए बेल्ट एंड रोड फोरम में हिस्सा नहीं लिया था कि इससे उसकी क्षेत्रीय सम्प्रभुता का उल्लंघन होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः (a)

व्याख्याः हाल ही में चीन के दूसरे बेल्ट एंड रोड फोरम में बीजिंग (चीन) में दुनिया भर के नेता जमा हुए। हालाँकि भारत ने इस बार भी फोरम का बहिष्कार किया है साथ ही अमेरिका ने भी इस बार फोरम का बहिष्कार किया है। भारत ने 2017 में यह कहते हुए बेल्ट एंड रोड फोरम में हिस्सा नहीं लिया था कि इससे उसकी क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन होता है। इस प्रकार दिये गए कथनों में कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2 सही है। ■

4. भारतीय विमानन क्षेत्र की चुनौतियाँ

प्र. भारतीय विमानन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में निजी क्षेत्र की 25 साल पुरानी जेट एयरवेज गहरे वित्तीय संकट में फँस गई है।
2. जून 2016 में भारत सरकार ने नई विमानन नीति की घोषणा की थी।
3. एसबीआई के नेतृत्व वाले 26 बैंकों के समूह ने जेट एयरवेज

के लोन रिस्ट्रक्चरिंग योजना के तहत उस पर मैनेजमेंट कण्ट्रोल स्थापित किया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2

(c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्या: हाल ही में निजी क्षेत्र की 25 साल पुरानी जेट एयरवेज गहरे वित्तीय संकट में फँस गयी है। इसी तरह सरकारी क्षेत्र की एयर इंडिया का वित्तीय संकट भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जून 2016 में भारत सरकार ने नई विमानन नीति की घोषणा की थी। इस क्षेत्र में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी। एसबीआई के नेतृत्व वाले 26 बैंकों के समूह ने जेट एयरवेज के लोन रिस्ट्रक्चरिंग योजना के तहत उस पर मैनेजमेंट कण्ट्रोल स्थापित किया है। इस प्रकार दिए गए सभी कथन सही हैं।■

5. मेगा बैंक

प्र. मेगा बैंक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 1 अप्रैल, 2017 को भारतीय स्टेट बैंक के पाँच सहायक बैंकों और भारतीय महिला बैंक का स्टेट बैंक में विलय किया गया था।
2. सर्वप्रथम नरसिम्हन कमेटी (1991-98) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय करने की सिफारिश की थी।
3. नरसिम्हन समिति ने विदेशी बैंकों को भी अपने देश में प्रोत्साहित करने की सिफारिश की थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) केवल 1 और 2 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (d)

व्याख्या: 1 अप्रैल, 2017 को भारतीय स्टेट बैंक के पाँच सहायक बैंकों और भारतीय महिला बैंक का स्टेट बैंक में विलय किया गया था, इसके उपरांत हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक एवं विजया बैंक का विलय किया गया है। सर्वप्रथम नरसिम्हन कमेटी (1991-98) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय करने की सिफारिश की थी। इसके बाद अल्टरनेटिव मैकेनिज्म के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी गई। नरसिम्हन समिति ने विदेशी बैंकों को भी अपने देश में प्रोत्साहित करने की सिफारिश की। इस प्रकार दिए गए सभी कथन सही हैं।■

6. मलेरिया का टीका

प्र. मलेरिया का टीका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. डब्ल्यूएचओ (WHO) ने दुनिया का पहला मलेरिया का टीका भारत में लॉन्च किया है।
2. वैक्सीन का नाम RTS/AS01 रखा गया है, लेकिन व्यापारिक नाम 'मासक्यूरिक्स'' है।
3. डब्ल्यूएचओ (WHO) ने विश्व से मलेरिया को समाप्त करने के लिए 2030 तक का लक्ष्य रखा है जबकि भारत 2027 तक इस लक्ष्य को पूरा करना चाहता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 (d) उपर्युक्त सभी

उत्तरः (b)

व्याख्या: डब्ल्यूएचओ (WHO) ने विश्व का पहला मलेरिया का टीका मलावी (अफ्रीकी देश) में लॉन्च किया है। यह टीका पाँच महीने से दो साल तक के बच्चों को दिया जा सकेगा। गौरतलब है कि भारत ने 2017 में मलेरिया उन्मूलन रणनीति योजना आरंभ की थी, जबकि मलेरिया के लगभग 70 प्रतिशत मामले भारत और उप-सहारा अफ्रीका के 10 देशों में पाए गए हैं। इस प्रकार कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 और 3 सही हैं। ■

7. क्रॉस-एलओसी व्यापार का निलंबन

प्र. क्रॉस-एलओसी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 2008 में भारत-पाकिस्तान ने आपसी भरोसा कायम करने के उद्देश्य से नियंत्रण रेखा के आर-पार व्यापार शुरू किया था।
2. गृह मंत्रालय और एनआईए के अनुसार क्रॉस-एलओसी व्यापार को निलंबन करने के प्रमुख कारण थे- घाटी में नकली मुद्रा, कोकीन, ब्राउन शूगर, नशीले पदार्थ, अवैध हथियार और आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि।
3. क्रॉस-एलओसी व्यापार सप्ताह में सातों दिन हो रहा था। वर्तमान में 30 वस्तुओं का ही इस क्षेत्र से व्यापार हो रहा था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 3 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तरः (b)

व्याख्या: क्रॉस-एलओसी व्यापार सप्ताह में केवल चार दिन होता था और वर्तमान में 21 वस्तुओं का ही इस क्षेत्रों से व्यापार हो रहा था। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय और एनआईए ने घाटी में मादक पदार्थों की आवाजाही एवं आतंकवादी गतिविधियों के पदार्थों की आवाजाही एवं आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भ में चिंता जाहिर की है। एलओसी व्यापार के निलंबन से स्थानीय लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसके लिए सरकार को नियामक ढाँचे पर फिर से विचार करना चाहिए। साथ ही सीमा पर अवैध व्यापार न हो उसके लिए सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। अतः इस प्रकार कथन 1 और 2 सही हैं जबकि कथन 3 सही नहीं हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. वह देश जिसके सैन्य साजो-सामान के निर्यात पर हाल ही में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है।

-रूस

2. वह मंत्रालय जिसने हाल ही में उन्नत भारत अभियान का दूसरा संस्करण लाँच किया।

-मानव संसाधन विकास मंत्रालय

3. भारत में हुई वह दुर्घटना जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 20वीं शताब्दी के ''प्रमुख औद्योगिक दुर्घटनाओं'' में से एक माना है।

-भोपाल गैस त्रासदी

4. वह देश जहाँ हाल ही में चर्चा में रहा माउंट अगुंग का एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया गया।

-इंडोनेशिया

5. वह देश जिसने हाल ही में राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति 2031 को अपनाया है।

-यूएई

6. वह राज्य जहाँ हाल ही में 27 वर्ष बाद पूरी तरह से अफस्पा हटाया गया।

-मेघालय

7. हाल ही में नासा द्वारा जारी जानकारी के अनुसार सौरमंडल के इस ग्रह का कोर ठोस है।

-बुध

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए व्यवस्था

- हाल ही में उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से व्यवस्था में लगातार सुधार लाने और उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों से देश में गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है।
- तेजी से विकसित हो रही दुनिया में प्रौद्योगिकी में हो रहे बदलाव का उल्लेख किया जा सकता है और छात्रों को अपने चुने हुए क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपने ज्ञान और कौशल को नियमित रूप से समय के अनुरूप ढालने की आवश्यकता है।
- देश की समृद्धि और विकास में तेजी लाने के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया जाना चाहिए।
- उच्च शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ज्ञान और अनुसंधान के नए अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत है। विकास की नई ऊंचाईयों की ओर कदम बढ़ाते समय ग्रामीण भारत की उपेक्षा नहीं किए जाए और उन्हों समग्र और समावेशी विकास में शामिल किया जाये।
- प्रौद्योगिकी को समाज में समानता लाने का एक लोकतांत्रिक जरिया बताते हुए छात्र और युवा अपने गाँवों, कृषि और संबद्ध उद्योगों की तकनीकी जरूरतों का ध्यान रखें।
- इसके साथ ही ग्रामीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करने की जरूरत है।
- प्रौद्योगिकी के जरिए ग्रामीण जीवन और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों का समाधान तलाशा जाना चाहिए।
- भारत गाँवों में बसता है और देश का विकास गाँवों के विकास पर निर्भर करता है।
- आज छात्रों और युवाओं को आधुनिक जीवन शैली के विकर्षणों का शिकार न होने और स्वस्थ रहने के लिए जंक फूड त्यागने की भी जरूरत है।
- गैर संचारी रोगों के बढ़ते मामले चिंता का विषय है अत: लोगों को अपनी जीवन शैली और खानपान की आदतें बदलना चाहिए।

2. मातृभाषा का संरक्षण और संवर्द्धन

- हाल ही में उपराष्ट्रपति ने लोगों से अपनी मातृभाषा के संरक्षण और संवर्द्धन का संकल्प लेने का आह्वान किया है।
- साथ ही उन्होंने मातृभाषा के संरक्षण के अभियान को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए राज्य सरकारों से प्राथमिक विद्यालय स्तर तक मातृभाषा को अनिवार्य बनाने का आग्रह किया।
- शैक्षिक संस्थानों को बच्चों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच की भावना पैदा करने की जरूरत है।
- छात्रों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के संदर्भ में महान स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ पढ़ाने और उनमें भारतीय मूल्यों को विकसित करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने तथा पाठ्यक्रमों में सुधार लाने की आवश्यकता है।
- 21 वीं सदी की बदलती दुनिया और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति संबंधी समझ पर जोर दिया जाना चाहिए।
- स्कूली स्तर से ही प्रौद्योगिकी के बदलते पहलुओं की जानकारी छात्रों को दी जानी चाहिए ताकि वे बदलते परिदृश्य के अनुकूल खुद को ढाल सकें।
- सिर्फ साक्षर होना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वास्तविक शिक्षा वह है जो व्यक्ति को सत्य, ज्ञान की तलाश करने और तार्किक सोच विकसित करने के साथ दूसरों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील बनाए।
- शिक्षा को गरीबों, दलितों और समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के जीवन को बदलने में मदद करनी चाहिए।
- शिक्षा गरीबी, लैंगिक असमानता, बेरोजगारी, जातिगत भेदभाव

और आर्थिक विषमताओं जैसी चुनौतियों का सामना करने का सबसे सक्षम हथियार है।

- बालिकाओं और महिलाओं को शिक्षित करना देश की प्रगति के लिए जरूरी है। लोगों से बालिकाओं की शिक्षा के अभियान को जनआंदोलन का रूप देने की आवश्यकता है।

3. निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण

- कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में भारत सरकार के कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन आईईपीएफ प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
- इस प्राधिकरण को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसका मुख्य उद्देश्य -निवेशक शिक्षा, जागरूकता और संरक्षण को बढ़ावा देना है।
- यह प्राधिकरण निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ विभिन्न अन्य माध्यमों जैसे कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया, सामुदायिक रेडियो इत्यादि के जरिए अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न तरह के कदम उठाता है।
- आईईपीएफ कोष का आकार एक साल के भीतर ही लगभग दोगुना हो गया है। इसकी संचित राशि लगभग 4138 करोड़ रुपये है।
- हाल ही में आईईपीएफ प्राधिकरण को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके तहत वह द पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड को विवश कर लगभग 1514 करोड़ रुपये की जमा राशि आईईपीएफ में हस्तांतरित कराने में समर्थ साबित हुआ है।
- जमाकर्ताओं की यह रकम पिछले 15 वर्षों से कंपनी में अटकी हुई थी। कंपनी ने यह धनराशि लगभग 1.49 करोड़ जमा प्रमाणपत्र (डिपॉजिट सर्टिफिकेट) जारी कर इकट्ठी की थी और इसमें एक करोड़ से भी ज्यादा व्यक्तिगत निवेशक शामिल थे।
- इनमें से ज्यादातर निवेशक आम नागरिक हैं, जो निम्न एवं मध्यम आय वाले तबकों के हैं।
- इनमें दिहाड़ी मजदूर इत्यादि भी शामिल हैं। यदि भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये निवेशक देश के 30 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के रहने वाले हैं। ज्यादातर निवेशक पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं।
- आईईपीएफ प्राधिकरण एक ऑनलाइन सुविधा शुरू करने की तैयारी में है, जिससे कि उन जमा राशियों के बारे में सीधे रिटेल अथवा छोटे निवेशकों से आरम्भिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकें, जो या तो परिपक्व (मैच्योर) हो चुकी हैं अथवा पुनर्भुगतान या ब्याज की अदायगी के लिए अब भी विभिन्न निकायों के यहां अटकी पड़ी हैं।

4. किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एकीकृत खेती की जरूरत

- हाल ही में उपराष्ट्रपति ने पशुधन की उत्पादक क्षमता बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एकीकृत खेती को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है।
- आज टिकाऊ और समावेशी कृषि व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पशुपालन पर ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है।
- मुर्गीपालन, डेयरी या मत्स्य पालन जैसी विभिन्न गतिविधियाँ अपनाने वाले कृषक परिवारों में आत्महत्या की घटनाएँ नहीं होती। पशुधन विपरीत मौसम और फसल नष्ट हो जाने की स्थिति में कृषक परिवारों को वित्तीय संकट से उबरने में मदद करता है।
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के आँकड़ों और अनुमानों के अनुसार भारत में अनुमानित 90.2 मिलियन कृषक परिवार हैं। इनके लिए एक निश्चित आय सुनिश्चित करना हर किसी की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।
- भारत में सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए एक स्वस्थ और मजबूत कृषि क्षेत्र एक महत्वपूर्ण शर्त है।
- विशेषकर युवाओं से कृषि को आर्थिक रूप से व्यावहारिक और लाभकारी बनाकर उसे एक आकर्षक करियर के रूप में अपनाने के उपाय तलाशने का जरूरत है।
- गौरतलब है कि कृषि उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 17 प्रतिशत का योगदान देता है, जिसमें से 27 प्रतिशत पशुपालन का और 4.4 प्रतिशत हिस्सा डेयरी, पोल्ट्री और मत्स्य पालन का है। ये आंकड़े हमारी अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्रों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट करते हैं।
- पशुधन लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा और उनकी मौजूदगी मानव अस्तित्व के लिए अहम है अत: इस राष्ट्रीय संपत्ति का संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
- कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों जैसे मुर्गी पालन, डेयरी उद्योगों ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार प्रदान करता है।
- सरकार, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए संबद्ध उद्योगों में विविधता को प्रोत्साहित करना चाहिए। जनसंख्या बल का लाभ प्राप्त करने के लिए देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है।

- मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन और ऐसी ही अन्य उद्योगों में रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान करने की बहुत क्षमता है। स्वदेशी नस्लों के सरंक्षण और उनकी उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता है।
- भारत में पशु चिकित्सकों की मांग और आपूर्ति में अंतर चिंता का विषय है अधिकारियों को किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को विस्तार देना चाहिए।

5. नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग

- हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा पर विशेष ध्यान के साथ नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा डेनमार्क के ऊर्जा, उपयोग व जलवायु मंत्रालय के बीच रणनीतिक सहयोग समझौते को मंजूरी दी।
- सहयोग समझौते का उद्देश्य अपतटीय पवन ऊर्जा पर विशेष ध्यान देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।
- सहयोग के क्षेत्रों में अपतटीय पवन परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए तकनीकी क्षमता विकसित करना, उच्च कार्यकुशलता के साथ पवन ऊर्जा उद्योग (तटीय व अपतटीय दोनों) को विकसित करने के उपाय, पवन टर्बाइन, कलपुर्जे और प्रमाणीकरण की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उपाय तथा अपतटीय पवन के बारे में भविष्यवाणी करना व समयसारणी बनाना आदि शामिल हैं।
- भारत-डेनमार्क सेंटर ऑफ एक्सिलेंस नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के मूल्यांकन का काम करेगा। इसके अतिरिक्त यह केन्द्र पवन, सौर, जल-विद्युत और भंडारण तकनीक को आपस में जोड़ने, नवीकरणीय ऊर्जा को उच्च स्तर के पवन ऊर्जा से एकीकृत करने, जांच और अनुसंधान तथा कौशल विकास/क्षमता निर्माण करने पर भी विशेष ध्यान देगा।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत में एक गीगावाट की प्रथम अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए हाल ही में अभिरुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित किए हैं जिसमें देश-विदेश के उद्योग जगत ने काफी रुचि दिखाई है।
- अब पवन उद्योग का भरोसा बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता बढ़ाने हेतु मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित कर दिए हैं।
- वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया गया है।
- लेकिन खुले समुद्र में विशाल पवन ऊर्जा टर्बाइन लगाने में होने वाली भारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इस सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण नजर आती है।
- उल्लेखनीय है कि तटवर्ती पवन ऊर्जा टर्बाइनों की तुलना में अपतटीय पवन ऊर्जा टर्बाइनों के आकार के साथ-साथ उनकी क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है।

6. दिव्यांगजनों के खिलाफ भेदभाव की प्रवृत्तियों को खत्म करना जरूरी

- हाल ही में उपराष्ट्रपति ने कहा है कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का काम उनके प्रति भेदभावपूर्ण प्रवृत्तियों को पूरी तरह खत्मा करके शुरू किया जाना चाहिए।
- सामुदायिक कल्याण की भावना भारत के दार्शनिक चिंतन "सर्वजनासुखिनोभवंतु" का मूल आधार है। दूसरों के प्रति संवेदनशीलता और मिल बांटकर जीना भारत की सांस्कृतिक परंपरा का आधार रहा है।
- दिव्यांगजनों की मदद करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाना सरकार और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।
- दिव्यांगजनों को सहानुभूति, प्रोत्साहन, सुविधा और सशक्तिकरण की जरूरत है।
- दिव्यांगजनों के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रवृत्तियों को समाप्त करना उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में पहला कदम होना चाहिए।
- एक समाज के रूप में हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि शारीरिक अक्षमता को किसी तरह का सामाजिक अभिशाप न समझा जाए।
- भारत समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों का खजाना है जिस पर हम सभी गर्व कर सकते हैं।
- सभी लोगों से भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और उसे प्रोत्साहित करने तथा देश की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा के मूल में निहित शांति, करुणा और समग्रता के संदेश को बढ़ावा देने की जरुरत है।

7. आठ सबमरीन रोधी युद्धक

- हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए आठ सबमरीन रोधी युद्धक सतही जल पोत बनाने के लिए गार्डन

रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) को ठेका दिया है।

- भारतीय नौसेना ने अप्रैल 2014 में डीपीएसयू शिपयार्ड तथा इंडिया प्राइवेट शिपयार्ड को आरएफपी जारी किया और इसमें आठ एएसडब्ल्यूएसडब्ल्यूसी बनाने तथा सप्लाई के लिए जीआरएसई ने सफल बोली लगाई।
- ठेके पर हस्ताक्षर करने की तिथि से 42 महीने के अंदर पहला जहाज दिया जाएगा और बाकी जहाजों की डिलीवरी प्रति वर्ष दो जहाज के हिसाब से की जाएगी।
- परियोजना पूरी होने की अवधि आज से 84 महीने की होगी।
- पी17ए परियोजना के अंतर्गत भारतीय नौसेना के लिए अभी जीआरएसई तीन राडार से बचने वाले पोत बनाने का कार्य कर रही है।
- जीआरएसई देश के लिए युद्धक जहाज बनाती है। 1960 में डीपीएसयू के रूप में जीआरएसई ने अब तक सबसे अधिक लड़ाकू जहाज बनाए हैं।
- अब तक बनाए गए एक सौ लड़ाकू पोतों में एडवांस जहाज सबमरीन रोधी युद्धक जलपोत फ्रेगट टैंकर, फास्ट अटैक पोत शामिल हैं। वर्तमान परियोजना से जीआरएसई की स्थिति और मजबूत होगी।
- सतही जल में कार्य करने वाले सबमरीन रोधी जलपोत 750 टन भार के होंगे और इसकी गति 25 नॉट होगी।
- इसके अतिरिक्त इन जहाजों की क्षमता तटीय जल में सतही लक्ष्यों को भेदने की होगी। ये जहाज अत्याधुनिक होंगे और इनमें प्रोपल्सन मशीनरी, सहायक मशीनरी, विद्युत उत्पादन और वितरण मशीनरी तथा क्षति नियंत्रण मशीनरी शामिल होगी।
- जीआरएसई में इन जहाजों का डिजाइन और निर्माण भारत सरकार की मेक इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. पृथ्वी की घूर्णन गति

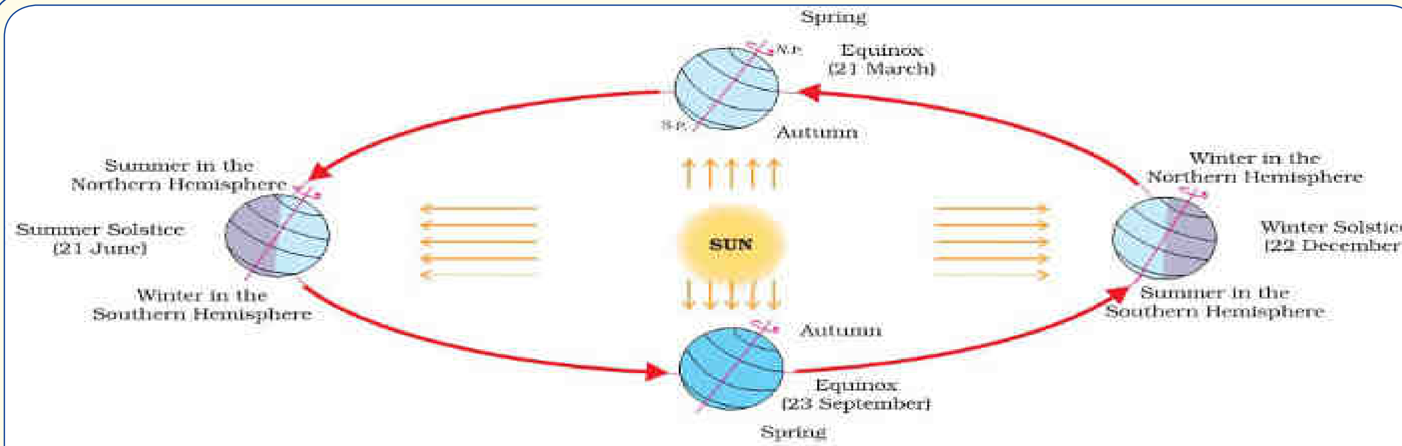

Revolution of the Earth and Seasons

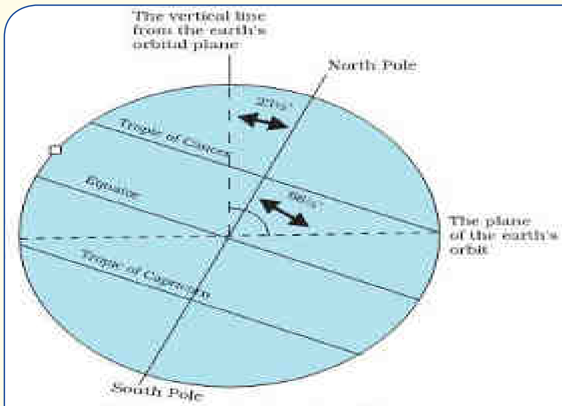

Inclination of the Earth's axis and the orbital plane

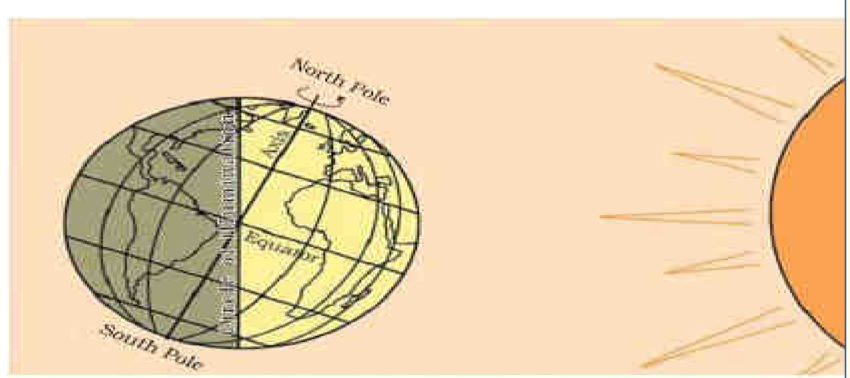

Day and Night on the Earth due to rotation

महत्वपूर्ण तथ्य

- पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती रहती है जिसे पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं। दूसरी ओर सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जिसके कारण ही दिन व रात होते हैं।
- पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से 66½° का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं।
- पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्यरेखा पर लगभग 0.46 किमी. प्रति सेकेण्ड तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है।
- पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ-साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन और 6 घण्टे में एक परिक्रमा पूर्ण करती है। पृथ्वी के इस अण्डाकार मार्ग को भू-कक्षा कहते हैं।
- जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो इसे उपसौर (3 जनवरी) कहते हैं, जब यह सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं (4 जुलाई)।
- 21 जून को उत्तरी भाग में सबसे लम्बा दिन होता है। इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसम्बर को दक्षिण भाग में दिन सबसे लम्बा होता है और इसे दक्षिण अयनांत कहते हैं।
- 21 मार्च एवं 23 सितम्बर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं अर्थात् पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है।

2. अक्षांश एवं देशांतर

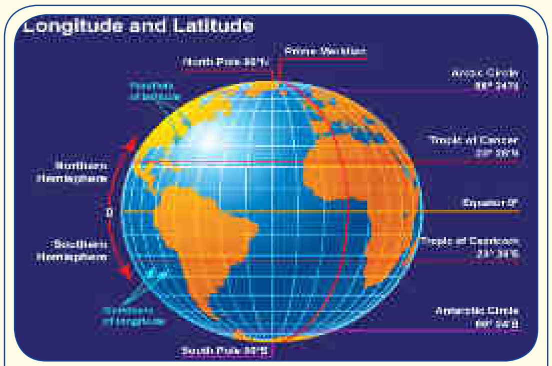

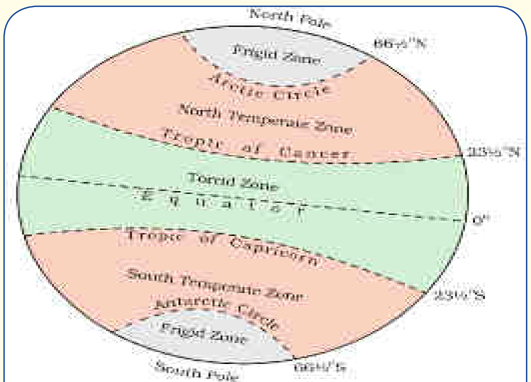

Important Latitudes and Heat Zones

महत्वपूर्ण तथ्य

- अक्षांश ग्लोब पर निर्मित ऐसी काल्पनिक रेखाएँ होती हैं, जो क्षैतिज दिशा (पूर्व से पश्चिम) में पृथ्वी की सतह के समानांतर वृत्ताकार रूप में निर्मित होती हैं। अक्षांश रेखाएँ विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती हैं।
- पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा अक्षांश पृथ्वी के मध्य में भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा है। इसे 0° अक्षांश के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अत: इसका माप 360 अंश का 1/4, यानी 90 अंश है।
- 23½° उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23½° दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। 66½° उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त तथा 66½° दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ये रेखाएँ सूर्य की तिरछी किरणों के लिए सीमा रेखाएं होती हैं। 23½° से 66½° उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं।
- 66½° से 90° उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्र को ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ 6 महीने दिन तथा 6 महीने रात होती है।
- विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांश 181 हैं जबकि अक्षांशीय वृत्तों की संख्या 179 है।
- देशान्तर ग्लोब पर निर्मित काल्पनिक अर्द्धवृत्त है जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव को जोड़ते हैं।
- कुल देशान्तरों की संख्या 360 है। 180° देशान्तर, प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत-वृत्त का निर्माण करती हैं।

3. पृथ्वी की आंतरिक संरचना

महत्वपूर्ण तथ्य

- पृथ्वी की धरातल का विन्यास मुख्यत: भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएँ लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं।
- भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस भाग है। इसकी औसत मोटाई 300 किमी. मानी जाती है।
- भूपर्पटी को दो भागों में विभाजित किया गया है। ऊपरी भूपर्पटी एवं निचली भूपर्पटी।
- ऊपरी भूपर्पटी एवं निचले भूपर्पटी के बीच घनत्व संबंधी यह असम्बद्धता कोनराड असम्बद्धता या असांतत्य कहलाती है।
- भूपर्पटी का निर्माण मुख्यत: सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है, इसे सियाल (SiAl) भी कहा जाता है।
- भूगमर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग मैंटल कहलाता है। यह मोहो असांतत्य से प्रारम्भ होकर 2900 किमी. की गहराई तक है।
- मैंटल का ऊपरी भाग दुर्बलतामण्डल (Asthenosphere) कहलाता है।
- भूपर्पटी एवं मैंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमण्डल कहलाते हैं।
- मैंटल का निर्माण मुख्यत: सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है इसे सीमा (SiMa) कहा जाता है।
- ऊपरी मेंटल एवं निचले मैंटल के बीच घनत्व संबंधी यह असम्बद्धता रेपिटी असम्बद्धता कहलाती है।

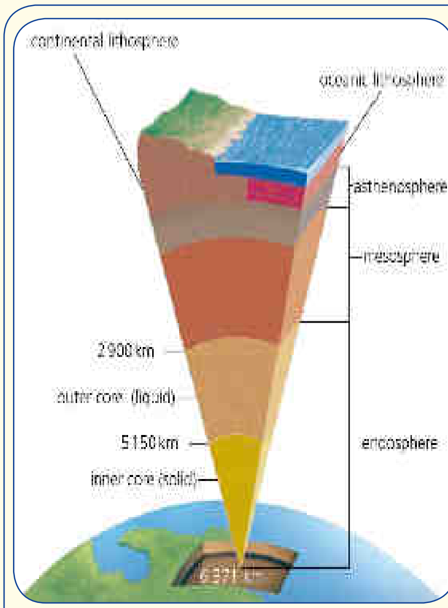

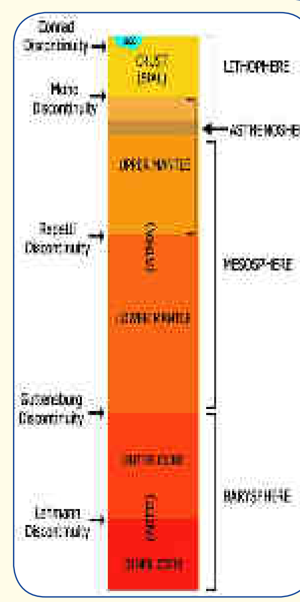

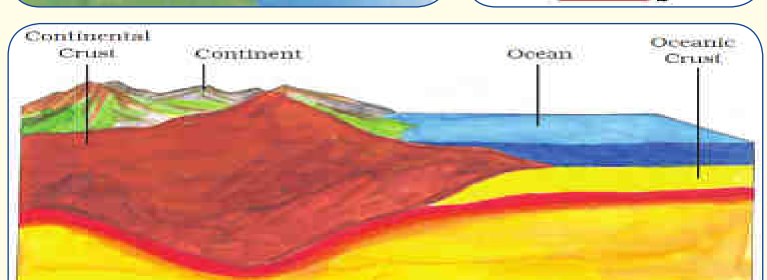

Continental Crust and Oceanic Crust

4. ज्वार-भाटा

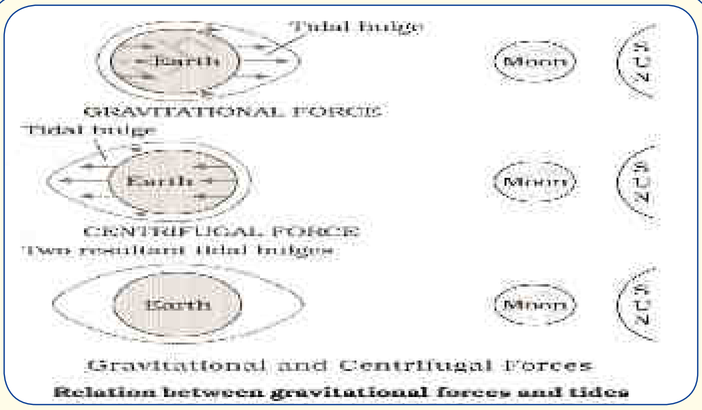

महत्वपूर्ण तथ्य

- सूर्य तथा चन्द्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने की परिघटना को ज्वार कहते हैं।
- प्रति-दिन ज्वार लगभग 26 मिनट देर से आता है। इसका प्रमुख कारण चन्द्रमा का अपनी धुरी पर चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करना है।
- सूर्य तथा चन्द्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने के बाद नीचे गिरने को भाटा कहते हैं।
- चन्द्रमा के सामने स्थित पृथ्वी के भाग पर चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति सर्वाधिक होती है जिससे चन्द्रमा के सामने स्थित पृथ्वी का जल ऊपर खिंच जाता है, जिस कारण उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। इस स्थान के ठीक पीछे भी निम्न ज्वार का अनुभव किया जाता है।
- चन्द्रमा के केन्द्रोमुख गुरुत्वाकर्षण बल की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न अपकेन्द्रीय बल के कारण जल का बाहर की ओर उभार हो जाता है।
- इस कारण 24 घण्टे में प्रत्येक स्थान पर दो बार ज्वार तथा दो बार भाटा आता है।

5. महासागरीय धाराएँ

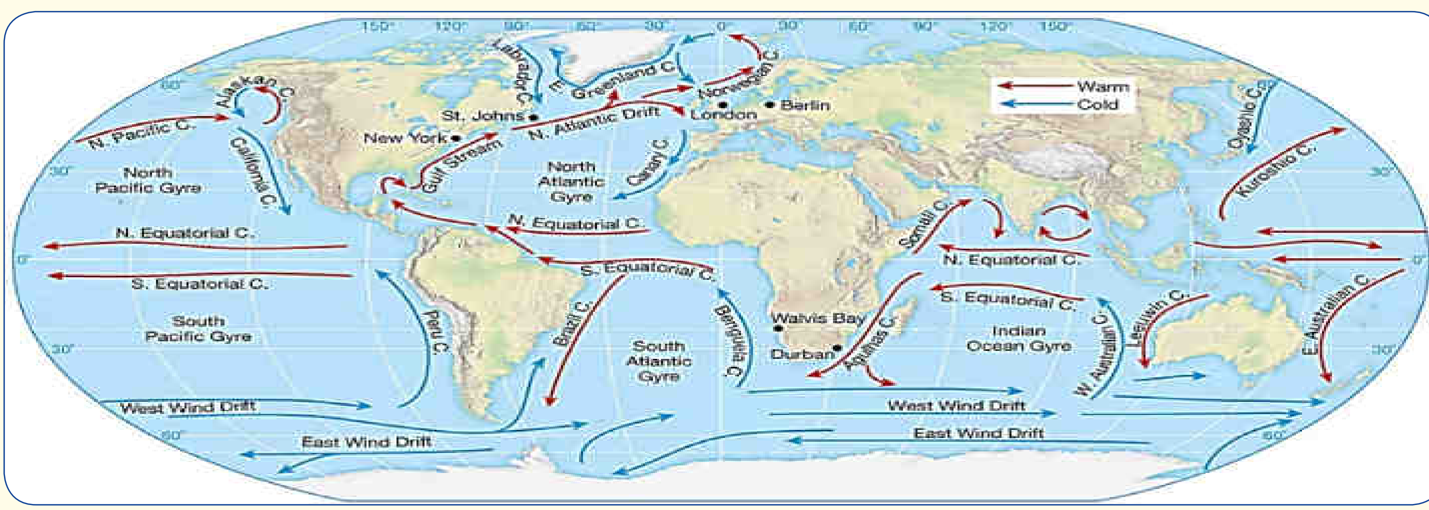

महत्वपूर्ण तथ्य

- हवा, सागरीय लहरों की उत्पत्ति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तेज गति से चलने वाली हवा सागरीय सतह पर रगड़ (friction) द्वारा लहरों को जन्म देती है।
- वायु जनित तरंगो के आकार, गति तथा उनकी दिशा इन कारणों से नियंत्रित होती है- वायु की गति, एक दिशा में वायु के प्रवाहित होने की अवधि, फेच का विस्तार (सागरीय सतह का वह भाग जिस पर वायु प्रवाहित होती है), सागरीय दशा आदि।
- जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागर की सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। इसकी गति तथा सीमा निश्चित नहीं होती है।
- जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अन्तर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे धारा कहते हैं।
- जब सागर का अत्यधिक जल भूतल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं।

6. ज्वालामुखी

महत्वपूर्ण तथ्य

- ज्वालामुखी वह किया है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के भीतर गैस एवं लावा की उत्पत्ति से लेकर उनके पृथ्वी के भीतर तथा बाहर प्रकट होने की सभी क्रियाएँ सम्मिलित की जाती हैं।
- ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप होते हैं- आभ्यान्तरिक धरातल के नीचे तथा बाह्य अथवा धरातल के ऊपर।
- आभ्यान्तरिक क्रिया में मैग्मा धरातल के नीचे ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है जिनमें निर्मित प्रमुख संरचनाएँ हैं- बैथेलिथ, फैकोलिथ, सिल तथा डाइक।
- बाह्य क्रिया में गर्म पदार्थ के धरातल पर प्रकट होने की क्रियाएँ सम्मिलित होती हैं। इनमें प्रमुख हैं- गर्म जल के सोते, गीजर तथा धुंआरे आदि।
- ज्वालामुखी का प्रथम उद्गार प्राय: छिद्र के सहारे होता है। उद्गार से अनेक प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। इनको तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। प्रथम गैस तथा जलवाष्प, द्वितीय विखण्डित पदार्थ (Fragmental Materials) तथा तृतीय, लावा पदार्थ।
- ज्वालामुखी से निस्सृत बड़े-बड़े टुकड़ों को 'बम' कहते हैं। इनकी व्यास कुछ इंच से लेकर कई फीट तक होती है।
- ज्वालामुखी उद्गार की अवधि के अनुसार इन्हें तीन भाग में बाँटा गया है-
  - सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी (Active Volcano)
  - प्रसुप्त ज्वालामुखी (Dormant Volcano)
  - शान्त ज्वालामुख (Extinct Volcano)

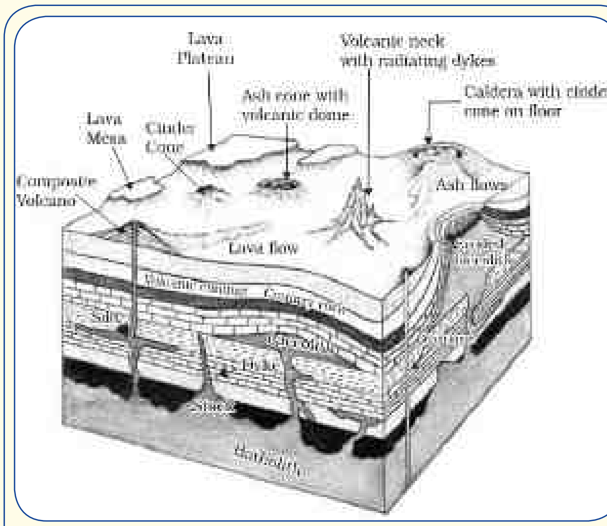

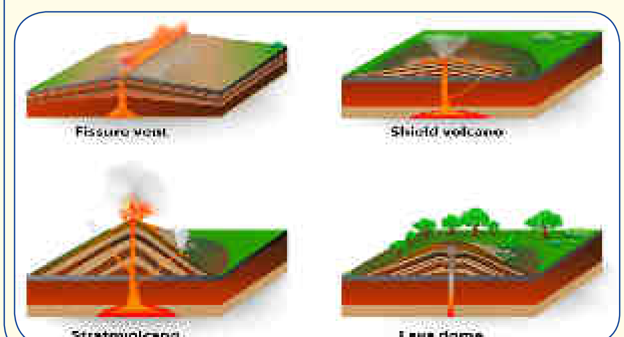

7. बादल

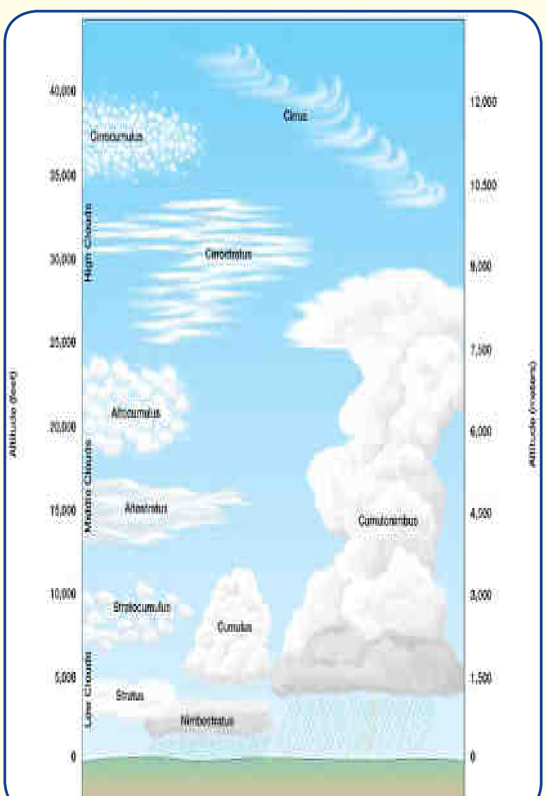

महत्वपूर्ण तथ्य

- बादल, जल सीकरों अथवा हिम सीकरों का ही बड़े पैमाने पर समूह होता है जो कि कुहरे की अपेक्षा ऊँचाई पर पाया जाता है।
- बादलों में पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है। यह अन्तर धरातल से ऊँचाई, उनके रूप तथा आकार एवं आकाश में उनके विस्तार पर आधारित होता है।
- **उच्च बादल (6000-20000 मीटर)**
  - **पक्षाभ बादल:** ये सबसे अधिक ऊँचाई (6000-20000 मी.) पर प्राय: छितराये रूप में रेशम के सदृश दिखते हैं।
  - **पक्षाभ स्तरी बादल:** प्राय: श्वेत वर्ण के होते हैं जो कि आकाश में एक पतली दुधिया रंग की चादर के समान फैले रहते हैं।
  - **पक्षाभ कपासी बादल:** ये बादल छोटे-छोटे गोलाकार रूपों में पाये जाते हैं।
- **मध्यम ऊँचाई के बादल (2500 से 6000 मीटर)**
  - **उच्च स्तरी बादल:** नीले अथवा भूरे रंग की पतली चादर वाले बादलों को उच्च स्तरी बादल कहते हैं।
  - **उच्च कपासी बादल:** ये पक्षाभ कपासी बादल के समान ही गोलाकार रूप में पाये जाते हैं।
- **निम्न बादल (2500 मीटर ऊँचे)**
  - स्तरी कपासी बादल, स्तरी बादल, कपासी बादल, कपासी वर्षा बादल

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003
LEGACY OF SUCCESS CONTINUES...
After achieving a phenomenal success with 120+ selections in CSE 2017, DHYEYA IAS has once again reached a new zenith of success with 122+ selection
We salute the spirit of our selected candidates and wish them a successful and bright future ahead
KANISHAK KATARIA AIR 1
JUNAID AHMED AIR 3
ANURAJ JAIN AIR-24
DEEPAK KUMAR DUBEY AIR-46
RENJINA MARY VARGHESE AIR-49
RANGASHREE AIR-50
GIRDHAR AIR-61
AYUSHI SINGH AIR-86
SAWAN KUMAR AIR-89
VEER PRATAP SINGH AIR-92
BRIJESH JYOTI UPADHYAY AIR-112
RANJEETA SHARMA AIR-130
CHITTYREDDY SRIPAL AIR-131
SHIV NARAYAN SHARMA AIR-149
SHAKTI MOHAN AVASTHY AIR-154
SIDDHARTH GOYAL AIR-163
GUNDALA REDDY RAGHAVENDRA AIR-180
GAUTAM GOYAL AIR-223
SHIVAM SHARMA AIR-251
INDERVEER SINGH AIR-259
GAURAV GUNJAN AIR-262
MD JAWED HUSSAIN AIR-280
DEEPTI BAGGA AIR-297
ARPIT GUPTA AIR-300
HIMANSHU GUPTA AIR-304
POORVI GARG AIR-317
NAVEEN KUMAR AIR-324
ADITYA KUMAR JHA AIR-339
SACHIN BANSAL AIR-349
CHIRAG JAIN AIR-355
LAKSHMAN KUMAR AIR-362
SAHIL GARG AIR-376
YOGITA AIR-384
ANIMESH GARG AIR-387
KIRTI PANDEY AIR-389
KUMAR BISWARANJAN AIR-391
GARIMA AIR-394
and many more...

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR – PATNA, **CHANDIGARH, DELHI & NCR** – FARIDABAD, **GUJRAT** – AHMEDABAD, **HARYANA** – HISAR, KURUKSHETRA , **MADHYA PRADESH** – GWALIOR , JABALPUR , REWA , **MAHARASHTRA** – MUMBAI, **PUNJAB** – JALANDHAR, PATIALA, LUDHIANA, **RAJASTHAN** – JODHPUR, **UTTARAKHAND** – HALDWANI, **UTTAR PRADESH** – ALIGARH, AZAMGARH, BAHRAICH, BARELLY, GORAKHPUR, KANPUR, LUCKNOW (ALAMBAGH , LUCKNOW (GOMTI NAGAR), MORADABAD, VARANASI

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336069 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400